खण्ड-191, अंक-6
शनिवार, 26 माघ, शक संवत् 1879
(15 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १५ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य (३१४)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती

चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
(मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)

धर्म राम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नारराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबासिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजनराम, श्री
बेनीराम गुप्त, श्री
बेलीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भंगीलाल, श्री

भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूदहुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह,
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलालसहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसीनकवी, श्री

विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इसलाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतबन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल, धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमउद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

अभावग्रस्त पूर्वी जिलों में लगान की निर्दयतापूर्वक वसूली के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव आया हुआ है श्री चन्द्रजीत यादव का। और भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो पहले आया है उसको मैं पहले लेता हूं बल्कि पहले मैं उन्हें बताये देता हूं जो अस्वीकृत हैं। श्री चन्द्रजीत यादव का कामरोको प्रस्ताव है कि—

"प्रदेश के अभाव-ग्रस्त पूर्वी जिलों में जहां लोग भूख से मर रहे हैं और भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं वहां सरकारी कर्मचारी निर्दयतापूर्वक लगान की वसूली में गरीब किसानों को मारपीट रहे हैं, आदि-आदि"

यहां पर कल भूख से एक स्त्री के मरने के बारे में बहस हो गई आधा घंटे से अधिक। इसके बाद वसूली के बारे में भी माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे और कोई निश्चित विषय हो जाय तो आधा घंटे की बहस की इजाजत के बारे में मैं देख सकता हूं। लेकिन इस कामरोको प्रस्ताव में जो कथन है उसके अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना है कि आज ही बस्ती से तार आया है, आजमगढ़ से भी आ चुका है.....

श्री अध्यक्ष—यह सब यकतरफा चीज है, आप पहले प्रश्न पूछ कर जवाब ले लें उसके बाद निश्चित विषय होने पर मैं मौका दूंगा ।

जिला नैनीताल की पट्टी चौगढ़ में आदमखोर शेर के आतंक के विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—उसके बाद एक कामरोको प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह का है कि—

"यह सदन निम्नलिखित निश्चित आवश्यक एवं महत्व के विषय पर विचार करने हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है । जिला नैनीताल की पट्टी चौगढ़ में आदमखोर शेर लगा है जिसने पिछले एक सप्ताह के अन्दर चार मनुष्यों का संहार किया है जिससे वहां की जनता भारी भयभीत है और सरकार की ओर से उसे मारने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिस से वहां की जनता का जीवन खतरे में है ।

इस भय के कारण उत्पन्न आतंकपूर्ण गंभीर परिस्थिति ....."

महामना प्रताप सिंह ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । मैं समझता हूं यह विषय इतने महत्व का नहीं है और अनिश्चित है । इसके अलावा प्रताप सिंह जी को तो इतना बहादुर होना चाहिये कि वह उस शेर को अपने प्रताप से खत्म कर दें ।

सरैया चीनी मिल, सरदारनगर, जिला गोरखपुर के सामने श्री चन्द्रबली सिंह तथा अन्य किसान नेताओं की बलपूर्वक गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब ३ कामरोको प्रस्ताव हैं एक श्री उग्रसेन का, दूसरा श्री मदन पांडेय का और तीसरा श्री रामायणराय का । पहले श्री उग्रसेन का यह है कि—

"सरैया शुगर मिल सरदारनगर, गोरखपुर के मिल मालिकों की सहायता में स्थानीय पुलिस कर्मचारियों ने जिस गैरकानूनी, अवैधानिक तथा निरंकुश स्वेच्छाचारी तरीके को अख्तियार कर सोशलिस्ट नेताओं पर बल प्रयोग करते हुए, गत १३ तारीख को प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी की कार्य समिति के सदस्य श्री चन्द्रबली सिंह के साथ दस और किसान नेताओं को गिरफ्तार किया, उससे आम जनता में घोर असंतोष व्याप्त है और विषम परिस्थिति पैदा हो गई है ।

अतः यह सदन उपर्युक्त परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

उसके बाद श्री मदन पांडेय जी का है कि—

"गोरखपुर जिलान्तर्गत सरैया शुगर फैक्टरी, सरदारनगर मिलजोन के गन्ना किसानों द्वारा कुछ मांगों को लेकर समुचित नोटिस देने पर भी उक्त मिल मैनेजमेंट द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में उचित कदम न उठाये जाने के कारण गत १० फरवरी से मांगों की पूर्तिपर्यन्त उक्त मिल को गन्ना सप्लाई न करने के निश्चय के फलस्वरूप जो विवाद उत्पन्न हो गया है उसे सरकार द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किये जाने के बजाय गत ११ फरवरी को लाठी चार्ज व फायरिंग के बाद महिलाओं का अपमान करते हुए पुलिस द्वारा ५० व्यक्तियों की गिरफ्तारी से उत्पन्न परिस्थिति पर सामूहिक रूप से विचार करने के लिये बुलाई गई शान्तिपूर्ण सभा में जाते हुए श्री चन्द्रबली सिंह को जो राज्य सोशलिस्ट पार्टी की कार्यसमिति के सदस्य हैं, उनके दस साथियों सहित अकारण गत १३ फरवरी को जिस प्रकार उपस्थित जनसमूह को बलप्रयोग द्वारा तितरबितर

[श्री अध्यक्ष]

करते हुए गिरफ्तार किया गया है...आदि।"

श्री उग्रसेन जी ने मुझ से यह भी कहा कि स्वयं जा कर उन्होंने जानकारी भी इस विषय में हासिल की, जिस तरह से फायरिंग हुई, या मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ। जेल में जा कर उन लोगों से वे मिले भी थे जिनको चोटें लगी। यह बात उन्होंने बताई।

तीसरा कामरोको प्रस्ताव इसी विषय पर और श्री रामायणराय का है—

"गोरखपुर जिले की सरदारनगर सरैया चीनी मिल के गेट पर दिनांक १३-२-५८ को श्री चन्द्रबली सिंह आदि समाजवादी नेताओं की गन्ना मूल्य वृद्धि आन्दोलन में गिरफ्तारी से जनता क्षुब्ध हो उठी है। सरकार की जनता की सही मांगों के प्रति उपेक्षा नीति ही उपरोक्त स्थिति को पैदा करने का प्रधान कारण है।

अतः सार्वजनिक महत्व के आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

एक ही विषय के ऊपर यह श्री रामायण राय जी का कामरोको प्रस्ताव है। इस विषय पर एक प्रस्ताव दो, तीन रोज पहले उपस्थित किया गया था। मैंने उस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इसलिये मैं कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें इतनी निश्चितता सब बातों की आ नहीं गयी है। लेकिन अब इतना अनिश्चित भी नहीं जब कि श्री उग्रसेन स्वयं जाकर लोगों से मिलकर आये हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं भी गया था।

श्री अध्यक्ष—माननीय मदन पांडेय जी भी गये थे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं उसकी आवश्यकता नहीं है। सदन का क्यों ज्यादा समय लिया जाय।

सरदारनगर, जिला गोरखपुर में गन्ना मूल्य वृद्धि आन्दोलन में गिरफ्तारियों के विषय पर विवादार्थ समय बंटन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—श्री उग्रसेन तथा श्री मदन पांडेय इसकी खुद वहां जांच करके आये हैं। लोगों से मिले, जिन्हें चोटें लगीं। लाठीचार्ज के बारे में भी वह समझते हैं कि लोगों ने कहा। तो उनके खयाल से ये घटनाएं निश्चित हैं और इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी ने इनकार किया है। ऐसी अवस्था में मैं यह उचित समझता हूं कि सदन के लिए कुछ जानकारी सरकार की तरफ से मिले और इसके ऊपर जो कुछ थोड़े से लोग कथन करना चाहें, करें। इसलिए श्री उग्रसेन जी कहते हैं कि अगर उनका प्रस्ताव किसी कारणवश स्वीकार नहीं होता तो नियम १७२ में वे चाहेंगे कि उक्त विषय पर बहस के लिए कोई समय मैं निश्चित कर दूं। १७२ नियम में यह दिया हुआ है—

"Save in so far as is otherwise provided by the Constitution or by these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place otherwise than on a resolution, moved in accordance with these rules, except on a motion made with the consent of the Speaker, who if he admits the motion, will allot a day or days for its discussion in consultation with the Leader of the House."

मैं समझता हूं कि इसमें जो स्पष्टीकरण माननीय गृह मंत्री ने दिया था वह इतना स्पष्ट नहीं था। उनको जानकारी भी उस रोज नहीं थी जिससे कि सदस्यों को जो आशंकाएं हो सकती हैं वे मिट सकें। वे आशंकाएं बनी रह गई थीं। इसके बाद श्री मदन पांडेय और श्री उग्रसेन वहां पर हो आये। उन्होंने अपनी जानकारी मेरे सामने रखी।

ऐसी अवस्था में मैं उचित समझता हूं कि यह मोशन जो नियम १७२ के अन्तर्गत है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बहस के लिए मौका देना चाहिए, मैं इसको वैध करार देता हूं। कोई समय इसके लिए निश्चित होना चाहिए। मैं उचित यह समझता हूं, चूंकि नेता सदन इस समय उपस्थित नहीं हैं, उपनेता मौजूद हैं, परसों जब बजट पेश होगा तो बजट का भाषण हो जाने के बाद छट्टी हो जायगी दो रोज की। भाषण के बाद ही अगर दो घंटे इस विषय पर जानकारी हासिल करके सरकार की तरफ से जानकारी सदन को दे दी जाय और उसके ऊपर जो कुछ लोगों को कहना हो वह कह लें, जिस तरह से कि आधे घंटे की बहस होती है ४२ नियम के अनुसार, कि लोग अपनी-अपनी बात कहतें हैं और फिर विचार प्रकट करने के बाद जब समय समाप्त हो जाता है तो बहस खत्म हो जाती है, उसी तरह से यह मोशन डिस्कशन के लिए आ जायगा और दो घंटे बहस हो जायगी और दो घंटे के बाद यह विषय समाप्त हो जायगा। क्या उपनेता इस सुझाव से सहमत हैं ?

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अगर जनाब का यह इरशाद है और रूलिंग है तो उसके मुताल्लिक मेरा कुछ अर्ज करना गालिबन बेकार है। वरना तो जो इत्तला है वह तो वही है। सिवाय गिरफ्तारियों के, गाड़ियों को रोकने की बिना पर, और कोई बात पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं हुई। अब भी वही चीज है जो कि उस दिन थी और जिसकी तजवीज उन्होंने उस रोज की थी। मैं अब भी मालूमात की बिना पर आज भी उनकी तरफ से वह अर्ज कर सकता हूं। लेकिन अगर आपका हुक्म यह है तो वह होगा बजट के दरमियान जो दो दिन का इंटरवल दिया गया है....

श्री अध्यक्ष---इंटरवल नहीं, बजट भाषण परसों होगा। उसके बाद हम उठ जावेंगे। तो बजाय तत्काल उठने के वित्त मन्त्री जी के भाषण के बाद ही दो घंटे और बैठ जावेंगे और इस प्रस्ताव पर विवाद हो जावेगा। सदन १८ और १९ को नहीं बैठेगा। १७ को ही बजट भाषण के बाद इस पर बहस हो जावेगी।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम---तो मैं यह मालूम करके तीसरे पहर को बतला सकता हूं कि इसमें ऐसा होगा या क्या होगा। जो कुछ भी टाइम होगा वह मैं अर्ज कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---क्योंकि मैंने इस प्रस्ताव को वैध करार दिया है अतः समय तो मुकर्रर करना ही होगा और जब समाय मुकर्रर करना होगा तो या तो सोमवार को हो या फिर २१ तारीख को होगा जो ५ बजे के बाद होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसी लिये तो मैं अर्ज करता हूं कि इसकी बाबत मैं तीसरे पहर हाउस में अर्ज कर दूंगा।

श्री रामायणराय द्वारा नियम ४२ (२) के अन्तर्गत विवाद के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, लगान वसूली के सम्बन्ध में मैंने एक कामरोको प्रस्ताव रखा था, वह भी अस्वीकृत हो गया है। मैंने प्रार्थना-पत्र भेज दिया है आपकी सेवा में दो-तीन दिन पहिले जिसमें आधे घंटे के डिस्कशन के लिए प्रार्थना की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---अभी आपने भेजा है।

श्री रामायणराय---अभी नहीं, पहले ही भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष---समय के अन्दर आपने न भेजा होगा।

श्री रामायणराय---जी नहीं, समय के अन्दर दिया है।

श्री अध्यक्ष---शायद उसे मैंने अस्वीकृत कर दिया था, तो मोशन तो आप लाये नहीं। मोशन आप अब ला रहे हैं। इसको मैं जांचूंगा और फिर उसके बाद फैसला दूंगा।

हाउस आफ कामन्स की स्थायी समितियों के सभापति के निर्वाचन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष---एक विषय और था। श्री त्रिलोकीसिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं। मैं समझता हूं कि किसी दूसरे दिन उस पर अपनी राय दूंगा जब वे सदन में हों। उन्होंने पूछा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रवर समिति के अध्यक्ष के सम्बन्ध में क्या पद्धति है, क्या प्रथा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---तो बता दीजिए, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, उनका रहना आवश्यक है जिन्होंने यह प्रश्न पूछा था। तो या सोमवार को रखूंगा या उसके बाद और जिस दिन वे होंगे उस दिन।

१९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद एवं मतदान का कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इसकी क्या व्यवस्था है, श्रीमन्?

श्री अध्यक्ष---इसकी व्यवस्था इसमें कोई समय निश्चित करने के लिए सामान्य विवाद के लिए कितना समय होगा और सामान्य विवाद के बाद अनुदानों के लिए कितना समय देना चाहेंगे और अनुदानों के बाद फिर तो यह ठीक ही है कि विधेयक उसके बाद आयेगा। तो उसके लिये मैं वैसे ही टाइम मुकर्रर किये देता हूं, जैसे मैंने समय मुकर्रर कर दिया था इससे पूर्व। उस वक्त साढ़े ३ बजे तक आम बहस हुई थी और साढ़े ३ बजे से साढ़े ४ बजे तक यानी १ घंटा अनुदानों पर बहस हुई। साढ़े ४ बजे तक अनुदानों पर मतदान समाप्त हुआ था। त्रिलोकीसिंह जी ने सुझाव दिया था कि सामान्य विवाद के लिये साढ़े ३ बजे तक का समय नियत किया जाय और उसके बाद एक घंटा तक जो कटौती के प्रस्ताव हों उन पर विचार किया जाय और साढ़े ४ बजे तक अनुदानों पर राय लेने के बाद एप्रोप्रियेशन बिल पर पांच बजे तक विचार कर उसे पारित किया जाय। तो साढ़े चार बजे तक अनुदानों पर मतदान खत्म होगा। इसका मतलब यह है कि सवा चार बजे गिलोटीन मैं शुरू कर दूं।

श्री राजनारायण---हर हालत में पूरक अनुदानों को आज ही पास करना है जब कि पहले अनुदान कम थे और इस मर्तबा ज्यादा हैं?

श्री अध्यक्ष---जी हां, आज ही समाप्त करना है क्योंकि परसों नया बजट आयेगा अगले वर्ष के लिये।

श्री राजनारायण---कोई समय निश्चित कर दिया जाय। जैसा आपने तय कर रखा है वैसा ही कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---साढ़े ३ बजे तक सामान्य वाद-विवाद है और इतने लोगों को बोलना है तो आप बतला दीजिये कि कितना-कितना समय दे दिया जाय ।

श्री राजनारायण---किसी से राय तो हो नहीं पाई, लेकिन साढ़े ३ बजे तक ३ घंटे का समय मिलता है तो किसी भी हालत में आध घंटे से ज्यादा समय किसी को नहीं मिलना चाहिये ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मेरा प्रस्ताव है कि नेता लोगों को १५ मिनट दिये जायं और अन्य सदस्यों को १० मिनट जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग समय का उपयोग कर सकें ।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

श्री राजनारायण---हमारी आपत्ति तो हर समय रहती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं । फिर आपने कह दिया है कि इसे आज ही समाप्त करना है । १५ मिनट के समय में क्या-क्या कहा जा सकता है । इसलिये निवेदन करूंगा कि मुझे तो कुछ अधिक समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---बजट के समय कह लीजियेगा और एक और डिबेट मिल गयी है उसमें भी कह लीजियेगा ।

(श्री रामसुन्दर पाण्डेय से) आप नेता विरोधी दल की एवज में बोल रहे हैं, आपकी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है इसलिये मैं आपको अधिक समय दे रहा हूं । आपको १५ मिनट दिये देता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो सदा अनुपूरक अनुदान आया करते थे उनमें कुछ कमी की गयी है । किन्तु जो मांगों का सिलसिला है उनमें इस सप्लीमेंटरी बजट में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है । यह सरकार की दुर्नीति है कि सदा बजट बनाने में खर्चों के सम्बन्ध में जो अनुमानित रुपया व्यय होता है उसको संतुलित करने में सरकार सफल नहीं हो सकी है और जब इस दृष्टिकोण से हम इस बजट को तौलते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बहुत से अनुदान इसमें ऐसे हैं जिनका अनुमान लगाने में सरकार और उसके वित्त विभाग के अधिकारी असफल रहे हैं ।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि जेल विभाग के सम्बन्ध में कहा गया है कि सामानों की कीमत बढ़ जाने से इस विभाग में १८ लाख ८४ हजार रुपये की मांग में वृद्धि की गयी है । इस मांग के सिलसिले में अगर हम डिटेल्स में जाते हैं तो यह पता चलता है कि सामानों की कीमत में वृद्धि हुई है और कुछ कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि हुई है । सामानों की कीमतों का जहां तक सवाल है मैं इसको मानता हूं कि कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ-साथ सरकार और चीजों की कीमतों में वृद्धि के सम्बन्ध में खयाल नहीं करती है । जेलखाने चूंकि सरकार के हैं इसलिये मजबूरन उसको खाने-पीने और कपड़े की कीमतों में जो वृद्धि होती है देनी पड़ती है । लेकिन साथ-साथ सरकार दुर्भिक्ष सहायता के लिये टेस्ट-वर्क्स चलाती है । विन्ध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में जहां टेस्ट-वर्क्स चलते हैं वहां १२ आने, १० आने और ८ आने मजदूरी दी जाती है जबकि उत्तर प्रदेश में ८ आने, ६ आने और ४ आने ही मजदूरी दी जाती है । मैं वित्त मंत्री जी से पूछूंगा कि जेलखाने के सामानों की कीमत बढ़ जाने से उसके अनुदानों में बढ़ोत्तरी हो सकती है, तो फिर टेस्ट वर्क्स में मजदूरी न बढ़ाने का कारण क्या है ? वहां मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती ? आप दुर्भिक्ष वाले बजट में देखेंगे, उसमें साफ कहा गया है कि इस अनुदान में सरकार यह महसूस करती है कि कई वर्षों से लगातार रबी की फसल खराब हुई, खरीफ की फसल खराब हुई और बहुत से पूर्वी जिलों में बताया गया है कि ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ अगहनी धान पर ही जीवन निर्भर करना पड़ता है वह फसल भी पूरी तरह से खराब हुई । लगातार कई वर्षों से जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारी फसलें

[श्री रामसुन्दर पाण्डय]

मारी जा रही हैं, दुर्भिक्ष की अवस्था पैदा हो गयी हो और साथ ही साथ सरकारी मालगुजारी में कुछ छूट होती हो फिर भी सरकार इस वर्ष भी यह मानने को तैयार नहीं होती है कि मालगुजारी की वसूली में कमी की जाय।

श्रीमन्, आप इस पर गौर फरमायेंगे कि जब राष्ट्रपति महोदय गोरखपुर और बनारस में आये हुए थे उस वक्त विरोधी दल और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से यह कहा गया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की हालत बड़ी ही खराब है और मालमंत्री ने स्वीकार किया था कि हालत खराब है जैसा कि इस बजट में भी स्वीकार किया गया है कि हालत खराब है, लेकिन मालगुजारी बेरहमी से वसूल की जा रही है, जो सरकार के लिए अशोभनीय है। मेरे पास एक दरख्वास्त मौजूद है और मैंने उस दिन यह कोशिश की थी कि माल मंत्री उसके सम्बन्ध में कुछ कहें, लेकिन कुछ कह नहीं सके हैं। आजमगढ़ जिले की तहसील घोसी सिसवा का गांव का एक नौनिया है। उसने सरकार को २५-१-५८ को दरख्वास्त दी थी कि हमको बुरी तरह से मारा गया है, हमारे बैल, भैंस कुर्क किये गये और हमको हवालात में बन्द करने की कोशिश की गयी। उसके बाद बहुत प्रार्थना करने के बाद छोड़ा गया और छूटने के बाद उसने मालगुजारी दी और कहा है कि मालगुजारी देने के बाद हमको रसीद नहीं मिली। इस तरह की शिकायतें सारे प्रदेश में और पूर्वी जिलों में फैली हुई हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि ३ साल पहले श्री ओ० पी० गुप्ता नामक डिप्टी कलेक्टर को सरकार ने बरखास्त किया था और उनकी बरखास्तगी में बहुत ही हो हल्ला मचा था विरोधी दल की ओर से, लेकिन इस सरकार की आदत है कि फैसला कर देती है उसको आखिरी समझती है और यह समझती है कि बाहर और सदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमसे अधिक अक्ल रखता हो। उस डिप्टी कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया और सरकार को उसकी तनख्वाह का सारा भुगतान देना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि उस समय विरोधी दल के लोगों ने और माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त उस वक्त मुख्य मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था ? और सुप्रीम कोर्ट में किसका पक्ष प्रबल रहा ?

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। जो बजट में कहा गया है। इस काल में जब कि २ आना, ४ आना दिन की मजदूरी एक बालक को और एक औरत को ६ आना मिलती है उस समय राज्यपाल के जो भवन हैं, इलाहाबाद, लखनऊ और नैनीताल में, उसके सामान के लिए ४४,१०० रुपया बड़े बजट द्वारा मांगा गया था और इस सप्लीमेंटरी बजट में २३,३०० रुपया और बढ़ा दिया गया कृषि विकास के नाम पर। छोटी सी रकम तो तनख्वाह और भत्ते के सम्बन्ध में, तनख्वाह की वृद्धि के सम्बन्ध में है, लेकिन और जो रकम बढ़ाई गयी है इसकी चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में जब कि लोग भूख से तड़पते हैं और जबकि सरकार खुद कबूल करती है कि मालगुजारी जबरदस्ती वसूल करेगी। उस समय राजभवन के लिए २३,३०० रुपये की बढ़ती की जाय, यह आज के प्रदेश में इस सरकार के लिए अच्छा नहीं है। इस मसले पर सरकार को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मेरा विश्वास है कि सरकार और विचार नहीं करती है तो इससे विकास के नाम पर जो हमसे टैक्स वसूल किये जा रहे हैं और उसका इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है तो उस पर बहुत ही कड़ी नजर जनता की होगी और उसका नतीजा होगा कि सरकार चलने वाली नहीं है। विकास के नाम पर उसके काम नहीं होने वाले हैं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि सिंचाई विभाग में भी बढ़ोत्तरी हुई है। और इसमें बताया गया है कि पूर्वी जमुना नहर के किनारे के पेड़ बेचे गये थे। वे पेड़ इंजीनियर ने श्री जिला सिंह के हाथ बेचा था। लेकिन नहर का पेड़ न बेचा जाकर किसी और आदमी का पेड़ बेच दिया गया। उसने अदालत में जिलासिंह के खिलाफ दावा दायर कर दिया। जिलासिंह

ने सरकार पर मुकद्दमा दायर कर दिया और अदालत ने सरकार के खिलाफ १,६२७ रुपये की डिग्री दे दी तो श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार ने उस इंजीनियर के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? श्रीमन्, यह रोजमर्रा के काम हैं। जिला सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ दावा दायर कर दिया वर्ना रोजमर्रा ऐसे काम होते रहते हैं।

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि परिवहन विभाग के संबंध में करीब २८,९३,७०० रुपये की वृद्धि हुई है। मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि पहले जितनी घूसखोरी इस विभाग में थी वह अब बहुत कम हो गई है। लेकिन इसी के साथ-साथ वह अफसरों में आ गयी है। मेरी खुद की जानकारी है कि कंडक्टरों और ड्राइवरों के रखने और मुअत्तल वगैरह करने में बड़ी घूस-खोरी चल रही है और उनके रहने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। मेरा खयाल है कि इस विभाग से जितनी आमदनी सरकार को है वह रेल विभाग को छोड़कर और किसी विभाग से नहीं है। कंडक्टरों और ड्राइवरों की नौकरी मुस्तकिल नहीं है और उनको भत्ता नहीं मिलता है और छोटी नौकरी है। फिर भी उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है। यदि इस सप्लीमेंटरी बजट में कोई ऐसी चीज होती तब तो बात समझ में आती।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि और भी बहुत सी मांगे रखी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के संबंध में भी मांग रखी गई है। इसका विधेयक कल ही पास हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। दस साल से ज्यादा से चेयरमैनों का शासन प्राइमरी स्कूलों पर चल रहा है। इसलिये इन बोर्डों को भंग कराने के बाद चुनाव किया जाय। मैं जिला आजमगढ़ की बात कहता हूं कि सरकार की ओर से हुक्म गया था कि चुनाव के समय किसी अध्यापक का तबादला न किया जाय, लेकिन यहां के चेयरमैन ने बहुत से अध्यापकों का तबादला कर दिया, उनको छोड़कर जिन्होंने उनको मदद न देने का वचन दिया। बहुत से स्कूल बन्द कर दिये गये थे और अध्यापक बराबर उनका काम करते रहे। चेयरमैन ने खुद जाकर अध्यापकों की मीटिंग की और उनको काम करने के लिये मजबूर किया। मास्टर उनके बैजेज लगाते थे और दूसरी पार्टी के समर्थकों को सजायें दी गईं। श्रीमन्, जो चेयरमैन गलत काम करते हैं उनको रोकने का एक ही तरीका है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग कर दिया जाय और जिसके हाथ में सरकार उचित समझे शक्ति दे दे तब चुनाव कराये..... ।

श्री अध्यक्ष––आप असंगत से हो रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय––डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के संबंध में सरकार की नीति निश्चित होनी चाहिये। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिये मैं निवेदन करूंगा कि कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों को बनाने के लिये लाखों रुपये की मंजूरी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों और भवनों की मरम्मत के लिये एक पैसे का भी अनुदान इस बजट में नहीं है। सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये।

साथ ही साथ आप देखेंगे कि अस्पतालों के बारे में सरकार की नीति ऐसी होती चली जा रही है कि अस्पताल तो खोलें, और वह भी बड़ी कोशिश करने के बाद ––कुछ व्यक्ति विशेष की कृपा पर खोले जाते हैं, लेकिन जब इस बजट में हम देखते हैं कि कितना रुपया वेतन में खर्च होता है, कितना रुपया दवाओं में खर्च होता है और कितना रुपया मकानों पर खर्च होता है तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दवाओं में कुछ भी नहीं खर्च होता है। सरकार सारे प्रदेश में अस्पतालों का तांता भले ही लगा दें, लेकिन जब उनमें दवा ही नहीं होगी तो जनसाधारण का उनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सरकार सारा कार्य इस नीति से करे कि जनता का लाभ हो और अदालतों में जाकर आपको कठघरे में न खड़ा होना पड़े। इसमें कोई अनुदान ऐसा नहीं है जिसमें यह न दिखाया गया हो कि फलां आदमी की डिग्री सरकार के ऊपर हुई, उसको रुपया देना पड़ रहा है। इसके माने यह हैं कि सरकारी कर्मचारी गलत और अवैधानिक काम करते हैं। यह ठीक है कि अवैधानिक काम रोकने के लिये अदालत है, लेकिन सरकार को भी ऐसा करना चाहिये कि लोग अदालत में जाने के लिये मजबूर न हों।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

इसके अलावा मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में किया है वह बहुत कम है। सिर्फ १० लाख रुपया इस सम्बन्ध में मांगा है। मुफ्त राशन कार्ड पर ६ महीने, ३ महीने और २ महीने में एक आदमी को २ रुपये का राशन दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस आदमी को आप इतने समय में २ रुपये का राशन देंगे तो वह कैसे अपनी गुजर कर सकता है ? यह तो केवल दिखावे की बात है।

साथ ही साथ जो टेस्ट वर्क्स पर खर्च करने के लिये आपने १० लाख और कुछ हजार रुपये की रकम मांगी है वह बहुत ही कम है। टेस्ट वर्क्स जहां आवश्यकता हो वहां हर जगह खोलना चाहिये। ४--५ लाख की आबादी की तहसील में केवल एक, दो जगह से अधिक टेस्ट वर्क्स नहीं खुलते हैं। इसके अलावा आप ये टेस्ट वर्क्स कब तक जारी रखेंगे यह समझ में नहीं आता। टेस्ट वर्क्स जहां अब हो रहे हैं ये स्थायी तौरपर होने चाहिये और जनता की जरूरत के मुताबिक चालू होने चाहिये। जो मजदूरी उनको दी जा रही है वह भी और बढ़नी चाहिये। जबकि खाने-पीने और कपड़े के सामानों की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो टेस्ट वर्क्स पर जो मजदूर काम करते हैं उन्हें भी उन्हीं बढ़ी हुई कीमतों पर उन चीजों को खरीदना पड़ता है, इसलिये उनकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर पर तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो जनतन्त्र की दृष्टि से सरकार की नीति से सम्बन्ध रखती है। जनतन्त्र की सफलता के लिये आधारभूत तीन आवश्यकतायें हैं। पहली यह कि विधान सभा का सचिवालय पूर्णरूप से सरकार से स्वतंत्र हो। दूसरी यह कि न्याय विभाग और कार्यपालिका विभाग अलग अलग हों यानी न्याय विभाग सरकार की दस्तन्दाजी से स्वतंत्र हो और तीसरी यह कि लोक सेवा आयोग ऐसा हो जिसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी को सन्देह न हो सके। मुझे यह कहते हुये दुख है कि इन तीनों दिशाओं में से एक में भी सरकार ने अभी तक अपने जनतान्त्रिक कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके द्वारा इस सदन को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९५६ में इसी सदन के अन्दर एक विधेयक आया था जिसमें यह मांग की गयी थी कि विधान सभा का सचिवालय पृर्णतया पृथक कर दिया जाय और उसमें अध्यक्ष महोदय को पूरे अधिकार दिये जायं। वह विधेयक उस समय सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। कुछ आशायें दिलाई थीं और कुछ आश्वासन दिये थे कि सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में वैसे ही कदम उठाये जांयगे। उस विधेयक के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये गये थे उनको लगभग २ साल हो गये हैं, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाया है इसके बारे में हम लोग और यह सदन अभी तक अन्धेरे में है। मैं चाहता हूं कि सरकार बतलाये कि यदि उसने कोई कदम उठाया है तो वह क्या है। अगर कोई कदम नहीं उठाया है तो क्यों नहीं उठाया है? सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के क्या माने होते हैं? इसका यह अर्थ होता है कि सरकार जनतन्त्र की दिशा में अपने कर्त्तव्य का पालन अच्छी तरह से नहीं कर रही है।

दूसरी बात लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में है। उसकी नियुक्तियां ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसकी निष्पक्षता के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो सके। कम से कम सत्ताधारी पार्टी या किसी पार्टी के किसी सक्रिय सस्दय का, उसका सदस्य, नियुक्त किया जाना सब प्रकार से अनुचित और आपत्तिजनक है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करे कि कम से कम भविष्य में वह इस प्रकार की कोई गलत कार्यवाही नहीं करेगी।

तीसरी बात न्याय विभाग और कार्यपालिका विभाग को अलग-अलग करने के सम्बन्ध में है । बहुत पुरानी बात है और हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस महासभा की २०, २५ और ५० वर्ष पुरानी मांग है किन्तु वह आज तक पूरी नहीं हुई । इसी विधान सभा में स्वराज्य पार्टी की हैसियत से ब्रिटिश शासन काल में हम दिन रात यह मांग करते रहे हैं कि न्याय विभाग और कार्यपालिका विभाग को अलग-अलग कर दिया जाय । हम उसको अब भूल गये हैं और दूसरी चीजों की तरह से उसका नाम भी नहीं लेते हैं । केवल १८ जिलों के अन्दर उसको प्रारम्भ किया गया है जो पूरा नहीं बल्कि नाममात्र को है । वहां केवल यह कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार न होकर कमिश्नर को अधिकार होगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जगह पर एक ऐडीशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा । उसको अधिकार होगा । इसमें भेद क्या है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है सिवाय इसके कि आधा दर्जन और छः का जैसे भेद होता है उसी तरह से यह है । शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन माने वही हैं । कलेक्टर और कमिश्नर में क्या भेद है ? उसका कार्य कैसे अलग हो जाता है ? यह समझ में नहीं आता है । इसी काम को जब कहा जाता है कि सारे प्रदेश में जारी कर दिया जाय तो उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि खर्चे १, २ जिलों में और इसको चालू करने की बात सोच रहे हैं । उस समय मैंने उनकी सेवा में निवेदन किया था कि क्या वे इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ४ वर्ष के अन्दर इसको पूरा कर दें ? इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था । इससे यह मालूम पड़ता है कि ५, ५ वर्ष बाद एक-एक जिला लिया जायगा । ३३ जिले बाकी हैं, तो १५० वर्ष लगेंगे । यह चीज जिस तरह से सरकार कर रही है वह पूर्णतया आपत्तिजनक है और निन्दनीय है ।

एक बात मैं और न्याय विभाग के संबंध में, आपकी आज्ञा से, कहना चाहता हूं । शिकायतें यहां तक हैं कि न्याय विभाग की कौन कहे, ट्रिब्युनल की नियुक्तियों में भी हमारी वर्तमान सरकार द्वारा दस्तन्दाजी की गयी है । मैं इस विषय में किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वह घटना बता देना चाहता हूं । एक जिले में जहां ट्रिब्युनल बना वहां पर वहां के डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन जज उसके सिंगिल मेम्बर मुकर्रर कर दिये गये । उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी और जब उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी तो उनको बीच में ट्रान्सफर कर दिया गया और ट्रान्सफर करके उनकी जगह पर एक दूसरे ऐसे आदमी को भेजा गया जिनका नाम एलेक्शन कमीशन की लिस्ट में भी नहीं था । उनकी नियुक्ति के बाद उनको यह अधिकार मिला और आरोप यह है एक पार्टी की तरफ से कि मिनिस्टर साहब से कह कर यह कार्य कराया गया । यह सर्वथा अनुचित है । इस संबंध में मैं यह भी कह दूं कि लोक सभा में इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ था और उसे वहां के अध्यक्ष महोदय ने इस बिना पर अस्वीकार कर दिया कि अभी यह प्रिमेच्योर है, अभी ट्रान्सफर आर्डर्स नहीं आये हैं । और इसका फल यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि जो डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन जज ट्रान्सफर कर दिये गये थे उन्हीं को इस मुकदमें का फैसला करने का हुक्म दिया गया । फरीकों को अपने जिले से दूसरे जिले में जाने का कष्ट हुआ और हानि उठानी पड़ी । तो इस तरह की दस्तन्दाजी कहां तक उचित है, इस पर सरकार विचार करे और मैं चाहूंगा कि न्याय विभाग के माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि यह आरोप जो लगाया जाता है कि एक पार्टी के कहने पर उन्होंने एक ऐसे आदमी को वहां उस काम के लिये भेजा कि जो उनके रिश्तेदार भी हैं, यह कहां तक सही है ? उन्हें इस आरोप से अपनी रक्षा करनी चाहिये और बताना चाहिये कि यह शिकायत कहां तक ठीक है ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं यह दरियाफ्त करना चाहत हूं कि यह कहां का वाकया है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह गोरखपुर जिले की घटना है। और बात पिछले साल के अन्त की है। आवश्यक है कि आप इसका स्पष्टीकरण कर दें।

अब मैं बजट की दो बातों के बारे में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सप्लीमेंन्टरी डिमांड्स जिस तरह से पेश की जाती है यह ही इस बात का प्रमाण है कि बजट सावधानी के साथ नहीं बनाया जाता। योजनाओं की दुहाई दी जाती है, लेकिन बजट के बनाने में किसी योजना से काम लिया जाता है या नहीं, इस बात में बहुत संदेह है। पूरी सावधानी के साथ बजट नहीं बनाया जाता। यह १२ करोड़ के करीब की सप्लीमेंटरी डिमांड्स हैं। मुझे याद है एक जमाने में, १९२४ में जब यहां लेजिस्लेटिव कौंसिल थी, कुल बजट १३ करोड़ का था। पहले जितने का कुल बजट होता था अब उतनी सप्लीमेंटरी डिमांड्स पेश की जाती हैं। इसी बात से साबित होता है कि बजट बनाने में पूरी सावधानी से काम नहीं लिया जाता। इससे ज्यादा भयानक बात यह है कि हाल की जो आडिट की रिपोर्ट है उसमें कई मदें ऐसी हैं---जिनमें यह कहा गया है कि एक्सेस डिमांड्स जितने लाख की पेश की गई है, उससे १५ दिन के बाद जब पूरा बजट सामने आया तो जितनी एक्सेस डिमांड्स थीं उससे ज्यादा की बचत हुई। १३ लाख रुपया एक्सेस डिमांड में मांगा गया था और १५ दिन बाद उसी मद में १५ लाख की बचत हुई, यानी २ लाख रुपया की ज्यादा बचत होने पर भी एक्सेस डिमांड पेश की गई थी, यह रिपोर्ट में है। इसलिये मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि असावधानी ही नहीं बल्कि गैरजिम्मेदारी के साथ बजट बनाया गया।

दूसरी बात यह है कि एक्सपेंडीचर पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल बहुत शिथिल है लेकिन इसकी शिकायत बारबार बहुत से मामलों में आती है। दो ही दिन पहले हमको लेखा-परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, सन् १९५७, मिली है, उसका भाग १ मेरे हाथ में है। इसके अध्याय १ में वित्तीय अनियमितताये, हानियों, आदि के वर्णन बहुत मजेदार बात है। एक कोल्ड स्टोरेज और आइस कम्पनी को, जो कि प्राइवेट कम्पनी थी, अप्रैल, १९४९ में ढाई लाख रुपया कर्जा इस शर्त पर दिया गया था कि ४ साल की बराबर की ४ किस्तों में वह अदा करना होगा। १९५३ तक यह अदा हो जाना चाहिये था। लेकिन १९५७-५८ तक एक पैसा वसूल नहीं हुआ है और १ लाख २० हजार रुपया व्याज का हुआ जिसमें से भी कुछ वसूल नहीं हुआ है। यह भी इसमें लिखा है कि सरकार ने मई, १९५५ में बन्धक रखी हुई सम्पत्ति की बिक्री द्वारा ऋण और ब्याज की वसूली के लिये आदेश जारी किये किन्तु वे आदेश बिना किसी लिखित कारणों के अक्तूबर, १९५५, में स्थगित कर दिये गये। कितनी मजे की बात है। किसी भी सरकार की कीर्ति के लिये यह कहां तक उचित है, इसका विचार मैं सरकार और सदन के ऊपर छोड़ता हूं।

इसी तरह से तीसरा आइटम यह है कि सरकार को देय धनराशियों को वसूल नहीं किया जाता और उन्हें बट्टेखाते में डाल दिया जाता है। यह भी लिखा है कि निजी व्यक्तियों, सोसाइटियों, इत्यादि को ट्रक्टर की सेवायें प्रदान करने के अभिप्राय से राज्य सरकार ने १९४६-४७में ट्रैक्टर संगठन स्थापित किया था। राज्य सरकार ने २१ दिसम्बर, १९४९, के एक आदेश में यह निर्धारित किया था कि की गई सेवाओं के व्यय को किसानों से तीन किस्तों में व्याज रहित तकावी ऋणों के रूप में वसूल किया जाना चाहिये। यह क्या खूबी की बात है कि एक पूंजी पति पर ढाई लाख रुपया कर्जा और उसका सवा लाख व्याज बाकी है और जब बाद में वसूली का आर्डर निकाला गया तो वह भी बिना लिखित कारणों के रद्द कर दिया गया। दूसरी ओर किसानों से एक मुश्त वसूल करने का आदेश होता है। पूंजीपतियों के साथ यह रियायत और किसानों के साथ यह ज्यादती है। यह कहां तक सरकार को शोभा देता है, इसे अध्यक्ष जी, आप और सरकार स्वयं सोचें। ट्रैक्टर सेवा के लिये किसान से रुपये का भुगतान अग्रिम मांगा जा रहा है। इन आदेशों के बाद भी १९४६ से १९५४ के वर्षों का १,१२,४८३ रुपया निजी पक्षों से वसूल नहीं किया गया। यह सरकार का कंट्रोल है। यह सिद्ध करता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उससे टैक्स के रूप में वसूल करके कैसे बरबाद किया जाता है। निरर्थक व्यय की लेखा रिपोर्ट मेरे पास नहीं है नहीं तो मैं उसमें से बतलाता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या कोई आपके सामने पीठ करके सदन में बात कर सकता है, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—जी, हां । परन्तु वह सज्जन मेरे और बोलने वाले के बीच में नहीं होना चाहिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इनफ्रक्चुअस ऐक्सपैंडीचर का हर लेखा रिपोर्ट में जिक्र होता है । लेकिन अभी तक उसमें कोई कमी नहीं हुई है । पशुपालन विभाग का एक ऐसा उदाहरण है । समय कम होने से हर एक को लेकर मैं नहीं पढ़ता हूं ।

सातवां आइटम है कि बजट अनुदान को लैप्स होने से बचाने के लिये रुपया मार्च में अनाप शनाप निकाला जाता है । परिवहन विभाग संबंधी आठवीं आइटम भी ऐसी है । एक डिजेल आयल टैंक १९५३ में लगाया जाता है । यह कहा गया कि ३,००० गैलन की क्षमता का है, लेकिन उसको मौके पर जाकर अप्रैल, १९५५ में देखा गया, २ साल के बाद वैरीफिकेशन किया गया, इस तरह की शिकायत बहुत सी बातों में आती है कि वैरीफिकेशन ठीक समय से न होने पर सरकार को लाखों रुपये का नुकसान होता है और गबन हो जाता है । उसका जिम्मेदार व्यक्ति नौकरी छोड़कर चला जाता है और पुलिस को उसका पता भी नहीं चलता है । ऐसा ही इस संबंध में भी हुआ । इसमें ९,००० गैलन की कमी पाई गई जो १३,४४५ रुपये का होता है । यह कह दिया गया कि पाइप लाइन चूने लगी इसलिये यह हानि हो गई ।

इन बातों से सिद्ध होता है कि न तो बजट सावधानी से बनाया जाता है और न खर्चे पर कोई कंट्रोल है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर अधिक ध्यान देगी और संबंधित विभागों से अच्छी तरह से काम लेगी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५७–५८ का मूल बजट १०८ करोड़ रुपये का था और यह १२ करोड़ का है, तो १२० करोड़ रुपया इस प्रदेश में १९५७–५८ में खर्च करने के लिये इस प्रदेश की सरकार को हमने दिया । इस १२० करोड़ रुपये में हम ५७–५८ में क्या पाये हैं, इस पर आज राय जाहिर करने की स्थिति में हम हैं । हमें क्या मिला ? एक तो यह मिला कि चोरी, डकैती और कत्ल जितने पहले होते थे उनसे ५७–५८ में ज्यादा हुए हैं ।

दूसरे सिंचाई विभाग को लीजिये । आज भी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अनुदान संख्या १० के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के संबंध में कुछ रुपये की मांग की है । किसी मुकदमें में डिग्री हो गयी और सरकार को उसका रुपया अदा करना है । मैं इसके साथ ही साथ आपका ध्यान लेखा परीक्षा रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं । इस प्रस्तावित वर्ष में १९,३९,१०,०७९ रुपये की रकम का वाउचर सर्टीफाई नहीं हुआ । बार-बार आडट आफिस से लिखा गया लेकिन सिंचाई विभाग से वाउचर सर्टीफाई नहीं हुए । इर्रीगेशन विभाग के तहत ही हाइडेल विभाग भी है उसके भी १३,८६,९०,८३९ रु० के वाउचर सर्टिफाई नहीं हुए और यह सिंचाई विभाग बार-बार हमसे रुपया मांगता चला जाता है । रिहन्ड डैम से लेकर जितनी भी छोटी-मोटी योजनायें हैं, जिनके बारे में मुझे माननीय मंत्री जी से बातें करने का मौका लगा । वह १२–१५ करोड़ रुपये की स्कीम्स को लेकर बैठे हुए थे । मैंने कहा कि फैजाबाद से आगे सरयू और नारायणी आदि से जो कटाव होता है, उसके बचाव की कोई स्कीम लाइये तो उन्होंने कहा कि उसके लिये और रुपया दीजिये । रुपया लेते जाते हैं, खर्चा करते जाते हैं लेकिन सरयू, राप्ती और नारायणी नादियों द्वारा जो कटाव होता है, उससे जो ५० हजार लोग बेघरबार हो गये हैं उनका कोई प्रबन्ध नहीं मालूम होता है । पता नहीं उनके लिये उन्होंने कोई अनुदान मांगा भी है या नहीं ? जब हम लोग इस प्रकार की मांग करते हैं तो ट्रेजरी बेंचेज के लोग कहते हैं कि वहां कोई खास बात नहीं है और वहां पर सिंचाई योजना ठीक से चल रही है । जितनी अव्यवस्था और फिजूलखर्ची इस विभाग में है उसको देखते हुए, एक पैसा भी

[श्री उग्रसेन]

सिंचाई विभाग को नहीं देना चाहिये। सिंचाई विभाग में जो यह फिजूलखर्ची हो रही है और इतनी बड़ी रकम के वाउचर्स सर्टिफाई नहीं हुए हैं उनके बारे में एक जुडीशियल इन्क्वायरी कमेटी बैठायी जाय। वह देखे कि किस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है।

अकाल मंत्री की ओर से अब एक दुर्भिक्ष विभाग खोला गया है। हम बार-बार कहते हैं कि एक मुट्ठी चना दे देने से अकालग्रस्त क्षेत्रों की समस्या हल होने वाली नहीं है। वहां की गरीबी और भुखमरी को मिटाने का कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिये। आज देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती में जो भुखमरी की घटनायें हो रही हैं, क्या सरकार उसकी जांच करने के लिये एक जुडीशियल इन्क्वायरी कमेटी बैठाने की कृपा करेगी जिसका चेयरमैन हाईकोर्ट के जज के रैंक का हो? क्या सरकारी विभागों में इसके बारे में जो जानकारी है, उसके बारे में कोई जांच करायेगी? मैं तो, श्रीमन्, यह कहता हूं कि अगर हाईकोर्ट के जज नसीरुल्ला बेग साहब और अग्रवाल जी जैसे उसके अध्यक्ष होंगे तो उसकी जो भी जांच की रिपोर्ट होगी, उस से हमें अवश्य ही संतोष होगा। मगर यह सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। यह मानकर भी कि आम की गुठली खाने के बाद ही एक बुढ़िया की मृत्यु हुई, फिर भी सरकार असलियत पर पर्दा डालना चाहती है। एक ओर तो वहां पर इतने लोग भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ यह सरकार मौज कर रही है। आज मजा उड़ाते हैं और जब गर्मी की छुट्टी हो जायगी तो नैनीताल और मंसूरी में जाकर हमारे मंत्रिगण मजा उड़ायेंगे।

श्रीमन्, जेल के सिलसिले में भी कुछ मांग की गयी है, कहा गया है कि कैदियों की संख्या बढ़ गयी है जिससे ज्यादा खर्च हो रहा है। मैं जेल फार्म्स के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं। बहुत से तो जेल फार्म्स ऐसे हैं जहां सिंचाई के लिये पानी तक की व्यवस्था नहीं है। देवरिया जेल फार्म के लिये हमने कोशिश की कि वहां ट्यूबवेल बना दिया जाय लेकिन यह नहीं किया गया। जहां तक बीज की हालत है, सरकार के कृषि विभाग की ओर से यह आदेश है कि अच्छे किस्म के बीज मंगाये जाये और नये किस्म की तरकारियां व सब्जियां बोयी जायं, मगर वे अधिकारी नये किस्म के बीज नहीं मंगाते। वहां तो सन् १८५७ के समय के ही पुराने २ जेलर बैठे हैं जो हथकड़ी बेड़ी लगा कर, मार-मार कर और ह्विपिंग के जरिये ही काम लेते हैं। हम लोगों की, सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की तो आज जेलों के अन्दर बड़ी ही दुर्गति है। देवरिया में १००, १५० और गोरखपुर के सरदार नगर में ७०,७५ आदमियों को गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया है। उनको मार-मार कर जेलों में ले जाया जाता है। आज जेल का जो काला कानून है, चाहे प्रिजनर्स ऐक्ट हो या और कोई ऐक्ट हो, जब तक इस काले धब्बे को नहीं हटाया जायगा तब तक जेलों में गड़बड़ी होती ही रहेगी। मैं तो कहता हूं कि इस किस्म के जो जेलर्स हैं, उनका फोर्स्ड रिटायरमेंट अगर गवर्नमेंट करा सके तो बहुत अच्छा हो। श्रीमन्, मैं क्या कहूं, जो जेल सुपरिंटेंडेंट होते हैं, वे तक तरकारियों की चोरी करते हैं। जेल मैनुअल में है कि जेल सुपरिंटेंडेंट १० रु०, जेलर ५ रु०, असिस्टेंट जेलर ५ रु० महीना जमा करेगा और जेल फार्म से तरकारियां ले सकेगा और जो सब्जियां बच जायेंगी वे वार्डर्स के अन्दर मुफ्त बांट दी जायंगी, लेकिन अगर सी० आई०डी० के जरिये जांच करायी जाय तो मालूम हो जायगा कि ७५ फीसदी जेल सुपरिंटेंडेंट या जेल अधिकारी जेल मैनुअल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वे सब जेल की तरकारियां चोरी करके ले जाते हैं, वे तरकारियों के लिये रुपया जमा नहीं करते हैं। बहुत जगह तो सिविल सर्जन ही जेल सुपरिंटेंडेंट हैं जो १,२००, १,३०० रुपये तनख्वाह पाते हैं, लेकिन तरकारियां चोरी करके जेल फार्म्स से ही ले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को जेल की हालत को सुधारना चाहिये।

श्रीमन्, दो शब्द मैं रोडवेज विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं। श्रीमन्, यहीं पर एक प्रश्नोत्तर के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि हाई स्कूल पास कंडक्टरों की तनख्वाह बढ़ायी जायगी और उसकी शुरुआत ६४ रु० से होगी। लेकिन

मुझे मालूम हुआ है कि अभी तक रोडवेज विभाग ने एक भी कंडक्टर को बढ़ा हुआ रुपया नहीं दिया है। हम लोगों से बजट पास भी करा लिया गया लेकिन अभी तक वह रोडवेज विभाग में ही पड़ा हुआ है। १०० रु० से कम तनख्वाह पाने वाले कंडक्टरों और ड्राइवरों के लिये भी ५ रु० तनख्वाह बढ़ाने की बात तय हुई थी, लेकिन किसी को भी बढ़ा हुआ रेट अभी तक नहीं मिला।

गाड़ियों की हालत यह है कि आज ट्रांसपोर्ट विभाग के पास बहुत सी गाड़ियां जमा हो गयी हैं। कलेक्टर्स की गाड़ियां जेनरल मैनेजर के पास हैं, तो अब उनके दोस्त लोग उन गाड़ियों का इस्तेमाल खूब ठाट से कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो बहुत सी जीप गाड़ियां या और तरह की गाड़ियां पड़ी हुई हैं।

जिन कंडक्टर्स को गलत तरीके से निकाला गया है, जिनकी रिट्स भी हाईकोर्ट में चलती है और अगर वह रिट जीत जाता है तो उसको एक महीने के लिये लाइन पर भेज दिया जाता है और जब वह ड्यूटी करने लगता है तो एक महीने के बाद ही उसे नोटिस दे दी जाती है कि अब तुम्हारे सर्विस की कोई आवश्यकता नहीं है। गोरखपुर रीजन में ऐसे कई केस हुये हैं। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट ने एक रीजनल सेलेक्शन कमेटी बना दी है जिसको हिटलरशाही अधिकार दे दिया गया है। जो १० साल से सर्विस में हैं, उनको भी वह कमेटी एक महीने की नोटिस पर निकालने का आर्डर दे सकती है और दे देती है।

यह कहा गया है कि पेट्रोल की टंकी से इतना पेट्रोल चू गया, लेकिन मैं पूछता हूं कि पेट्रोल के साथ कितने आफिसर्स चू गये? श्रीमन्, इस तरह से रीजनल सेलेक्शन कमेटी को इतना बड़ा अधिकार देना किसी तरह से भी उचित नहीं है। आज रोडवेज विभाग में १० हजार कर्मचारी हैं। दस साल के अन्दर वह १,२००, १,३०० और १,५०० रुपये से शुरू हुआ और आज ८४ लाख रुपये का ग्रास प्राफिट होता है और बराबर हर साल इतना प्राफिट होता है। आज ट्रांसपोर्ट विभाग में जितनी गाड़ियां हैं उन पर जितना पैसा लगा है मेरा ऐसा अन्दाज है कि वह पैसा ५९–६० तक वसूल हो जायगा, मैं जानना चाहता हूं और मंत्री जी उसके आंकड़े बतायें। आज जगह-जगह ट्रांसपोर्ट कंडक्टर मारे-मारे फिरते हैं और उनसे माइलेज का और दुनिया भर का हिसाब मांगा जाता है, १५४ मील एक ड्राइवर चलता है। वह कहीं पर किसी वक्त भी पहुंचता है तो उसके रहने के लिये और खाने के लिये कोई इंतजाम नहीं है और उसको बात-बात पर चार्जशीट दिया जाता है। उसकी हालत अवध के टेनेन्ट्स ऐट विल की तरह हो गई है कि जरा नवाब साहब या ताल्लुकेदार ने चाहा उसे निकाल दिया। मेरा यही नम्र निवेदन है कि यदि आज रोडवेज से करोड़ों का लाभ है तो कृपा करके मंत्री जी इन गरीबों का भी ध्यान रखें जिनके द्वारा यह विभाग चल रहा है। आज इस विभाग पर १२० करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। आज हमें ट्यूबवेल्स का पानी नहीं मिलता, जेल के सुपरिंटेंडेंट और अफसरों द्वारा लौकियां चुराई जायं, आज ट्रांसपोर्ट के कंडक्टर्स के साथ ज्यादती होती है, मुकदमा जीतने के बाद भी उनको पैसा नहीं दिया जाता और फिर उनको निकाला जाता है। हर जगह अव्यवस्था है। जब तक सरकार स्वयं अपने खर्च पर कंट्रोल नहीं करेगी, जब तक उसकी फजूलखर्ची कम नहीं होगी तब तक हमें एक पैसे का भी अनुदान स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं इस से असहमत हूं कि कोई भी रकम सरकार को दी जाय। अतः मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से भी चाहता हूं कि वह इसका समर्थन करे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक बजट सरकार की ओर से आया है मुझे इस का विरोध है। मैं देख रहा हूं कि सरकार की एक नीति सी हो रही है कि मूल बजट घाटे का बनाओ और जितना घाटा उसमें हो फिर उतना ही सप्लीमेंटरी बजट के नाम पर लाकर रख दो। सप्लीमेंटरी बजट तो तब आते हैं जब कोई ऐसा विशेष खर्च आ जाय जो करना राज्य सरकार के लिये अनिवार्य हो और उसके लिये किसी प्रकार का स्थान मूल बजट में न हो और वह उसे करना पड़े। तभी सप्लीमेंटरी बजट आना चाहिये। लेकिन यहां तो इसका एक रोग सा हो गया है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

आप देखें कि एक सिम्बालिक ग्रांट १०० रुपये की खोली गई। मैं पिछली बार का उदाहरण दूं कि दिल्ली में मकान खरीदने के लिये १०० रुपये की सिम्बालिक ग्रांट रखी गई और वहां प्लाट खरीदा गया एक लाख ७४ हजार का। मकान बनेगा साढ़े सात लाख रुपये का यह इकानामी होती। बड़ी बढ़िया इकानामी है। यह तो रुपये की सुखवन है। सिम्बालिक ग्रांट की ओट में सुखाया जाता है। इस प्रकार सप्लीमेंटरी लाना इस बात का द्योतक है कि सरकार के मस्तिष्क में इस बात की कल्पना ही नहीं है कि हमें करना क्या है। कल्पनाविहीन विचार होते जाते हैं। जैसी ब्रेन वेव आयी, वह बात रख दी। अगर दूसरी ब्रेन वेव आ गयी, तो उस समय कुछ और समझ में आ गया, तो दूसरी ग्रांट बना कर रख दी। आप को चाहिये था कि विचार कर लेते अच्छी तरह, अपनी कल्पना और योजना तैयार करके निश्चित करके तब रखते। कोई युद्ध काल है जिसमें आपको विशेष खर्चा करना पड़ा, जिसके लिये सप्लीमेंटरी ग्रांट मांगते हैं? मुझे आश्चर्य हुआ। जो सप्लीमेंटरी ग्रांट का एक्सप्लेनेशन है इसमें बहुत सी मदें ऐसी हैं जो न्यायालयों की डिग्री के रूप में सरकार को देनी पड़ रही हैं। अब प्रश्न यह है कि डिग्री क्यों दे रहे हैं। कहीं किसी का पेड़ किसी के हाथ बेंच देते हैं। वह दावा करता है उसकी डिग्री देनी पड़ती है। कहीं लैंड एक्वीजीशन में तीन हजार रुपया दिया जाता है। जब दावा होता है तो १४ हजार रुपया देना पड़ता है। इसी बजट के अन्दर श्रीमन्, जो न्याय प्रशासन की ग्रांट है, इसमें जो इन्होंने बढ़ा कर रुपये की मांग की है वह ७६ हजार ३ सौ शेष धन है। इसके लिये कह सकते हैं कि मुकदमें बहुत बढ़ गये, सिविल नेचर के मुकदमे बढ़े। क्यों बढ़े? इसका अर्थ यह हुआ कि जो अफसर एक्वीजीशन करता है या जो कंट्रैक्ट करता है, या ठेका देता है, उसको स्वयं पता नहीं कि क्या वह करता है। वह गलत रास्तों से करता है। आपके बहुत से ऐक्शंस का परिणाम यह हुआ है कि कचहरी में जाना पड़ा। वहां न्याय मिला और आपके सारे ऐक्शंस को कंडेम किया गया और उनकी डिग्री आपके सिर पर सवार है। इसका सीधा अर्थ यह है कि या तो एक्वीजीशन करने वाला अफसर इनकाम्पीटेंट है या किसी और दृष्टि से इतना कम मुआवजा लगा देता है कि उस आदमी को जबरदस्ती मुकदमा लड़ना पड़े। दोनो बातें आपके लिये अनुचित हैं।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सरकार का बड़ा दक्ष कानूनी विभाग है, ऐडवोकेट जनरल से लेकर बड़े-बड़े वकील हैं। बनारस में एक स्कूल का कंट्रैक्ट है, जिसका नाम सरस्वती खत्री विद्यालय है। उसके लिये भूमि एक्वायर की गयी। शिक्षा के लिये एक्वायर की गयी, अच्छा था। उसके एक्वीजीशन का दाम स्कूल को देना चाहिये। परन्तु उसका दाम सरकार दे रही है और सरकार कहती क्या है जो दावा हुआ, इनके अधिकारी ने उसका मूल्यांकन ३,४७७ रु० किया। कचेहरी में दावा हुआ। जज ने कुल १९,५५६ रु० की डिग्री दी। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, "इस विद्यालय के प्राधिकारियों ने इस बढ़ायी गयी धनराशि का भुगतान नहीं किया यद्यपि भूमि प्राप्त करने के समय उनके तथा सरकार के मध्य किये गये संविदा के अनुसार वे प्रतिकर की समस्त धनराशि को सरकार को भुगतान करने के लिये बाध्य थे। यदि इस विद्यालय के प्राधिकारीगण इस धनराशि का भुगतान करना अंतिम रूप से अस्वीकार करते हैं तो इस धनराशि को वक्त विद्यालय की देय वार्षिक अनुरक्षण अनुदान से थोड़ा थोड़ा काट कर वसूल कर लिया जायगा।"

अब जरा विचार करें श्रीमन्, जब यह पैसा ग्रांट से कटेगा तो परिणाम क्या होगा? सारे स्कूल ग्रांट्स के आधार पर अपने मास्टरों को तनख्वाह देते हैं। अगर यह पैसा ग्रांट से काटेंगे तो उसी मात्रा में मास्टरों की तनख्वाह भी कम होगी। अक्लमंदी इन की और परिणाम मास्टरों को भुगतना पड़ेगा। अक्लमन्दी की बधाई है। विश्व में अद्वितीय उदाहरण है। श्रीमन्, अपनी अक्लमन्दी का दोष मास्टरों के मत्थे थोपते हैं।

जो इनकी आडिट रिपोर्ट है इसमें आप देखें तो स्थान स्थान पर एक ही बात पायेंगे, डिफ्लेक्शन आफ पब्लिक मनी। इस तरह का अपव्यय, अगर चैरिटेबिल शब्द का प्रयोग करूं तो ठीक होगा। सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज मुझको लगी कि एनिमल हस्बैन्डरी में श्रीमन्, पैश्चराइजेशन प्लांट एक लाख रुपये का खरीदा गया। १९४९ तक इसका कोई उपयोग नहीं है। १९५१ में ७३ हजार रुपये का इरेक्शन का बिल। टका की बुलबुल, नौ टका उड़ाई। एक लाख का प्लांट और ७३ हजार रुपया उसकी लगवाई। एक छोटी सी कहानी इस संबंध में कह दूं। एक सज्जन थे सईदन खां। जब उनके यहां सामान खरीदा जाता था तो अगर पांच रुपये का पान है तो हिसाब में लिखा जाता था––पांच रुपये पान वाले को, पांच रुपये पान की दूकान को, पांच रुपये पान के। एक ही चीज के तीन जगह मूल्य। प्लान्ट की एरेक्शन के साथ कास्ट होनी चाहिये। जब यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी १९५५ में, लोकल एकाउन्ट आडिट द्वारा, तो भी १९५७ तक जवाब नहीं दिया। जिस सरकार के अन्दर दूध देने वाली गाय भी छू मंतर से गायब हो जाय, तो अगर दूध के प्लान्ट के बारे में कोई जवाब न आये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमन्, दूसरा, इस विभाग में एक जनरेटर खरीदा गया, मैं उदाहरण के लिये कह रहा हूं, २० हजार रुपये का जनरेटर प्लांट खरीदा गया, उसके स्पेयर पार्टस भी खरीदे गये, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ और उपयोग न होने के कारण आडीटर स्वयं कहता है कि २३ हजार रुपया सारा इन्फ्रक्चुअस हो गया। भगवान जानें किसकी बुद्धिमानी का यह परिणाम है? सभी विभागों में एक ही चीज दिखाई पड़ती है। यह आडिट रिपोर्ट जो है श्रीमन्, इसको हम यह कह सकते हैं कि इट इज ए सौरी टेल आफ डिफ्लेक्शन ऐंड मिसएप्रोप्रियेशन आफ पब्लिक मनी। (It is a sorry tale of deflection and misappropriation of public money) १६४ केसेज आडीटर ने पकड़े, डिफ्लेक्शन आफ पब्लिक मनी के और सबसे पुराना जो केस था वह सन् १९४६ का था। १२ वर्ष तक सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने चिन्ता तक नहीं की और बड़े मजे की बात श्रीमन्, यह है कि लोग पैसा खाते हैं और फिर पाकिस्तान चले जाते हैं। इसी के अन्दर दिया हुआ है सरकार कहती है क्या करें? इसको ठीक समय पर क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं उनको पकड़कर जेल में रखा? क्यों नहीं मुकदमा चलाया? १२ वर्ष से आप उसका जवाब नहीं देते हैं। जब आपका यह हाल है, आपका यह प्रबन्ध है तो उसके ऊपर आप हमसे यह कहें कि सप्लीमेंट्री बजट १२, १३ करोड़ का पास करो, तो हम कैसे विश्वास आपके ऊपर करें।

दूसरा देखें श्रीमन्, आउटस्टैंडिग आबजेक्शंस जो हैं आडिट के, एक एक विभाग की लिस्ट दी है। मैं सारी लिस्ट तो नहीं पढ़ूंगा। केवल विद्युत विभाग की पढ़ूंगा। १३ करोड़ रुपये के आउट स्टैंडिग आडिट के आबजेक्शंस हैं जितने कि आप सप्लीमेंटरी बजट चाहते हैं। बड़ा एफिशियेंट डिपार्टमेंट मालूम होता है। ऐसे ही श्रीमन्, कितने ही डिपार्टमेंट भरे हैं। विभागशः लिस्ट दी हुई है। पेज ९ पर श्रीमन्, ११८ आबजेक्शं हैं और आइटम्स हैं १४१०। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स पर १०७ आबजेक्शंस हैं और आइ टम्स हैं २०३३। इस प्रकार एक बड़ी लम्बी चौड़ी लिस्ट है। इसका अर्थ यही हो सकता है कि सरकार को जिस प्रकार चाहिये था कंट्रोल करके एडमिनिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक चलानर वह उसका कंट्रोल नहीं है। इसके अधिकारी आज इसके सिर पर हावी हैं। उनसे सरका गलतियों को ठीक करा नहीं सकती है। जो प्रश्न किये जात हैं उनके उत्तर भी वह ठीक समय से नहीं देते हैं। कहां तक कहा जाय इट इज ए सौरी रेकर्ड आफ इनकाम्पीटेंस आफ दिस गवर्नमेंट (It is a sorry record of incompetence of this Government)।

श्रीमन्, आप देखें कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। इन सारे डेफिसिट बजट्स और सप्लीमेंट्री बजट्स का परिणाम यह हो रहा है कि आज आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। आपकी आडिट रिपोर्ट में ही कहा गया है कि वर्ष में ५०,८६.४९ रुपये का डेट बढ़ गया है। ६.६ से यह डेट बढ़ करके ६.८ हो गया। फिर एक एक विभाग में, १३, १३ करोड़ का आब्जेक्शन। इसका परिणाम यह होगा कि एक दिन इस सरकार को भी

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

टाट उलटकर बैंक्रप्सी कोर्ट के अन्दर जाना पड़ेगा। अन्त में मैं एक ही बात कहूंगा कि यह जो सारी गलतियां दिखाई पड़ रही हैं उनसे हमें क्या विश्वास होता है? हमसे कहते हैं कि पैसा दो। किस विश्वास पर हम आपको पैसा दें? क्या हमको विश्वास दिला सकते हैं कि आप उसका सदुपयोग करेंगे? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि घोषणायें बड़ी ऊंची-ऊंची होती हैं मगर कार्य उनके अनुसार नहीं होते हैं। उसके अन्दर ऐसा प्रयास करते हैं कि कैसे उनसे निकल जायं। इकानामी का हल्ला होता है और खर्चा होता है ज्यादा। इकानामी अगर होती भी है तो दो, चार चपरासी निकाल दिये या दो, चार क्लर्क बरखास्त कर दिये। जहां इकानामी करनी चाहिये वहां नहीं करते। तो श्रीमन्, हमें तो शक है कि सरकार की जो यह पैसे की मांग है उसका वह ठीक से सदुपयोग नहीं करेंगे, विपरीत अपव्यय करेंगे। जिनके द्वारा यह अपव्यय हुआ है, उन लोगों के प्रति उचित कदम आपने नहीं उठाया है, जब तक इसका व्यावहारिक चित्र हमें नहीं मिलता तब तक हम आपके इस सप्लीमेंटरी बजट की रकम को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। तो व्यावहारिकता और इकानामी के आधार पर जो जनता के टैक्स का पैसा है उसकी मांग की जाय तो मैं मान सकता था, सप्लीमेंटरी बजट की आवश्यकता है, लेकिन जिस प्रकार से अपव्यय का रूप खड़ा हुआ है और जिस प्रकार जनता के प्रति आपकी एक मौन उदासीनता है उस समय तक यह मांग अनुचित है।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से मांग करूंगा कि इस सप्लीमेंटरी बजट को तब तक पास न करें जब तक सरकार प्रत्यक्ष एफिश्येंसी का स्वरूप सामने खड़ा न करे।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरक बजट, सदन में उस समय उपस्थित हो रहा है जब एक दिन बाद ही हम नये वर्ष के नये बजट पर विचार करेंगे। श्रीमन्, इस वर्ष में इस पूरक बजट को मिला करके लगभग १२० करोड़ रुपया हमने प्रदेश में खर्च किया है। लेकिन इतनी रकम खर्च करने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कोई दृढ़ता नहीं आई, बल्कि वह दिन प्रति दिन गिरती ही जा रही है। प्रदेश के पूर्वी आंचल में आज भी भुखमरी हो रही है और आज भी वहां से इस बात के समाचार नित्य आ रहे हैं कि वहां की भूखी जनता, वहां की परेशान जनता, चोरी, डकैती की शिकार हो रही है। इसके बाद भी सरकारी कर्मचारी लगान की वसूली में जिस निर्दयता के साथ जितनी सख्ती कर रहे हैं उसे देखकर दिल दहल जाता है। श्रीमन्, किसी भी प्रजातंत्रीय सरकार के लिए, किसी भी समाजवादी कही जाने वाली सरकार के लिये यह अच्छी बात है कि ज्यादा रुपया खर्च किया जाय और उससे उन्नति हो सके और हमारा बजट और भी अधिक हो तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। लेकिन एक तरफ जहां बजट बढ़ता जाता है दूसरी तरफ प्रदेश उतना ही गरीब होता जाता है और प्रदेश की जनता की गरीबी और मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। इसका कारण यह है कि जो योजनाएं हैं वह अनियोजित हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है कि इससे जनता से जो रुपया टैक्सों के द्वारा वसूल किया जा रहा है वह बढ़ रहा है, उसकी लूट मची हुई है---और दूसरा क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

श्रीमन्, यह पूरक बजट जो प्रस्तुत किया गया है इसमें कुछ मदों की तरफ मैं यह ध्यान, आप के जरिये वित्तमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बजट में जेल के लिये करीब १८,८४,००० रुपये की मांग की गयी है और कहा गया है कि जेल में खर्चा बढ़ गया है। सब से अधिक लज्जाजनक बात किसी प्रजातंत्रीय सरकार के लिये जो होती है वह तब होती है कि जब किसी स्वतंत्र देश में जेलों और कैदियों की तादाद बढ़े। कैदियों की तादाद बढ़ना क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि सरकार जो है उसके अन्दर बदमाशों की संख्या बढ़ रही है, सरकार राजनीतिक उद्दंडता का हथियार ग्रहण करती है और लोगों के ऊपर अत्याचार और जुल्म के हथकंडे अख्तियार करती है। श्रीमन्, साथ ही इतना रुपया खर्च करने के बाद भी जेल की दशा न सुधरे, हममें से जो अधिकांश माननीय सदस्य जेलों का मुआयना

करते हैं, उन पर यह बात साबित है, उन पर यह विदित हो गया है कि जेल की हालत आज ब्रिटिश हुकूमत की जेलखानों से भी बदतर है। मैं आजमगढ़ जेल के बारे में भी बतलाऊं। वहां पर मैंने पिछले महीनों में दो बार जेल का मुआइना किया। जिस प्रकार का खाना कैदियों को दिया जाता है, जिस प्रकार की सड़ी हुई रोटी, चावल व सब्जी दी जाती है उसे देख कर दिल भर आता है। इतना बदतर खाना पशुओं को भी नहीं दिया जाता होगा। मैंने जेल के मुआइने में लिख कर जेल अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपनी असमर्थता बतलाई। उन्होंने कहा कि हमने बार-बार सरकार को लिखा कि जेल में कैदियों की तादाद बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम है उनकी तादाद बढ़ाई जाय। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इस बात पर भी दुख है कि जेल के अन्दर कैदियों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जेल अस्पताल में जो मरीज थे, मैंने आजमगढ़ जेल अस्पताल का मुआयना करते हुये देखा कि दो मरीज उनमें टी० बी० के भी थे। इस प्रकार दूसरे मरीजों की जिन्दगी के साथ वहां खिलवाड़ हो रहा था। सिवा इसके कोई चारा नहीं था कि उनको जमानत पर छोड़ा जाता, मेरे लिखने पर उनको जमानत पर छोड़ा गया।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, जेल के अन्दर न तो पुस्तकालय हैं और न वाचनालय हैं। जेल के अन्दर जो पुस्तकें हैं वे पुराने जमाने की हैं जिनसे आज के कैदी को कोई भी शिक्षा नहीं मिल सकती, न उसका कोई सुधार ही हो सकता है। सस्ती और बाजारू चलती हुई पुस्तकें जेल में मिलती हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इधर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? सरकार एक तरफ तो जेल कैदियों का सम्मेलन करती है और प्रचार करती है कि वह जेल की स्थिति में सुधार करना चाहती है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि दशा बड़ी दयनीय है। सिवाय इसके, यह कहा जाय कि सरकार लाखों आदमियों को जेलों में बन्द करके उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करती है, और कोई दूसरा नतीजा नहीं निकाला जा सकता।

श्रीमान् जी, शिक्षा के अनुदान में २,०८,८०० रुपये की धनराशि सरकार को इसलिये चाहिये कि भारत सरकार से एक शिक्षा सर्वेक्षण योजना चली हुई है, सरकार उसे प्रदेश में चालू कर रही है, इसलिये इस रुपये की जरूरत पड़ी। यह योजना प्रदेश के हर जिले में चल रही है। जिस प्रकार से इस योजना में अपव्यय हो रहा है उसे देख कर तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस मद में इतने रुपये की स्वीकृति सदन दे। श्रीमन्, जिले के शिक्षा अधिकारी स्वयं इस बात को मानते हैं कि यह बिल्कुल अपव्यय है, इस योजना से कोई लाभ शिक्षा पद्धति में या प्रदेश की मौजूदा शिक्षा की हालत में नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि प्रदेशीय सरकार ने एक योजना चालू कर दी है इसलिये मजबूर हो कर उन्हें यह काम करना पड़ रहा है। स्कूलों में कितने बच्चे हैं, एक स्कूल की दूसरे स्कूल्स से कितनी दूरी हैं इसका सर्वेक्षण, दो-दो बार करने पर भी गलत सिद्ध होता है और उसे फिर से कराया जाता है। सरकारी विभागों का आपस में कोई सहयोग नहीं होता। शिक्षा विभाग से स्थानीय माल विभाग और पंचायतें सहयोग नहीं करतीं, जिससे ज्यादा अधिकारी रखने पड़ते हैं और खर्चे में भी २–३ गुना वृद्धि होती है। अगर आपस में सहयोग होता तो योजना ठीक से चलती, सही सर्वेक्षण भी होता और कम खर्चे में योजना पूरी होती। लेकिन असहयोग के कारण उस पर अपव्यय हो रहा है और योजना की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं इस मद पर किये जाने वाले खर्च का विरोध करता हूं।

श्रीमन्, कृषि इंजीनियरिंग के लिये भी इसमें रुपया मांगा गया है। पिछले कई वर्षों से लगातार इस बात की आवाज हम लोग उठाते रहे हैं कि सरकार का जो कृषि विभाग है इसका जो रिसर्च विभाग है उसको ऐसे अन्नों की खोज करनी चाहिये जो बाढ़ के समय हो सकें। ऐसा धान जो मामूली पानी से सड़ जाता है उसके बजाय ऐसे धान की खोज की जाय जो बाढ़ के समय खराब न हो, और ऐसे गन्ने की खोज हो जो बाढ़ के समय खराब न हो। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर इस विभाग ने कोई भी प्रगति नहीं की है। श्रीमन्, इस विभाग के लिये इसी मद के अन्दर राज भवनों के उद्यानों के रखरखाव के लिये २३,३०० रुपये की मांग

[श्री चन्द्रजीत यादव]

की गई है। जब कि पहले ४४,१०० रुपये की मांग स्वीकृत हो चुकी है। फुलवारी सजाई जायगी और अच्छी घास उगाई जायगी। श्रीमन्, इस प्रदेश के अंचल में लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार भूखे परिवारों को अन्न नहीं देती है और कह देती है कि गांव वालों ने अन्न पहुंचा दिया, लेकिन सरकारी खजाने से अन्न नहीं दिया जाता है। इस मद में ४४,१०० रुपये की मांग पहले स्वीकार की जा चुकी है और २३,३०० रुपये की और मांग की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह इस सरकार के लिये लज्जाजनक बात है। ऐसी दशा में जब कि पूर्वी प्रदेश के अंचल में लोग भूखों मर रहे हों तो फुलवारी वगैरह में इतना रुपया खर्च किया जाय। इसी लिये मैं इसका विरोध करता हूं। फुलवारी लगाने में रुपया खर्च किया जायगा और कहा जायगा कि कर्मचारियों की हम तनख्वाह बढ़ायेंगे, कहा जायगा कि काम करने वालों को महंगाई का भत्ता देंगे। श्रीमन्, मुझे याद आ गया पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि मेरी तनख्वाह का सारा रुपया कट जाता है और कुल ९०० रु० बचते हैं जो मेरे ट्रूथसेट वगैरह पर खर्च होते हैं और आनन्द भवन के मालियों आदि पर खर्च होते हैं। राजभवनों का रुपया इसी तरह से खर्च होगा यदि हम इसकी मन्जूरी दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि राज्य कोष की एक पाई भी अनुचित ढंग से खर्च हो।

श्रीमन्, इसमें राज्य कृषक समाज स्थापना पर २,५०० रुपये का अनुदान यह सरकार स्वीकार कराने जा रही है। यह एक ऐसी योजना है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कहा है और हमारी सरकार उसको अपने यहां चालू करने जा रही है। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस योजना का प्रयोग किसी पार्टी विशेष के हक में ही किया जा रहा है। इसमें जिस तरह से रुपया खर्च होता है वह पार्टी विशेष के हित में ही होता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्रीमन्, इसमें दुर्भिक्ष सहायता के लिये भी व्यवस्था की गई है। यह कहा गया है कि बनारस और गोरखपुर डिवीजन में बराबर दुर्भिक्ष आता रहता है, सूखा पड़ता रहता है और बाढ़ आती रहती है, इसलिये वहां खर्च करने के लिये रुपये की आवश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है यदि प्रदेश का कोई डिवीजन सूखे से, बाढ़ से या किसी दैवी आपदा से परेशान हो तो सरकार का कर्त्तव्य है कि जनता की सहायता करे। लेकिन यह कब तक होता रहेगा? पूर्वी प्रदेश के अंचल की यह मांग कब तक पूरी होती रहेगी? जब हम अपनी मांग लेकर आते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है और उपहास किया जाता है कि जब सदन खुलता है उसी समय आप लोग भुखमरी के बयान निकाल देते हैं, काम रोको प्रस्ताव ले आते हैं। लेकिन मैं तो पूर्वी प्रदेश की जनता की भावना को रखना चाहता हूं। यदि आप व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चला सकते हैं तो भूखी जनता आपकी हरकतों को बरदाश्त नहीं करेगी और जनता के लिये यह सोचा जाय कि वह शान्तिपूर्ण मार्ग अपना कर अहिंसा के मार्ग पर जो चलती रही है तो वह उसी तरह से चलती रहेगी। यह ठीक नहीं होगा। उसे बाध्य हो कर हिंसात्मक रास्ते को अपनाना होगा। भूखा आदमी यदि कोई पाप करता है तो उसमें कोई पाप भी नहीं है। मैं, श्रीमन्, आप के द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि प्रदेश का पूर्वी अंचल सदैव से उपेक्षित रहा है। वहां की समस्यायें स्थायी समस्यायें हैं। वहां हर साल टेस्ट वर्क्स खुले रहते हैं। इसलिये जब तक स्थायी रूप से वहां की समस्या का हल नहीं किया जायगा, जब तक स्थायी रूप से वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जायगी, जब तक वहां का औद्योगीकरण नहीं किया जाता है और जब तक एक कमीशन की नियुक्ति करके सरकार वहां की मूल बातों को जान कर उसके विकास की व्यवस्था नहीं करती है तब तक इस प्रकार से लाखों रुपया टेस्ट वर्क्स में बरबाद होगा और वह सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में ही खत्म होता रहेगा पर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां की दशा सुधारने के लिये एक कमीशन की अविलम्ब स्थापना की जाय। सरकार की ओर से प्रदेश के पूर्वी अंचल के लिये एक विकास की योजना की व्यवस्था की गयी है, लेकिन उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह और जिलों की योजनाओं की जांच-पड़ताल के ऊपर ही

करीब २५ लाख रुपये खर्च हो गये हैं। वहां आज भी बाढ़ आती है। मेरा विश्वास है कि इसके लिये यह सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है। वहां सड़कें ऊंची की गयी हैं। जहां १० लाख के पुल की जरूरत है वहां ४ ही लाख का पुल बनाया गया है। नतीजा यह होता है कि वाटर लागिंग होता है जिसके कारण फसलें बरबाद होती हैं। मकान गिरते हैं और उनके कारण पशु मरते हैं। जब वहां के गरीब किसान अपना रोना लेकर सरकार के सामने आते हैं तो सरकार उनका मजाक उड़ाती है। मैं आखिर में फिर प्रदेश के पूर्वी आंचल की जनता की भावनाओं को आप के द्वारा वित्त मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वहां के लिये स्थायी योजनायें आप बनायें ताकि वहां की जनता को फिर यह मौका न मिले कि वह भीख मांगने आप के सामने आये और आप उसका उपहास उड़ायें।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय स्पीकर साहब, सप्लीमेंटरी बजट पर जो अभी तकरीरें हुईं मैंने गौर से वे सब तकरीरें सुनीं। इसमें कोई शक नहीं कि एक साल में जो दो सप्लीमेंटरी बजट यहां पेश हुये हैं उनमें मजबूरी तौर पर तकरीबन १२ करोड़ रुपये की मांग की गयी है, लेकिन मैं अपने उन दोस्तों से इत्तफाक नहीं करता जिनका यह खयाल है कि सप्लीमेंटरी बजट सिर्फ गैरमामूली हालात में आते हैं और सप्लीमेंटरी बजट साल के आखिर में सरकारी कामों के सिलसिले में रुपये की मांग का कोई फीवर नहीं बनना चाहिये। यह न सिर्फ मेरा खयाल है बल्कि जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका यह खयाल है कि अगर कोई सरकार एक सप्लीमेंटरी बजट बनाती है या अगर कोई सरकार एक डेफिसिट बजट बनाती है तो यह चीज उसके ऊपर एतराज की बात नहीं है, बल्कि इससे इस बात की भावना जाहिर होती है कि वह सरकार इस बात की खवाहिशमन्द है कि उसके सामने जो प्राब्लेम्स हैं उनको हल करने के लिये वह रुपये को कोई कद्र व कीमत नहीं समझती है। यह सही है कि अगर कोई बजट हमारे सामने पेश होता है और उसके ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो हम यह जरूर देखने की कोशिश करते हैं कि उस बजट में जो रुपया दिया गया है उसका कहां तक सही मसरफ हुआ। इस बजट पर अगर आप नजर डालें तो आप को यह भी अन्दाजा होगा कि इसमें जो मांगें की गयी हैं वे सारी ऐसी नहीं हैं जिनमें मजीद रुपये की जरूरत हो। इसमें बहुत सी टोकेन ग्रांट्स हैं और इसलिये हैं कि चूंकि उस मद के अन्दर रुपया था, लेकिन एक नयी सर्विस जारी की जाने वाली थी और उसके जारी करने से पहले इस बात की जरूरत महसूस होती है कि लेजिस्लेचर से उसके लिये मन्जूरी ले ली जाय। अगर टोकेन ग्रांट्स की रकम इसमें से निकाल दी जाय तो मैं समझता हूं कि जो १२ करोड़ रुपये का बजट हमारे सामने है वह काफी हल्का हो जाता है।

जनाबवाला, मैंने जो अभी यहां तकरीरें सुनीं उनको सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा खयाल हुआ कि वाकई जो कुछ बातें यहां कही गयी हैं अगर सब सही हैं तो फिर न तो यह हुकूमत इस काबिल है कि यहां एक मिनट बैठ सके और न यह हाउस ही इस काबिल है कि इस हुकूमत के लिये एक पैसा भी मन्जूर करे, लेकिन जब इस बात को हकीकत की कसौटी पर कसा जाता है तो उस वक्त हम यह महसूस करते हैं कि इनमें से बहुत सी बातें जो कही गयी हैं वे अपनी जगह पर सही नहीं हैं। मैंने यह देखा कि जो तकरीरें यहां की गयी हैं उनमें ज्यादातर जजबात का इस्तेमाल किया गया है। काश, ये तकरीरें अगर इस हाउस के बाहर किसी पार्टी मीटिंग में या कहीं देहात में एक पब्लिक गैदरिंग के सामने की जातीं तो वह उसके लिये ज्यादा मौजूं और जा थीं। एक ऐसे हाउस के अन्दर, जिसके अन्दर इस सूबे के वे लोग जो जिम्मेदाराना हैसियत रखते हैं, इकट्ठा होकर इस सूबे की माली मुश्किलात को हल करने की कोशिश करते हैं, वहां इस किस्म की तकरीर करना मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है। हमने तकरीरों में यह भी सुना कि जेल की आजादी बढ़ गई है, लेकिन समझ में नहीं आता कि अगर जेल की आबादी बढ़ गई तो उसकी जिम्मेदारी किस तरीके से सरकार के सर पर आती है या किसी मखसूस पार्टी के सिर पर डाली जा सकती है। मैं इस मामले की तह में जाना नहीं चाहता हूं और न तह में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

जाना मुनासिब ही इस वक्त समझता हूं, लेकिन हम रोज देखते हैं कि सत्याग्रह होते हैं, हमारे सोशलिस्ट भाइयों ने सत्याग्रह किया और जेल गये। उसकी मैरिट पर बहस करने का यह मौका नहीं है, लेकिन जो शख्स जेल जाना चाहते हैं उनका जाना किस तरह से बन्द किया जा सकता है। उनको इस बात का मौका मिलना चाहिये कि वे जेल में आयें और वहां अपनी जिन्दगी बितायें। अगर उनको वहां आने का मौका न दिया जाय तो यह उनके साथ एक ज्यादती होगी। अगर जेल के एडमिनिस्ट्रेशन का १५ साल पहले के ऐडमिनिस्ट्रेशन से मुकाबला किया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे लोग इस मुल्क के अन्दर मौजूद हैं जो इस बात से इख्तलाफ करते हैं कि जेल के अन्दर इतनी अमेनिटीज नहीं मिलनी चाहिये। जेल के अन्दर रिफार्म करना है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी खयाल हो कि जो लोग जरायम करते हैं उनको अगर इस बात का अहसास नहीं होता कि जरायम करने के बाद उनके दिमाग में कुछ सुधार हुआ है तो इस तरह से उनको जेल भेजने का मकसद खत्म हो जाता है। अगर उनमें कुछ सुधार नहीं होता है और उनको अपने किये की कुछ सजा नहीं मिलती है तो फिर जेल की क्या जरूरत रह जाती है। अगर यह मकसद हल नहीं होता है तो फिर जेल की जरूरत नहीं है। उनको रिफार्मेटरी स्कूल बना दिया जाय।

जनाववाला, एक बात यह भी कही गई कि सूबे के अन्दर भुखमरी की हालत होती चली जाती है। यह कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं कि रोज जनाबवाला के सामने १०, १२ ऐडजर्नमेंट मोशंस आते हैं और उन १०, १२ में से कम से कम ५, ६ एडजर्नमेंट मोशंस ऐसे होते हैं जिनका बराहरास्त ताल्लुक पूर्वी जिलों से होता है और उनका ताल्लुक भुखमरी से होता है। मैं तो इसको एक और निगाह से भी गलत समझता हूं। रोजमर्रा और आये दिन इस सदन के अन्दर हम पच्छिमी और पूर्वी जिलों की बात सुनते हैं। यह बात ऐसी है कि जिसके अन्दर डिसइन्टिगरेशन की बात पैदा होती है। हमारे सूबे के अन्दर जो अन्न के डिफिसिट एरियाज हैं, उनके लिये हमारा फर्ज है कि उनकी तरफ तवज्जह दें और उनकी तरक्की का रास्ता सोचें, लेकिन महज पूरब और पच्छिम के नाम पर कोई मांग करना गलत है। यही वजह थी कि जब स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन बैठा तो यह मांग उस वक्त आगे बढ़ी कि हमारे सूबे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाय। यह हमारी खुद किस्मती है कि लोगों के दिमाग सही रास्ते पर आये और यह चीज कम हो गई वर्ना उस वक्त काफ़ी दिक्कत और दुश्वारी हमारे सामने पैदा हुई होती। अगर वाकई गौर से देखा जाय तो मैं इस बात को मानता हूं कि जितना रुपया हम अपने बजट में मन्जूर करते हैं वह इसलिये मंजूर करते हैं कि इस गरीब सूबे की जनता के लिये सर्फ किया जाय, लेकिन उसका उतना नतीजा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिये। यह कहना कि इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है यह गलत है। मैं समझता हूं गौर से देखें तो जितना रुपया हम सर्फ करते हैं उतना हमको रिटर्न नहीं मिलता है। इसकी क्या वजह है? इस पर अगर गौर किया जाय तो हमारा सब का फर्ज है कि हम सर जोड़ कर इस तरफ अपनी कोशिश करें और इसको मालूम करने की कोशिश करें। मैं गवर्नमेंट की कोई वकालत नहीं करता हूं वे खुद इस बात को मानते हैं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि हमारे यहां जो गुरबत का सवाल है उसके लिये शाय्वल तो यह बात है कि हमारा रकबा इतना बड़ा है जो बलिया से ले कर सहारनपुर तक है। उसके अन्दर सब मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं। एक खानदान के अन्दर लोग रहते हैं। उस एक खानदान के अन्दर ४, ५ आदमी होते हैं तो वे भी आपस में मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं। आपस में झगड़ा भी होता और लड़ाई भी होती है।

इतने बड़े सूबे के इंतजाम में कुछ चीजें जरूर मुश्किल हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसका असल सबब क्या है? क्या उसका सबब यह है कि गवर्नमेंट इंकाम्पिटेंट है? या इसका सबब यह है कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि यह सब चीजें बढ़ें। क्या वह यह चाहती है कि करप्शन बढ़े, वेस्टेज बढ़े? मैं समझता हूं कि ऐसा सोचना ज्यादती होगी और मैं समझता हूं कि इसकी तीन वजहें हैं। एक वजह ऐसी है कि जिसको हम दूर भी कर

सकते हैं । एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे रिसोर्सेज कम हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप नये टैक्स लगाइये। हम रोज सर्विसेज की तरफ देखा करते हैं। हम चाहते हैं कि एमिनिटीज बढ़ें, लेकिन जब सवाल होता है कि पैसा कहां से आये, तो उसके लिये हममें से कोई तैयार नहीं होगा। दूसरी वजह है इंसानी कैरेक्टर। यह कैरेक्टर अपनी जगह पर है। चाहे हम इधर के लोगों की बात हो या उधर के, सरकारी अधिकारियों की बात हो या पब्लिक के लोगों की, हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारा नेशनल कैरेक्टर गिरा हुआ है। हम इसकी फिक्र में रहते हैं कि हम हमेशा हमकौम के सामने अपने मफाद को रखें। इस चीज को हमें दूर करना है और यह सब की कोशिशों से दूर होना है, दूर हो सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह मेरे नजदीक यह है कि हम में कोआपरेशन नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि जो भी काम होते हैं उन सबको हम पार्टी की ऐनक लगा कर देखते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जनाबवाला, कि जिनको हमें पार्टी की ऐनक को दूर करके देखना चाहिये, जिनको हमें नेशनल प्राब्लम समझ कर देखना चाहिये। यह हमारी बदकिस्मती है कि हम किसी प्राब्लम को नेशनल प्राब्लम समझ कर नहीं देखते । हम उसको इंडिविजुअल और पार्टी का प्राब्लम बना कर देखते हैं।

प्लानिंग वह चीज है कि जिस पर हमारे मुल्क की जिन्दगी का दारोमदार है। आज जो प्लान है वह पीपुल्स प्लान है। इसके बनाने में हम सब का हाथ है और उसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है और हमारा मुल्क जो इस दौर से गुजर रहा है कि जिसे हम इमरजेंसी कह सकते हैं, उसमें इसके पूरे होने की निहायत जरूरत है । यह उसी किस्म का जमाना है जैसा कि इंग्लिस्तान के सामने जंग का जमाना था। आज हम देखें कि हमारा मुल्क अंडर-डेवलप्ड है और यहां के रहने वालों के सामने यह मुश्किलों का जमाना है । आज हमको पावरटी और इल्लिट्रेसी को दूर करना है, उनसे झगड़ा करना है और अगर इस मौके पर हम यह फर्क न करें कि कौन पार्टी प्राब्लम है और कौन नेशनल प्राब्लम है तो यह एक बड़ी ट्रैजिडी होगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम तमाम घरेलू झगड़ों और बातों को एक तरफ रख कर इस बात को सोचें कि हम कितना मैक्सिमम कोआपरेशन रख सकते हैं और कहां तक हम इस मैक्सिमम कोआपरेशन के जरिये से इस मुल्क की तरक्की कर सकते हैं और प्लानिंग को कामयाब बना सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सुल्तान आलम खां साहब की बातें बड़े अदब और गौर से सुनीं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपने बुजुर्ग की राय से इत्तफाक नहीं करता। वह इस माने में कि उन्होंने फरमाया कि मजबूरी है कि १२ करोड़ का बजट लाना पड़ा, दूसरी तरफ आप फरमाते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कम हैं। रिसोर्सेज के कम होते हुये भी हम इतना खर्च कर सकते हैं और फिजूल खर्ची कर सकते हैं और इतना अंदाजा नहीं लगा सकते और १२ करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट लाते हैं।

इसके बाद आपने कहा कि यह ज्यादातर टोकेन ग्रांट्स हैं और उसी हेड में एक जगह और उसी ग्रांट के अन्दर और जगह सब हेड्स में वह चीज मौजूद थी। तो मैं आपके द्वारा माननीय खां साहब से कहना चाहता हूं कि अगर दूसरी मद में आपने १२ करोड़ रुपया ज्यादा ले लिया तो क्यों लिया। इससे ज्यादा बैड बजटिंग और क्या हो सकती है?

दूसरी बात आपने कही कि जेल में आबादी बढ़ गई है इसकी सरकार जिम्मेदार नहीं है । एक तरफ आप फरमाते हैं कि विरोधियों की वजह से जेल की आबादी बढ़ गई । अगर विरोधियों को आपने जेल में डाल दिया तो इसके माने यह होते हैं कि सरकार अपने विरोधियों को देख नहीं सकती। जो उसकी नुक्ताचीनी करते हैं उनको उसने एक दम से जेल में ठूंस दिया, यह जम्हूरियत का उसूल नहीं है। अगर क्रिमिनल्स की तादाद जेल में बढ़ती है तो उसके माने हैं कि प्रदेश में क्राइम्स बढ़ने लगे हैं यानी शांति और सुरक्षा

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

ठीक से नहीं हो रही है और हमारी पुलिस की एफीशियेंसी दिनों दिन घट रही है। आज चाहे जिस तरह से दूसरी पार्टी वाले इसको लें, आपके सिर कोई सेहरा नहीं बंधता है।

खां साहब ने फरमाया कि पूर्वी जिलों की बात कहने से डिसइंट्रोगेशन की बू आ रही है। कम से कम खां साहब भी यह सोचने लगे कि डिसइंटीग्रेशन चीज बुरी है, इसके लिये फिर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। एक बात यह भी बतलाई गयी कि हमारा नेशनल कैरेक्टर बहुत गिर गया है। आज हम देखते हैं कि यह बात इधर और उधर के दोनों ओर के बैठने वालों की तरफ से कही जाती है। हमारे यहां कहा गया है कि "यथा राजा तथा प्रजा" जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है। क्या कारण था कि सन् १९३७ और ३९ के जमाने में ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस को मिनिस्ट्रीज से थर्राती थी और कहती थी कि न जाने ये लोग किस फौलाद के बने हैं, लेकिन अब उन्होंने ढोल की पोल को देख लिया है। उन्होंने देख लिया कि ये लोग खोखले हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। यही कारण है इस तरह के गबन होते हैं।

खां साहब ने विरोधी लोगों के भाषणों को एवं मनगढ़ंत बताया। मैं पूछता हूं कि क्या आडिट रिपोर्ट मनगढ़ंत है, क्योंकि इधर के लोगों ने कोई बात भी अपने मन से नहीं कही, अभी तक तो मजबूर होकर इस रिपोर्ट को सरकार की तरफ से रखना पड़ता है। मगर डर यह है कि कुछ अरसे बाद यह प्रथा भी बन्द न कर दी जाय। अभी तो गनीमत है कि जनता सांस ले रही है और सरकार की गलतियों का इस तरह से पर्दाफाश हो जाता है। जब आडिट रिपोर्ट शाया होती है तो सरकार की काली करतूतों का पर्दा फाश होता है। इसे खां साहब खुद पढ़ें और सोचें, तो मैं समझता हूं कि उनको वे सारी बातें उसमें मिलेंगी जो इधर हमारी ओर से कही गयीं।

मुझे बड़ा अफसोस है कि १९५५ में एक स्टाम्प विक्रेता द्वारा १,५९,००० रुपये का गबन हो गया और तब तक डिटेक्ट न हुआ। पुलिस द्वारा मोटर के पुर्जे उड़ाये गये २,६३,३५८ रुपये के और बाद में ५५,६९० रुपये के, लेकिन डिटेक्ट इतने दिनों बाद हुये जब इतना गबन हो गया।

अब शार्टेज को लीजिये। सीमेंट, आटा आदि ऐसी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम हो सकती हैं, लेकिन ताज्जुब यह है कि कंकड़ और बड़े पत्थर भी (boulders) ५५,३८८ रुपये के राह में कम हो गये। यह रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसी प्रकार से एन्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में यह मालूम हुआ कि ९६,८४६ रुपये की धनराशि का गबन हुआ और तब तक उसका पता भी न लग सका।

अब दूसरी तरफ सरकारी पक्ष से लोगों को लेक्चर दिया जाता है कि पेट पर पट्टी कसो और देश के लिये त्याग करो। दीगरां नसीहत, खुदरा फजीहत।

भूत की तरह से हमारा नेशनल डेट बढ़ता चला जा रहा है। ५० करोड़ रुपये से ज्यादा एक साल में बढ़ गया। दूसरी ओर चन्द्रप्रभा पर आमोद के बिहार बनाये जाते हैं, बड़े-बड़े स्मारक बनाये जाते हैं। क्या इनको पोस्टपोन इस समय नहीं किया जा सकता है जब कि दूसरी तरफ लोग भूखों मर रहे हैं? मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि महीनों की मेहनत के बाद वह स्वीकार तो करने लगी, उसके गले के नीचे तो उतरने लगा कि गुठली का खाकर औरत मर गयी और भुखमरी है।

इस बजट में उद्योगों के लिये मांग की गयी है। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह वही प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री है जिसके लिये सन् ४९ में सात रिटेनर्स रक्खे गये थे और जिनको ४८,६३९ रुपया ६ महीने स्विटजरलैन्ड के होटल में दावत खाने के लिये दिये गये थे। १० हजार रुपया उनको Blue prints के लिये पहले एडवांस दिया गया था और जब हिन्दुस्तान तशरीफ लाये तो ५८,६५० रुपया

और खर्च किया गया। इस तरह से उनके ऊपर १,५०,२४० रुपया बरबाद किया गया। यह वही पुरानी प्रिसिजन फैक्ट्री है जिसको फिर २ लाख रुपया एडवांस दिया जा रहा है।

दूसरी बात श्रीमन्, शिक्षा के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विभाग में ४३ हजार रुपये का गबन पहले किया गया था और उस गबन को करने वाले कौन हैं? रजिस्ट्रार आफ डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन्स के हेडक्लर्क। यह गलती खासकर एक रजिस्ट्रार की लापरवाही से हुई। जब सरकार से पूछा गया तो कमेटी के अन्दर यह बताया गया कि उनको रिटायर करवा दिया गया है लेकिन श्रीमन्, वे रजिस्ट्रार साहब आज भी गोरखपुर में मौजूद हैं। इस तरह की गलत बात कह कर हमको धोखा दिया गया।

आज टेस्ट वर्क की बात भी कही गयी है, लेकिन मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। जहां तक दुर्भिक्ष के लिये सहायता की बात है, उसके लिये माननीय राजस्व मंत्री ने जो ग्रांट की मांग की है वह तो सही हो सकती है, क्योंकि इस बात को कोई नहीं जानता था कि इस साल वर्षा नहीं होगी या अकाल नहीं पड़ेगा। यह मद अलबत्ता ऐसी है जिसकी मंजूरी माननीय राजस्व मंत्री को मिलनी चाहिये। दुर्भिक्ष सहायता के लिये ९३,३३,१४० रुपया जो सारे प्रदेश के लिये है उसमें से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिये केवल ४ हजार रुपया अनुदान दिया गया है जब कि वहां पर गांव के गांव बह गये, ४२ आदमी मर गये, लाखों की जायदाद नष्ट हो गयी, हजारों मवेशी बह गये लेकिन उसके लिये यह सरकार ४ हजार रुपया देती है। श्रीमन्, हमारा यहां कहना तो अरण्यरोदन ही है लेकिन मुझे डर है कि कहीं इस सरकार को वह दिन न देखना पड़े--मैं तो चाहता हूं कि भगवान करे वह दिन दूर ही रहे--हो जैसे कि रूस में ख्रुश्चेव स्टैलिन के लिये कहता है कि उसको ग्रेव से निकाल कर उस पर मुकदमा चलाया जाय। अगर यह सरकार भी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो यहां की जनता भी उसी तरह का व्यवहार कर सकती है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस साल में हम दो सप्लीमेंटरीज तथा एक और बजट ५३-५४ का देख चुके हैं। इन कुल बजटों में हम एक ही बात पाते हैं कि हमसे और रुपया मांगा जाता है, लेकिन जो आडिट वगैरह होता है जिसकी रिपोर्ट आज हमारे सामने मौजूद है उससे ऐसा मालम पड़ता है कि रुपया हम जितना भी दिये जाते हैं, उसी के मुताबिक गबन और चोरियों की शिकायतें भी बढ़ती जाती हैं। अबकी बार खुशकिस्मती से सन् ५७ की आडिट रिपोर्ट का पहला भाग मौजूद है और उसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें पहले ही कह दी हैं। इसलिये उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है और वह रिपोर्ट ही इस बात की नजीर पेश करती है, कि जिस बुनियाद पर यह सरकार यह सप्लीमेंटरी बजट पास कराना चाहती है, इस सरकार को उसे पास कराने का हक नहीं है।

कुछ चीजें और भी हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रांट नं० १ में कृषि आयकर की उगाही पर व्यय के लिये अनुदान मांगा गया है। चूंकि समय कम है इसलिये मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं। जो रुपया मांगा गया है, हम भले ही न देना चाहें लेकिन देंगे और वह इसलिये कि हम नहीं चाहेंगे तो भी आप ले लेंगे। रुपया देना भी शासन चलाने के लिये जरूरी है लेकिन जिस प्रकार से माल विभाग के कर्मचारियों ने जबरदस्ती रुपया वसूल करना शुरू किया है अगर कृषि आयकर की उगाही के लिये भी जिन कर्मचारियों को आप नियुक्ति कर रहे हैं, उसी तरह की हरकत वसूल करने में उन्होंने शुरू की तो यह रुपया भी निरर्थक हो जायगा। इसलिये मैं संबंधित मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करता हूं कि कृषि आय कर या किसी भी वसूली के लिये जिन कर्मचारियों की आप नियुक्ति करते हैं उनको आप हिदायत दे दें कि वे कानून का पालन ठीक से करें और कोई ज्यादती न करें।

[श्री मदन पाण्डेय]

दूसरे में सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत जो जिला बोर्डों के इलेक्शन और दूसरे चुनावों की तैयारी के लिये हम से काफी रुपये की मांग की गई है, रुपया सरकार ले लेकिन उसे जनता की भावनाओं का भी आदर करना चाहिये। चारों ओर से आवाजें उठी हुई हैं, प्राइवेट मेम्बर्स का भी इस संबंध में एक प्रस्ताव आया है, पता नहीं सूची पर है या नहीं, लेकिन इस वक्त जो जिला बोर्डों के प्रेसीडेंट हैं उनकी यूनियन की ओर से एक प्रस्ताव पास हुआ है कि मार्किंग सिस्टम का पहले तजुरबा हो चुका है वह ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है और उससे मतदान की गोपनीयता भंग हो जायगी। इसलिये इस ग्रांट के लिए जो रुपया मांगा गया है उसे मंजूर करते समय मैं मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्हें जनता की भावनाओं का आदर करना है तो मार्किंग सिस्टम, जो पिछले लोकल बाडीज के चुनाव में अलोकप्रिय सिस्टम सिद्ध हो चुका है, उसे अगले जिला बोर्डों के चुनावों में प्रयुक्त न किया जाय।

तीसरी चीज जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करूंगा वह यह है कि श्रम विभाग के लिये भी हमसे रुपया मांगा गया है। यद्यपि जिस संबंध में यह रुपया मांगा गया है उसमें यह चीज नहीं आती है लेकिन वह उदाहरण इस बात का जरूर है कि जब इस विभाग द्वारा कोई मकान लिया जाता है तो उसका किराया आंका जाता है ६३ रुपया और अदालत से तय होता है २०० रुपया मासिक। यह नमूना विभागीय कुशलता का है तो आप जान सकते हैं कि श्रम विभाग के मजदूरों के साथ किस तरह की नीति अपनायी जाती होगी। श्रम विभाग रुपया मांगे, हम देंगे, लेकिन आप उसका अपव्यय न करें, जो कि होता अब तक रहा है। इसके अलावा सरकार आई० एन० टी० यू० सी० वालों और दूसरे मजदूरों के विरोधी पक्ष के संगठनों के बीच में जो भेदभाव की नीति बरतती है वह न बरते। इस चीज को खत्म करना चाहिये। अभी इसी संदर्भ में कितनी जगह हड़तालें हुई हैं। इससे स्पष्ट है तथा उसमें जो सरकारी रवैया रहा है सरकार की जो श्रमनीति मजदूरों के विषय में है वह पक्षपातपूर्ण है और आई० एन० टी० यू० सी० से संबंधित जमातों के साथ पक्षपात किया जाता है और विरोधी पक्ष के संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वह किसी तरह से भी विरोधियों के साथ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते।

दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में भी हम से रकम मांगी गई है, वह हमें देना भी चाहिये। दुर्भिक्ष ने केवल प्रदेश के पूर्वी अंचल पर ही कृपा नहीं की है बल्कि पश्चिमी जिलों में भी उसका प्रकोप हुआ है, बाढ़ से वहां भी नुकसान हुआ है और पूर्वी जिलों को सूखे और बाढ़ दोनों ने बरबाद किया है। पूर्वी और पश्चिमी जिलों का सवाल पता नहीं कैसे माननीय सदस्य उठाते हैं, सदन के किसी हिस्से से भी आये हुये सदस्य पूरे प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं। डिस्इंटीग्रेशन का इसमें क्या सवाल है? जहां के भी लोग भूखों मरेंगे वह सरकार से अन्न मांगेंगे और सरकार का फर्ज है कि वह उनकी सहायता करे। जब गढ़वाल और अल्मोड़े के विषय में सवाल उठा था तब भी हमने उदारता से वहां के लोगों की सहायता के लिये आवाज उठाई थी या जब पश्चिमी जिलों में बाढ़ आई थी तब भी हम उतने ही सचेष्ट थे और हमें होना चाहिये। हमारे श्री गेंदासिंह जी ने तो एक बार प्रस्ताव रखा था कि केवल पश्चिमी जिले के लोगों की एक कमेटी पूर्वी जिलों की स्थिति देखने के लिये बना दी जाय और वह पूर्वी जिलों का टूर करे और देखे और अगर उसको वहां की हालत जितनी हम कहते हैं, उससे खराब मिले तब तो सही माने और मदद करने की सिफारिश करे और इस मिसअन्डर-स्टैंडिंग को दूर करने की कृपा करे कि पूर्वी जिले वाले ऐसे ही शोर मचाते हैं। यदि सरकार उसके लिये राजी नहीं है तो हम गैरसरकारी तरीके से दावत देते हैं, हमारे साथ चलें जिन भाइयों को शक हो वह देखें कि जो हालत है वह हमारे कहने से ज्यादा खराब है या नहीं।

इसी जगाने में हमारे दुर्भिक्ष तथा माल मंत्री श्री चौधरी चरण सिंह साहब, गोरखपुर और देवरिया के दौरे पर गये थे। हमें यह उम्मीद थी कि जिस वक्त उनके

उधर के बीरे का प्रोग्राम बनेगा तो विरोधी पक्ष के लोगों से राय लेकर बनेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका प्रोग्राम जो पहले विरोधी दल के लोगों की भी राय से बना था वह बदला गया और कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम के अनुसार बदला गया और उनको तहसील फरेंदा कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में ले जाया गया, वहां भी जहां भूख से ४ मौतों का आरोप उन पर बहुत पहले से था। उधर से छितही खुर्द के बीच सड़क से वह निकले लेकिन उन्होंने वहां जाने का कष्ट नहीं किया। यह हालत है। जो रकम दुर्भिक्ष सहायता के लिये मांगी जा रही है उसके देने में हमें कोई उज्र नहीं है लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि जो वाकई भूखे मर रहे हैं, पीड़ित हैं उनको सहायता दी जाय वहां की जांच करके सबको मदद देना चाहिये।

टेस्ट वर्क जो खोले जाते हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उन को खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि वहां की जनता की क्या भावना है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि सदन इस अनुपूरक मांग को स्वीकृत करने के पहले सरकार को तम्बीह करे।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर विरोधी दल के सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे अत्यन्त दुख हुआ। उन शब्दों के लिये कह रहा हूं जो कल विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने.....

श्री अध्यक्ष—कल के किसी के भाषण के बारे में आप टीका नहीं कर सकते।

श्री हरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, आज भी कहा। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इससे पूर्व, एक वर्ष से पहले, पूर्व और पश्चिम के जिलों का प्रश्न एक प्रकार से समाप्त हो गया था क्योंकि बाढ़ें हमारे यहां भी आने लगीं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि किसी भी पश्चिमी जिले के सदस्य ने कोई आवाज नहीं उठायी, हम चिल्लाये नहीं कि पूर्वी जिलों पर इस प्रकार सरकार बेजा खर्च करती है। आज भी उनके लिये रुपया मांगा गया है। जब इतनी भयंकर बाढ़ें आयीं पश्चिमी जिलों में, दो वर्ष से, चार वर्ष से आ रही हैं, कभी भी हमने आवाजें नहीं उठायीं। हमने अपने को संभाला। अपने भाइयों को यह कहा कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हमीं सरकार को पैसा देते हैं। जब हम बरबाद हो गये तो सरकार के खजाने में पैसा कहां से आया? लेकिन पूर्वी जिले के भाई कहते-कहते यह नहीं थकते कि बाढ़ आ रही है।

श्री अध्यक्ष—अब आप भाषण बाद में जारी रखेंगे। मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

अधिष्ठाता मंडल के रिक्त स्थानों पर सदस्यों का मनोनयन

श्री अध्यक्ष—अधिष्ठाता मंडल में चार स्थान इस समय रिक्त हैं। उनके लिये मैं निम्न सदस्यों को मनोनीति करता हूं:—

१—श्री गेंदासिंह, २—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, ३—श्री वीरसेन, ४—श्रीमती चंद्रावती।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरदारनगर, जिला गोरखपुर में गन्ना मूल्य वृद्धि आन्दोलन में हुई गिरफ्तारियों के विषय पर विवादार्थ समय का बंटन

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मुझे तो सिर्फ यह इत्तिला देनी थी कि स्पीकर साहब ने १७ तारीख को २ घंटे के लिए बहस के लिए कहा था तो यह गवर्नमेंट को मंजूर है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप के बजट भाषण के बाद ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इन दि आफ्टर नून। डेढ़ बजे तक तो गालिबन बजट ही खत्म होगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय ने यह नहीं कहा था। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि ज्योंही बजट भाषण खत्म होगा उसके बाद से उस पर विवाद होगा।

श्री उपाध्यक्ष---उस दिन और कोई बिजनेस नहीं है। आपकी तकरीर खत्म हो जायगी उसके बाद ही दो घंटे बैठ जायेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसमें फर्क है। फर्क यह है कि अगर लंच टाइम के ऊपर स्पीच खत्म हुई तो फिर लंच को छोड़कर के उस वक्त बैठेंगे लंच के बाद।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर लंच में ही बैठ कर के इकट्ठे उठ जायं तो क्या हर्ज है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह उस वक्त देखा जायगा।

१९५७-५८ के पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री हरीसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि दुर्भिक्ष का जहां तक सवाल है वह सारे ही देश में या हमारे सारे ही प्रान्त में एक ऐसी जटिल समस्या खड़ी किये है जिसको हल करने के लिए हम सभी को विचारना चाहिए। मैं आपके द्वारा अपने विरोधी दल के सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि सदैव कभी भूखा इतना नहीं चिल्लाता जितना कि अघाया हुआ, पेट भरा हुआ, चिल्लाता है। जब उसे मटर या चना खाने को मिलता है तो उसे कभी चिल्लाहट नहीं सूझती। सूझती तब है जब दूसरे के घर से गेहूं उसे खाने को मिलता है। गेहूं चूंकि पच नहीं पाता इसलिए रोज वह गुठली से मर गया, आम से मर गया, भूखा है वगैरह वगैरह कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---इस पर तो सरकार की तरफ से काफी प्रकाश पड़ गया है। आप क्यों जिम्मेदारी लेकर परेशान हो रहे हैं ?

श्री हरीसिंह---जी, मैं तो पूर्व और पश्चिम का जो सवाल खड़ा हो गया है उस पर कह रहा हूं। जब हर गंगे, हर गंगे कहते हुए लुटिया लेकर के महराज मांगने के लिए जाते हैं तो घरों की औरतें आटा उनको दे ही देती हैं। दान की भावना उनमें होती है। इसी तरह पश्चिमी जिले वाले कमा कमा करके देते जायं और पूर्व वाले चिल्लाते जायं हाय भूखे मर गए, हाय भूखे मर गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गुठली एक औषधि है क्योंकि अक्सर छोटे घरों और बड़े घरों में गुठली को भूनकर के खाया जाता है। उनमें बहुत सी गुठलियां कुछ जहरीली किस्म की होती हैं जिनके खाने से कुछ गड़बड़ी हुई और वह मर गए। तो बजाय इसके कि उसका सही इस्तेमाल हो यह उदाहरण दिया जाता है कि पूर्वी जिलों में दुर्भिक्ष के कारण गुठली खाने से लोग मर गए। यह बात गलत है क्योंकि यह विधान सभा या

श्री हरीसिंह---जी, मैं तो पूर्व और पश्चिम का जो सवाल खड़ा हो गया है उस पर कह रहा हूं। जब हर गंगे, हर गंगे कहते हुए लुटिया लेकर के महराज मांगने के लिए जाते हैं तो घरों की औरतें आटा उनको दे ही देती हैं। दान की भावना उनमें होती है। इसी तरह पश्चिमी जिले वाले कमा कमा करके देते जायं और पूर्व वाले चिल्लाते जायं हाय भूखे मर गए, हाय भूखे मर गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गुठली एक औषधि है क्योंकि अक्सर छोटे घरों और बड़े घरों में गुठली को भूनकर के खाया जाता है। उनमें बहुत सी गुठलियां कुछ जहरीली किस्म की होती हैं जिनके खाने से कुछ गड़बड़ी हुई और वह मर गए। तो बजाय इसके कि उसका सही इस्तेमाल हो यह उदाहरण दिया जाता है कि पूर्वी जिलों में दुर्भिक्ष के कारण गुठली खाने से लोग मर गए। यह बात गलत है क्योंकि यह विधान सभा या

विधान परिषद् सन् १९२१ से या इससे पहले से बनी होगी। मैं आपके द्वारा अपने माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इस माननीय सदन की ऐसी रिपोर्ट तो होगी ही कि जो सन् २१ से लेकर सन् ५२ के मध्य में यह आवाजें उठी हों या कोई ऐसी सूची हो कि भूख या अकाल के कारण कितने लोग मरे। कभी इतनी आवाजें उठी हों, आप रिपोर्ट मंगाकर देख लें। लेकिन सन् ५२ के बाद ये आवाजें उठीं जबकि हमारे पहाड़ी इलाके बिलकुल दरिद्र हैं, इतने निर्धन हैं कि उनकी दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे यह गुठली की बात करते हैं, वैसे पहाड़ी जिले वाले बिच्छू घास की बात करते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बिच्छू घास है उससे लोग मरते नहीं हैं।

श्री हरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जैसे वह गुठली की बात करते हैं उसी तरह से हमारे पर्वतीय प्रदेश वाले बिच्छू घास की बात करते हैं। रुहेलखंड वाले और पश्चिमी जिले वाले फिर क्या कहें? सवाल यह है कि समस्या कैसे हल हो। हम पिछले ४ साल से पीड़ा सह रहे हैं लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। हमारी डेढ़-डेढ़ लाख की कोठियां और गल्ले के भंडार पानी में बह गये। इस वर्ष की बाढ़ ने, माननीय सदस्यों को मालूम होगा, वहां कितना नुकसान किया है, लेकिन आज भी हमारे किसान और मजदूर यह नहीं कहते कि हमसे लगान व मालगुजारी न ली जाय। मैं आपके द्वारा, विरोधी पक्ष से, खास कर माननीय गेंदासिंह जी से, कहना चाहता हूं कि वे बार-बार सदन में जो भुखमरी का नाम लिया करते हैं वे उसे न लिया करें, बल्कि समस्या का हल कैसे हो इसे सोचें। सरकार के पास कोई खजाना नहीं है। अगर मालगुजारी या लगान नहीं आयेगा तो शासन की व्यवस्था कैसे होगी? जरा मेरठ, अलीगढ़ और बुलन्दशहर की हालत को देखिये क्या परिस्थिति है? वहां के लिये कितना पैसा रखा गया है? कुछ भी नहीं। लेकिन पूर्वी जिलों के लिये ८ करोड़ रुपया रक्खा गया है। हमने आज तक नहीं कहा कि हम अपने बजट में से ८ करोड़ रुपये पूर्वी जिलों को न दें। लेकिन यह भीख मांगने की आदत जो आप लोगों में पैदा कर रहे हैं यह न केवल हानिकारक सिद्ध होगी, बल्कि आपने आज जो यह चीज राजनैतिक आन्दोलन के रूप में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये खड़ी कर दी है कलको यही आपको भी बुख देगी। हो सकता है कि कल को आप यहां आसीन हों और उधर हम लोग बैठें। उस वक्त आपकी क्या दशा होगी? उस वक्त यह आन्दोलन दब नहीं जायगा। लिहाजा इस प्रकार का आन्दोलन अच्छा नहीं है। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइये, उनमें शक्ति पैदा कीजिये। अगर ४६ से ५८ तक आप देखिये तो मालूम होगा कि कितना रुपया पूर्वी जिलों को प्रत्येक वर्ष के बजट से दे दिया गया और कितना पश्चिमी जिलों पर खर्च किया गया और कितनी आय पूर्वी जिलों से है और कितनी आय पश्चिमी जिलों की है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप मर रहे हैं तो हमें भी खत्म कर दीजिये। नतीजा यह होगा कि न आप रहेंगे और न हम रहेंगे। लिहाजा मैं अपने विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करूंगा कि आइये, मिलजुल कर इस जटिल समस्या का हल निकालिये, बजाय इसके कि भूख हड़ताल हो रही है, भूखे मरने के नारे लगाये जा रहे हैं और करोड़ों रुपया जनता का लिया जा रहा है। पश्चिमी जिलों को वे देखें कि वहां गल्ले की क्या हालत है, खेत वहां बोये तक नहीं गये हैं, लेकिन वहां लोग चिल्लाते नहीं। मैं चेतावनी देता हूं कि अगर बार-बार पूर्व और पश्चिम का, भूखमरी और गुठली का सवाल विरोधी दल के लोग उठाते रहे तो यह नारा भी लगने लगेगा कि पश्चिमी जिले भूखे मर रहे हैं। इसलिये समस्या का हल निकालिये। पूर्वी जिलों को ८ करोड़ रुपया दिया जा रहा है, लेकिन पर्वतीय प्रदेश, रुहेलखंड का पता तक नहीं। वहां भी लोग गरीब हैं। विरोधी दल वालों को और पूर्वी जिले के लोगों को इस सरकार की सराहना करनी चाहिये। वैसे तो हमारे देश में कमी है। सारे देश की इस कमी के सवाल को हल करना है। इस सरकार ने सारे देश की दिक्कतों को अपने कंधों पर संभाला है, यदि आप यहां होते तो आप न संभाल पाते। तो इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने नेताओं

[श्री हरीसिंह]

से यह नम्र निवेदन करूंगा कि इस समस्या के लिए कोई हल निकालिये जिससे यह समस्या टले और पूर्वी पश्चिमी जिलों का सवाल नहीं उठाना चाहिये ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए करीब १० करोड़ रुपये की मांग की है मैं इस राय का हूं कि एक पैसा इनको नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्रीमन्, यह जो लेखा परीक्षा, आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत है इसके सातवें पेज को देखा जाय तो आपत्तियां जिनका निराकरण नहीं हुआ, इसमें उन्होंने कहा है कि 'जो-जो प्रमुख आपत्तियां हैं, जैसे तखमीनों का न होना, व्योरेवार वाउचरों और उप-वाउचरों का अभाव और इस प्रकार जितनी रकम इसमें इनवाल्वड् है वह ४० करोड़ के ऊपर है ।' तो जब ४० करोड़ रुपये की इतनी बड़ी रकम जिस पर कि तखमीना ही नहीं है, उसके वाउचर भी नहीं हैं, उप-वाउचर भी नहीं हैं, इतनी बड़ी रकम इस अन्यायपूर्ण तरीके से जो सरकार खर्च करे, मैं समझता हूं कि उसके लिए आगे खर्चे के लिए अनुदान देना सदन के सम्मानित सदस्यों की कर्त्तव्यहीनता का द्योतक होगा ।

श्रीमन्, अक्सर यह बराबर कहा जा रहा है, इस समय रईस फर्रुखाबाद मौजूद नहीं है, उन्होंने भी, जेल में कुछ रकम बढ़ गयी थी, उसके बारे में बड़ी आपत्ति की और कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो सत्याग्रह किया करती है । मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि सोशलिस्ट पार्टी बराबर बुरे कानूनों को तोड़ने के लिये तैयार रहेगी, उसने तोड़ा है और आग भी तोड़ेगी । ऐसे गला-घोटू कानून जो नागरिकों के अधिकारों का अपहरण करके जनतांत्रिक प्रणाली का विनाश करें, ऐसे कानूनों की स्वतंत्र भारत में आवश्यकता नहीं रह गयी है । मई सोशलिस्ट आन्दोलन के सिलसिले में ४ जेलों में मुझे जाना पड़ा—बनारस, कानपुर, मिर्जापुर और इलाहाबाद । इनकी क्या दयनीय हालत है ! क्या अंग्रेजी राज्य में जो खाना पकाने के लिए लकड़ी की दिक्कत होती थी उसको रिमूव किया गया, दूर किया गया ? क्या वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था की गयी ? क्या जेलों में रात को जो वार्डर्स होते हैं उनके सोने की कोई व्यवस्था हुई ? वह जेल में पड़े रह जाते हैं, क्वार्टर पर भी नहीं जा सकते हैं । मिर्जापुर जेल में एक हफ्ते के लिए मैं गया था । वहां पर जो उस समय सुपरिंटेंडेंट जेल थे, जहां पर कैदी रखे जाते हैं, जहां उनका आंगन है, उसमें उनकी भैंस और उनकी गाय के लिए चरी लगायी गयी । अस्पताल से जब मैं लौट रहा था तो जो आदमी चरी ले जा रहा था उससे हमने पूछा कि यह चरी कहां जा रही है तो मालूम हुआ कि सुपरिन्टेन्डेंट के घर पर जा रही है । वहां पर इतने मच्छर काटे कि रात भर रहने के बाद मुझे मलेरिया हो गया और जहां मुझे दो दिन रुकना था वहां ७ दिन रुकना पड़ा । डाक्टरों ने कहा कि इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ।

उसी तरह से आज जेल की मैनुअल को देखा जाय । उसमें दफायें बनी हुई हैं । उनमें लिखा हुआ है कि पोलिटिकल पार्टियों, पोलिटिकल मैटर पर खत न लिखे जायं । बन्दी सम्मेलन होते हैं और उनमें बहुत सा पैसा बरबाद किया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि हम राजनीतिक हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से जेल में जाते हैं तो क्या वहां लैला मजनू की कहानी पढ़ेंगे ? वहां शादी विवाह की बात होगी ? वहां राजनीति की बातें ही होंगी । आज तक यह बात किसी की समझ में नहीं आयी । जो लोग राजनीतिक आन्दोलन में जेल जायेंगे तो वहां बातचीत में राजनीति की ही चर्चा करेंगे और खत लिखेंगे । लेकिन आज भी हमारे यहां अंग्रेजी साम्राज्यशाही की दफा कायम है जिससे सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर दोनों परेशान रहते हैं ।

श्रीमन्, कल कानपुर के बारे में चर्चा चल रही थी । मैं निवेदन करूंगा कि जब वार्डरों के लिये क्वार्टर्स बने हैं तो फिर सुपरिंटेंडेंट को क्या हक है कि उनके रहने की व्यवस्था न करे और हुक्म दे कि तुम्हें रात को जेल के फाटक पर सोना पड़ेगा ? जब मैं कानपुर जेल में था

तो वहां के वार्डर शहर में रहते थे। उनके लिये हुक्म हो गया कि रात को सोना होगा। उन्होंने कहा कि हमें रहने के लिये जगह दी जाय। तो जगह कैसे दें क्योंकि जेल के उच्च अधिकारी उनके क्वार्टर्स घेरे हुये हैं। मैं कहता हूं कि जेल की व्यवस्था पहले से भी ज्यादा भ्रष्ट है, वहां ज्यादा रिश्वतखोरी होती है। वहां ३६ सेर रोटियां पकड़ी गयी हैं जो कैदियों को खाने को नहीं मिलती हैं, जेलर, उपजेलर, और सुपरिन्टेन्डेट की गायों के खिलाने के लिये बाहर जाती हैं। इसकी रोकथाम होनी चाहिये।

जेलों में किताबें कहां मिलती हैं? किस जेल में कितना रुपया इनके लिये है और कौन सी किताबें आती हैं? एक लिस्ट बनी हुई है कि इन इन अखबारों को मंगाया जाय जिसमें सूचना विभाग के सारे अखबार हैं। ऐसे अखबार नहीं मंगाये जा सकते हैं जिनसे जेल के कैदियों के ज्ञान का विकास हो। यहां तक कि मैं बनारस से 'अखबार' मंगाता था और हैदराबाद से 'चौखम्भा' आता था। वह हमको तीन चार दिन बाद मिल पाते थे। किताबें हम लोगों की रोकी जाती थीं कि इनको देखा जाय कि पालिटिक्स तो नहीं है। कहीं जेलर पालिटिक्स समझ सकता है और पालिटिक्स से अछूती कौन सी चीज रह गयी है। आज पालिटिक्स का दायरा इतना बढ़ गया है कि सारी चीजों का समावेश उसमें हो गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन चीजों का अनुदान न दिया जाय।

न्याय विभाग जो हमारे प्रदेश में कायम है उसमें हाईकोर्ट के जजों को छोड़ कर जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट हैं वह, पुलिस और जेल के कर्मचारी मिलकर सारे प्रदेश के न्याय का गला काट कर रख देते हैं। मेरे ही मामले को ले लीजिये। हाईकोर्ट के जज ने रामानुज औदीच्य के बारे में लिखा है कि यह मैजिस्ट्रेट कोर्ट के मुकदमे करने लायक नहीं है, इसको मैजिस्ट्रेट रहना नहीं चाहिये। अगर इस मामले में समझौता न हो गया होता तो मैं जेल भेजता या जुर्माना करता। इसलिये मैं चेतावनी देकर छोड़ता हूं। यहां पर चीफ सेक्रेटरी के पास उसकी कापी आई है। लेकिन आज भी वह मैजिस्ट्रेट अपनी जगह पर बैठा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि वह निकम्मा मैजिस्ट्रेट जिसने उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री के इशारे पर डाक्टर राम मनोहर लोहिया के अंगूठे का निशान लिया, वह आज भी मैजिस्ट्रेट बना बैठा है।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यक्तिगत हो जाता है। एक मैजिस्ट्रेट के बारे में इस तरह से चर्चा नहीं होना चाहिये।

श्री राजनारायण—एक मैजिस्ट्रेट ऐसा हो जो हमारा गला काट कर रख दे तो मैं कहां रोऊं, श्रीमन्, आप ही हमें बतलायें। लखनऊ जेल में पुलिस ने पकड़ कर क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की दफा ६६ के मातहत उन पर मुकदमा चलाया है और वही उसका फैसला कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या बात है? बरेली से हमने उस पर मुकदमा चलाने के लिये एक चिट्ठी इजाजत के लिये लिखी थी। लेकिन उसका कोई जबाव नहीं दिया गया। यह न्याय चलायेंगे जिन्होंने सारे प्रदेश के न्याय का गला काट कर रख दिया है? आज मंत्रियों और माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब की ख्वाहिश इन्साफ बन गयी है और जो उन्होंने आतंक फैला रखा है उसी को व्यवस्था का नाम दे रखा है। हमारे पास जजमेंट की सारी फाइल है श्रीमन्, तमाम जजमेंट्स को देखा जाय। अभी-अभी बनारस के एक मुकदमे में हाईकोर्ट के दो विचारपतियों ने लिखा है और सरकार को चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में जो आज शान्ति और सुरक्षा है वह इतने नीचे दर्जे की हो गयी है कि सरकार को उस पर सोचना चाहिये। गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्टेनो के इशारे पर बनारस की पुलिस कार्यवाही करती है। उसने जजमेंट में इसको लिखा है और यहां तक उसने लिख दिया कि अमन चैन के माने में उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब हो गयी है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जस्टिस बेग ने डाक्टर लोहिया के बारे में यही लिखा कि जहां रिमांड की हालत ऐसी हो रही हो कि खाना बना हुआ है, उस खाने में चाहे कोई दूसरा दस्तखत कर दे उसको सरकार रिमांड का आर्डर मान लेती है वहां इन्साफ कैसे कायम रह सकता है?

[श्री राजनारायण]

इस सदन में कभी-कभी यह तबियत करती है कि कुछ बोलें या न बोलें। मेरी आदत नहीं कि किसी मंत्री के कमरे में दूसरी बात कहूं और सदन में दूसरी बात करूं। मरी यह भी आदत नहीं कि आम सभा में दूसरी बात करूं और इस सदन में दूसरे ढंग की बात करूं। कन्फ्यूशियस का कहना था कि वह समाज सही समाज होगा जब इन्सान अपने शब्दों से जाना जाय। आज इन्सान को अपने शब्दों से जाना जाना चाहिये, जो कहे वह करे। मेरा कहना है कि आज सरकार के उच्चाधिकारी और जो मंत्री लोग हैं यही भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। इसको साबित करने के लिये इस आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि कोई सदन की कमेटी बैठे, कोई हाईकोर्ट के जजों की कमेटी बैठे और इन तमाम मंत्रियों के खातों की छानबीन हो। एक मंत्री जब वह मंत्री नहीं हुआ था उस समय उसकी कितनी आमदनी थी और मंत्री होने के बाद उसकी कितनी आमदनी बढ़ गयी है, जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक किसी भ्रष्टाचार का भेद नहीं खुलेगा। क्या कोई मंत्री जो स्वतः भ्रष्टाचारिता में लबालब भरा हो वह किसी अपने सबार्डिनेट कर्मचारी के गुनाहों की छानबीन कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता है। क्या कारण है, श्रीमन्, जरा इसको सदन के सम्मानित सदस्य समझें और विचार करें कि हाउस स्कैंडल का सवाल ३-४ महीने से उठा हुआ है, आज तक उसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कोई सदन के सम्मानित सदस्यों की कमेटी बनी? हमारे पास इतने प्रमाण हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूं और यहां के बहुत से समाचारपत्रों के सम्पादक हैं जिन्होंने छानबीन कर के अखबारों में रिपोर्ट दी है। १, १२, १७ और २५ दिसम्बर के 'नैशनल हेराल्ड' में यह निकला है। शायद कोई शंका प्रकट करें इसलिये मैं इनको यहां ले आया था। इसमें बराबर चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के उच्चाधिकारी चाहे वे चीफ़ सेक्रेटरी हों, चाहे वे डेवलपमेंट कमिश्नर हों, चाहे वे बरेली के जिलाधीश हों, चाहे वे जेल के आई० जी० हों, ७ बड़े-बड़े सरकारी अफसर--- अगर आप कहें तो नाम भी पढ़ दूं?

श्री उपाध्यक्ष---नाम न पढ़िये आप।

श्री राजनारायण---मेरे कहने का मतलब है चीफ़ इंजीनियर, रिहंद, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बरेली, रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, आई० जी० जेल्स और डेवलपमेंट कमिश्नर, इन तमाम बड़े-बड़े अफसरों के ऊपर आक्षेप है। यह आक्षेप सही है या गलत है इसकी एन्क्वायरी क्यों न हो? जब इसके लिये और कोई कमेटी न बने तो इन जिम्मेदार सदस्यों की एक कमेटी बने और इसकी छानबीन जरूर होनी चाहिये। मैं ईमानदार हूं और अगर कोई हमारी ईमानदारी पर शक करता है तो हमारा परम पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिये कि उस शक को दूर करें। मगर यह सरकार इन सब बातों पर परदा डाल रही है। मैं आप के द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह बड़े-बड़े कर्मचारी लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं और जल्दी रिटायर भी होने वाले नहीं हैं फिर इनका लखनऊ में मकान क्यों बने? यह सरकारी मकान में रहते हैं और वहां पर ३,६०० रुपया सालाना देकर इनको पूरी सुविधा प्राप्त है तो फिर ये अपने पास से ६० हजार रुपया खर्च कर के क्यों नये मकान बनवायें और उनमें रहें? क्या ये नालायक हैं? ये नालायक नहीं हैं? ये बड़ी समझ बूझ से काम करते हैं। गवर्नमेंट अगर इसके लिये जमीन ऐक्वायर करती है तो उसको डेढ़ दो रुपये में ऐक्वायर करना पड़ता है लेकिन इन अफसरों को जमीन मिलती है ६ आना, ४ आना और ३ आने वर्ग फुट के हिसाब से। म्युनिसिपल बोर्ड इनके प्लान को पास नहीं करता है मगर फिर भी इन अफसरों के मकान बन जाते हैं। बहुत सी इर्रेगुलेरिटीज को लीगलाइज करने के लिये इनका काम हो जाता है. . .

श्री उपाध्यक्ष---आप के दो मिनट बाकी हैं।

श्री राजनारायण---क्या आप यह समझ रहे हैं कि मैं सरकार का भंडाफोड़ कर रहा हूं और जनता से उसको छिपाया जाय?

श्री उपाध्यक्ष---मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने समय के विषय में आप से निवेदन किया।

श्री राजनारायण---इनको प्राथमिकता दी गई और सरकारी काम से भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई। क्यों दी गई, यह समझने की बात है। हमारे पास जो सूचना है उस सूचना की बुनियाद पर इनको कोयले का परमिट दिया गया। उस कोयले के परमिट को ईंटोंवालों को देकर इन्होंने सस्ता ईंटा खरीदा और आकर बताया कि दूसरे दर्जे का ईंटा हमने लिया है। म्युनिसिपल बोर्ड ने इनके मकान का प्लान पास नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने मकान बना लिये और इनको पानी भी मिल गया। सैनिटरी फिटिंग हुई लेकिन इजाजत नहीं मिली। इतने बड़े-बड़े आरोप हैं कि उनको किस तरह से बयान किया जाय। हमने लगातार कोशिश की। हम माननीय मुख्य मंत्री से मिले, गृह मन्त्री जी से मिले और इन सब बातों को निवेदन किया। मगर हमको ऐसा लगता है कि इन सारी बातों को छिपाने की कोशिश की जा रही है और ऊपर से नीचे तक यह मन्त्री सब डर रहे हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर और आई० जी० प्रिजन्स और बड़े-बड़े अफसरों की पोल खोली गई तो हमारी पोल ये लोग खोल देंगे। बस यही खतरा है। इस पोल को छिपाने के लिये और इन अफसरों के काले करनामों को छिपाने के लिये यह सरकार बराबर कोशिश कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह सदन तब तक दम न ले जब तक इस हाउस स्कैंडल की जांच के लिये या तो इस हाउस की एक कमेटी न बैठे या हाईकोर्ट के जज की संरक्षता में कोई इन्क्वायरी कमेटी न बैठे। अगर कमेटी बैठ जाय तो मूंधडा से चौगुना भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ इस हाउस स्कैन्डल में हो कर रहेगा। इसलिये मैं यह माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस हुकूमत को एक पैसा भी खर्चे के लिये नहीं देना चाहिये।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन चन्द मिनटों के अन्दर मुझे अपने विरोधी भाइयों का जवाब भी देना है और कुछ सुझाव भी देने हैं इसलिये भूमिका को छोड़ कर मतलब की बात करता हूं। अभी हमारे भाई राजनारायण जी ने बड़े जोश के साथ और गुस्से के साथ अपनी बातों को हाउस के सामने रखा है। अगर यह बात सही है तो अफसोस की बात है इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं लेकिन मैं अर्ज करूं कि हाउस में चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---जिस सीट से आप बोल रहे हैं वह मध्य में पड़ती है। इसका बड़ा असर पड़ता है मेम्बरों पर।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं कोशिश करता हूं कि मध्य से ही बोलूं। इंसाफ इधर हो तो इनके साथ हूं और इंसाफ उधर हो तो उनके साथ हूं। अगर मैं इंसाफ छोड़ दूं तो घाटे में रहूंगा और इंसाफ न छोड़ूं तो चाहे किधर भी रहूं, मुनाफे में रहूंगा। भ्रष्टाचार मिटाने में मैं आप के साथ सहमत हूं, लेकिन जरा गौर फरमाइये कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के आने के बाद हो गया है या पहले से ही था.....

एक सदस्य---बढ़ गया है।

श्री सीताराम शुक्ल---बढ़ गया और ठीक बढ़ा। बढ़ना चाहिये। इसका कारण यह है कि उस वक्त शख्सी हुकूमत थी। नजर बदली गवर्नर साहब की और आदमी बर्खास्त हो गया। आज तो जिस वक्त अफसर को रखने का वक्त आता है तो आप लोगों की चिट्ठियां पेश की जा सकती हैं कि इसको थानेदार बना दिया जाय। अगर इधर की चिट्ठियां पेश की जा सकती हैं तो उधर की भी पेश की जा सकती हैं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदस्यों से कहूंगा कि माननीय शुक्ल जी के भाषण सुनने का पूरा आनन्द आप तभी ले सकते हैं जब कि उनको आप लोग शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री सीताराम शुक्ल—तो जिस वक्त अफसर चुनने का मौका आता है उस वक्त असर पड़ता है मेम्बरों का और इसलिये पहले जैसे अफसर बनते थे वैसे आज नहीं बन रहे हैं। मेरिट नहीं रह गयी है बल्कि असर रह गया है।

दूसरी बात यह है कि जब बरखास्त करने का सवाल आया फंस गये, कोई चारा नहीं, तो न सिर्फ इधर के बल्कि उधर के लोग भी कहते हैं कि छोड़ दो, भाई, गलती हो गई। माफ करो। मुकर्रर होने में भी सिफारिश और निकालने के वक्त भी सिफारिश। तो इस तरह से हम भी खतावार होते हैं। इसलिये हर वक्त की सिफारिश बन्द होनी चाहिये।

बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया, अफसोस है कि राजनारायण जी नहीं है कि परमिट दिये गये, कोयला दिया गया। मैं तो कहता हूं कि अफसरों को मुफ्त दिया जाता तो अच्छा होता। हम अपने अफसरों को और ऊंची जगह देखना चाहते हैं। हुजूरवाला, उनको जितनी ही शांति और निश्चिन्तता होगी और उनकी जितनी ही इज्जत होगी उतना ही अच्छा काम वह कर सकेंगे।

एक सदस्य—मंत्री बना दीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल—कोई मुश्किल नहीं है। प्रजातंत्र का जमाना है। एक चपरासी अगर मंत्री हो सकता है तो यह तो अफसर है। दरवाजा खुला हुआ है, बन सकते हैं। तो मैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना चाहता हूं, और न सिर्फ उनको ही बल्कि हर एक को, अपने चपरासी को भी और अपने देश के हर रहने वाले को। हम सबको आराम से और सुखी देखना चाहते हैं। जो चार्ज आप लगाते हैं वह चार्ज नहीं बल्कि तारीफ की चीज है। आपने यह किताब दिखा कर कहा कि यह तुम्हारी शिकायत है। यह आडिट की रिपोर्ट है। न मालूम आप सरकार की तारीफ करते हैं या शिकायत। आडिट रिपोर्ट देने वाला जो अफसर था वह सरकार का ही अफसर था। वह विरोधी पार्टी का आदमी नहीं है। यह जांच आपने नहीं करवायी है। सरकार के अफसर ही जांच कर के गलती पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि गलत काम करने वाले को सजा दी जाय और यह भ्रष्टाचार बन्द हो। यह तो तारीफ की बात है। इसमें शिकायत की क्या बात है? सरकार कोशिश करती है कि गलतियां पकड़ी जायं और उनके लिये जिम्मेदार आदमियों को सजा दी जाय, लेकिन सजा नहीं दे पाते हैं। इसमें हमको मदद देने की जरूरत है।

बड़े जोर से एक सज्जन ने कहा कि ऐसा भी जमाना रूस में आ गया कि स्टालिन पर मुकदमा चला। कहीं यहां भी जमाना न पलट जाय। हुजूरवाला, ख्रुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी का ही आदमी है। किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। खरे साहब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया था। यहीं पर कृष्णमाचारी के विरुद्ध कमीशन बैठा और उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया। गलती बड़ों-बड़ों से हो सकती है। मगर मैं पूछता हूं कि क्या आप ने भी अपनी पार्टी से किसी को निकाला है। जन संघ से, सोशलिस्ट पार्टी से या कम्युनिस्ट पार्टी से कभी किसी को निकाला गया है? गलती करने पर सजा देना तारीफ की बात है, बुरी बात नहीं है।

कहते हैं कि जेलों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो ये विरोधी पक्ष के लोग यह कहते हैं और दूसरी ओर सत्याग्रह करते हैं और जेल भरने के लिये कहते हैं। तो फिर आप को जेलों की तादाद बढ़ने की शिकायत नहीं होनी चाहिये।

भ्रष्टाचार मिटाने के लिये मैं आप से अर्ज करता हूं कि मुकदमों में पुलिस पैरवी करती है। सरकारी वकील साहबान के ऊपर नियंत्रण होता है जिलाधीश का, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का नहीं होता है। अगर कोई छूट जाता है तो पुलिस की शिकायत होती है जब कि नियंत्रण जिलाधीश साहब करते हैं। इसलिये क्या उन पर नियंत्रण का अधिकार पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को होना चाहिये?

हम सब लोग चाहते हैं कि खाना, कपड़ा, मकान सब को मिले। ठीक है। इसका उपाय है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में बोलने, लिखने और सोचने की सब को आजादी है। अगर आप सिर्फ सरकार को बदनाम करके पावर में आना चाहते हैं तो इससे भले ही आप का फायदा हो मगर मुल्क का तो नुक्सान ही होगा। वोटर लिस्ट बहुत बड़ी चीज है और आप की पार्टियां बहुत छोटी हैं। अगर आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो वोटर राज्य होना चाहिये। यहां समय कम है मगर मैं चाय पर दावत दूंगा और बतलाऊंगा कि वोटर राज्य कैसे हो और भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जा सकता है। जैसे महाभारत में जब यक्ष दुर्योधन को पकड़ कर ले गया तो लोगों ने कहा कि बड़ी खुशी हुई। तब भीम ने कहा कि "आप त्सुच विवादेतु, वयं पन्च चते शतम्, अन्यैरपि विवादेतु वयं पंचशतानि च।" आपसी झगड़े में एक तरफ १०० हैं और दूसरी तरफ ५ हैं मगर गैर के मुकाबले में हम १०५ हैं। मेरा निवेदन है कि गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा को मिटाने में १०५ बन कर चलें तो हमें जल्दी सफलता होगी।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह पूरक अनुदानों का बजट है। मैंने इसे शुरू से आखिर तक पढ़ा। मैं इस नतीज पर पहुंचा हूं कि इसमें कोई भी ऐसी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट नहीं है जो मंजूर करने के काबिल हो। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें हर जगह नीचे लिखा है कि १०० रुपये की प्रतीक पूरक मांग प्रस्तुत की जाती है। इसके ऊपर की लाइन में लिखा है कि यह व्यय अनुदान के अन्तर्गत बचतों से पूरा कर लिया जायगा। बड़ी हैरत है कि मांग केवल १०० रुपये की जाती है। मगर यह बचत उसे पूरा करने के लिये कहां से होगी? इसका ब्यौरा इसमें कहीं नहीं है। अगर इस सदन से मंजूर हुई ग्रान्ट में कोई बचत हुई है तो निश्चय ही किसी ब्यौरे से बचत की गई है। यह सदन सुप्रीम पावर इस प्रदेश की है। जो रकम पास की गई थी उसका ब्यौरा दिया गया था जिसके लिये वह पास की गई। निश्चय ही उसमें से कोई काम रह गया जिसकी बचत हुई। इस बचत के नाम पर हाउस को ब्लफ किया जाता है और उस रुपये को ग्रान्ट पुकार कर दुरुपयोग किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इमारत के लिये १ लाख रुपये की ग्रान्ट पूरे बजट में स्वीकार हुई है और उसका पूरा ब्यौरा दिया गया कि इतना लान में, इतना बुनियाद में और इतना फर्नीचर में लगेगा और उसमें से बचत की गई है तो निश्चय ही उस इमारत में दरवाजे या फर्नीचर या कोई और चीज नहीं लग पायी है। तभी वह बचत हुई है। किसकी आज्ञा से वह चीज रोकी गई है जिसे सदन ने पास किया था? इसका कोई जिक्र इसमें नहीं दिया गया है।

लेखा-परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट के बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है। इसमें, परिवहन विभाग में है कि जून, १९५३ में ३,००० गैलन की क्षमता का हाई स्पीड डीजेल आयल टैंक खरीदा गया, जिसमें लीकेज ९,६६६ गैलन का हो गया। तो सर से बड़ी आंख हो गई। इसके मानी हैं कि इसमें बड़ा कोई भ्रष्टाचार है जिसे लीकेज दिखाया गया है। इसे टैंक से निकाल कर इसका दुरुपयोग किया गया है। इसके अधिकारियों ने यह इतने गैलन खाया है और इसका दुरुपयोग किया है। अब यह आडिट रिपोर्ट के द्वारा लीकेज कहा गया है। अगर विरोधी पक्ष की ओर से यह बात कही जाती तो हमारे उस ओर के सम्मानित सदस्य यकीन नहीं करते। वह कहते कि विरोधी दल का तो यह पेशा हो गया है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगावे। हम धन्यवाद देते हैं उस आडिटर को जिसने सत्यता को यहां प्रकट किया है। ये जो पूरक अनुदान हमारे सामने लाये गये हैं इनकी तह में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और उसके मातहत यह पूरक अनुदान लाया गया है। जो ग्रान्ट्स दी गयीं उनका काम पूरा होने के बाद और खर्च की जरूरत पड़ी। वह क्यों पड़ी? यह मैं चन्द मिसालों के द्वारा आप के सामने प्रस्तुत करूंगा। वित्तीय सब कमेटी का मैं मेम्बर हूं। मेरे सामने जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

रिपोर्ट पेश की गई, उसमें मैंने एक आइटम देखा। उसमें लिखा था कि २०,७५,६३,४६४ युनिट टोटल एनर्जी तैयार हुई, इसमें से ४,४५,९१,६१;९ युनिट लीक कर गयी और यह लास हो गया। अब आप जरा गौर फरमाइये कि इसमें से भी ४५,५४,३०९ युनिट फ्री एलाऊ कर दी गई। इस प्रकार से ५ करोड़ युनिट बिजली हमारी बरबाद हो गई। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या विरोधी दल के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसके लिये सरकार जिम्मेदार है, सरकार के कर्मचारी जिम्मेदार हैं, इसके लिये सारे मंत्रिगण जिम्मेदार हैं। यह वह एनर्जी है जिसके पैदा करने में प्रदेश के एक-एक किसान का पैसा और एक-एक मजदूर की मेहनत लगी है और वह इस तरह से बरबाद की जाती है। अगर यह ५ करोड़ युनिट एनर्जी बरबाद न की जाती तो तीन-तीन चार-चार मर्तबा सप्लीमेंटरी बजट लाने की आवश्यकता न होती।

एक बार बजट आया, दोबारा सप्लीमेंटरी बजट आया और अब जब कि नया बजट आने वाला है यह तीसरा सप्लीमेंटरी बजट आ रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हम किसी जगह पर रोकथाम नहीं कर पाये हैं, कहीं पर ब्रेक नहीं लगा पाये हैं।

इस तरह के सप्लीमेंटरी बजट आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके सिलसिले में मैं अपने जिले की एक मिसाल दूंगा और वही चीज सारे प्रदेश पर लागू होती है। हमारे जिले में इर्रीगेशन विभाग की एक ट्रक है उसकी मरम्मत के लिये एक ही साल में ४ बिल पेश होते हैं। इस ट्रक का नंबर ११७७ है। बिलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

			रु०
अक्तूबर,	५६	में मरम्मत हुई और बिल आया ..	३,३००
अप्रैल,	५७	,, ,, ..	३,२००
जुलाई,	५७	,, ,, ..	७००
दिसम्बर,	५७	,, ,, ..	२,०००

इस प्रकार से ९,२०० रुपया एक ट्रक की मरम्मत पर खर्च किया गया। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो हर दो माह के बाद मरम्मत होती रही। इसी तरह से शार्टेज होता है और उस पर ज्यादा खर्चा किया जाता है तथा हम से मांग की जाती है। मोटर में सामने की ओर एक रेडियेटर होता है जिसमें करीब एक बाल्टी पानी आता है, उसकी मरम्मत के लिये ३७७ रुपया पेमेंट किया गया। जितना रुपया उसकी मरम्मत के लिये दिया गया शायद उस रुपये में दो नये आ जायं। इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई की रकम को बरबाद किया जाता है। जब लोग उसको खा-पी लेते हैं तो कहते हैं कि हमें और दीजिये। और हमारी सरकार उसके लिये पूरक अनुदान पेश कर के हमसे रुपया पास कराने की कोशिश करती है और रुपया ले लेती है। इसलिये हम आपके द्वारा इसका सख्त विरोध करते हैं। इन पूरक अनुदानों के बारे में एक पद्धति बना ली जाय कि एक बजट आवे उसके ६ महीने बाद सप्लीमेंटरी बजट आवे, मगर एक साल के अन्दर तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच सप्लीमेंटरी बजट आवेंगे तो हमारा प्रदेश तबाह हो जायगा, यहां की गरीब जनता तबाह हो जायगी। एक तरफ तो भुखमरी है, एक तरफ सैलाब से परेशानी है और दूसरी तरफ सप्लीमेंटरी बजट लाकर, पूरक बजट के जरिये बड़ी लम्बी रकम मांगी जाती है और यह कहा जाता है कि हमारी सरकार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है। हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जितनी बातें मैंने सुनीं और साढ़े तीन बजे इस डिस्कशन का वक्त खतम होगा, तो उस वक्त तक मैं सब बातों की बाबत तो नहीं अर्ज कर सकता, कुछ चुनी हुई बातों की बाबत ही अर्ज करता हूं। पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि कल या परसों की बात है, इस सदन में चीफ मिनिस्टर साहब ने उन अफसरों की बाबत, जिनके मकानात बनाने की बाबत इस सदन में कुछ चर्चा हुआ था, यह बात बतला दी थी कि उन्होंने खुद उन अफसरों की बाबत तहकीकात की और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि वे शिकायतें गलत थीं, सही नहीं थीं। यह कल या परसों की बात है। मैंने अभी उसके मुताल्लिक एक बहुत लम्बा चौड़ा जुज तकरीर का यहां सुना कि गवर्नमेंट की तरफ से उसके मुताल्लिक इस वक्त तक कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ वह तो हाउस के सामने आ चुका है और आगे बढ़ने के पहले दो अल्फाज इस जगह मैं और अर्ज करूंगा। वह यह है कि हम सरकारी मुलाजिमान के मामले को जिस नजर से देखते रहे हैं, वह गालिबन उस नजर से देखे जाने नहीं चाहिये और किसी बदगुमानी को, जिसके लिये हमारे पास इस बात की कोई दलील न हो, उसको इस हाउस के सामने बयान करना कम से कम जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ उचित नहीं समझा गया है। सरकारी मुलाजिमान जो हमारे यहां आये हैं, हम उनमें से हैं, वे हममें से हैं, हम उनको बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वे इस देश की बड़ी खिदमत करते हैं और हमारे शुक्रिया के मुस्तहक हैं और हमारे लिये उनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात वगैरह किसी बुनियाद के इस हाउस में लगाना मुनासिब बात नहीं हो सकती।

दूसरी बात जो मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा वह यह है कि मैंने कुछ चर्चा उन बातों का इस सदन में सुना जिनके बारे में गालिबन उस आडिट रिपोर्ट में कुछ कहा गया है जो कल इस सदन की मेज पर रखी गयी थी। जो बातें मैं अर्ज करूंगा उससे मेम्बरान को मालूम होगा कि आज उन कही हुई बातों के जवाब में मैं कुछ भी नहीं कह सकता और मुझे कहना नहीं चाहिये। पहली बात तो मैं यह बतलाऊं कि यह रिपोर्ट एक्सपार्टी है। एक मुहकमा है, जिसका काम है, उसने कुछ गलतियां पा करके एक रिपोर्ट बनायी है इसको हमारा हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया की सोसाइटी का जो तरीका है, वह मानता है कि यह एक्सपार्टी चीज है। इसकी तरफ तवज्जह नहीं हो सकती है उस वक्त तक जब तक दूसरों से जिन के मुताल्लिक कहा गया है उनसे जवाब न ले लिया जाय और उस जवाब लेने का एक तरीका मुकर्रर है, असेम्बली हो या पार्लियामेंट हो, वह अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाते हैं और वह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस हाउस से बनती है। उसके सामने यह सब पेश होता है। वह उनमें से हर एक मामले को देख कर और डिपार्टमेन्ट से उसका जवाब लेकर उस पर अपना फैसला देती है। वह फैसले मैं पेश कर सकता हूं जिनमें ऐसे भी हैं जिनमें उनकी आडिट रिपोर्ट को नहीं माना और जो डिपार्टमेंट ने समझाया उसको वह समझे और उन्होंने उसको सही करार दिया। जबकि चीज ऐसी हो, तो उसकी बिना पर किसी का रिनंसिएशन, बगैर प्रोसीड्योर को पूरा किये हुए, किया जाय, यह बात कहां तक मौजूं और मुनासिब हो सकती है? मैं इससे ज्यादा उसकी निस्बत अर्ज किया नहीं चाहता हूं, उसका तजकिरा यहां नहीं होना चाहिए था।

एक गोरखपुर के जज साहब के मुताल्लिक जिक्र हुआ। छोटी सी बात न मालूम कितनी बदगुमानी। बदगुमानी की जो जड़ है, उस हकीकत को मैं अभी बतलाये देता हूं, जिस बिना पर वह बात कही गयी। जो इल्जाम गवर्नमेंट के जिम्मे लगाना मखसूस था, वह इल्जाम लगता है या नहीं लगता है, अभी हाउस इसका फैसला करेगा। एक जज साहब थे। उनका तबादला हुआ गोरखपुर से। साल भर से वह वहां थे। अब एक ऐसी बात है, मुझे मजबूरन कहनी पड़ती है। मैं कहना नहीं चाहता था। उनके मुताल्लिक कुछ शिकायतें थीं, पहले से भी रह रही थीं। उन शिकायतों की बिना पर गोरखपुर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

उनका तबादला हुआ। इससे पहले कि उनका तबादला होता वह एक ट्रिबुनल के जज मुकर्रर हो गये थे एलेक्शन पेटीशन के सुनने के लिए। उनके तबादले को यह महमूल कर लिया गया कि यह गवर्नमेंट ने उनका तबादला इस गरज से कर दिया है। वह चाहे यू० पी० में किसी जगह पर हो, और कहीं को भी चला जाय, पेटीशन तो वही तय करेगा, जब तक कोई एलेक्शन कमिश्नर ही उसको वापस लेकर दूसरे को नहीं देता, उसी को करना है। इस केस में वही करेंगे, जो साहब थे। वह उस इलेक्शन पेटीशन को करने के लिए गोरखपुर जायंगे और उसको करेंगे। उस पोजीशन के अन्दर कोई फर्क पैदा नहीं हुआ। यह उनके तबादले के मुताल्लिक मुझे सफाई कर देनी थी। इस किस्म की बदगुमानी का कोई मौका उस मामले के अन्दर नहीं है।

एक और बात मैं यह अर्ज करूं कि बिजली का भी जिक्र सुन रहे थे यहां। वह बात एक गलतफहमी पर, लफ्ज उसके लिए हिन्दी में ठीक क्या हो, मैं जानता नहीं हूं मबनी है। उसकी बिना पर है जो उनको गलतफहमी है। कोई बिजली दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका लीकेज न होता हो, मैं अर्ज करूंगा आपसे। बिजली का लीकेज होना जरूरी, लाजिमी है। किसी तरीके से यह एवायड हो नहीं सकता है। पावर हाउस से जब बन कर के बिजली निकाली जाती है तो जिस लाइन पर वह चलती है कोई बिजली तो होगी डिजिल की बनी हुई, कोई होगी स्टीम की बनी हुई, कोई बिजली होगी पानी की बनी हुई, अब इनका लास मुख्तलिफ परसेंटेज में होता है; किसी का २० परसेंट होता है, किसी का १५ परसेंट होता है, किसी का १० परसेंट। अब एक जगह २५ हजार, ३० हजार किलोवाट बिजली एक स्टेशन में पैदा हो रही हो उसका परसेंटेज निकाल कर देख लिया जाय कि उस परसेंटेज से लीकेज कितना हुआ। तो यह तो मामूली एक बात है कि लीकेज उसमें होता है और वह हुए बगैर नहीं रह सकता है। उसका गवर्नमेंट कोई इलाज नहीं कर सकती है। हां, अगर किसी के घर में लीकेज हो तो उसमें उस घर वाले का दोष हो सकता है, उसकी फिटिंग खराब होगी। उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जो बात मैंने अर्ज की उसका किसी तरीके से दुनियां में इलाज हो नहीं सकता है।

अब सेपरेशन आफ जुडिशियरी की बाबत कहा गया कि जुडिशियरी को सेपरेट नहीं किया गया इस सूबे में। तो यह बात तो गलत है। उस पर बहस तो फिर होगी। मैं सिर्फ रेफर किये देता हूं, क्योंकि एक ऐसे बुजुर्ग की जबान से निकली हुई बात थी वह, कि उसको इग्नोर करना उनकी इज्जत को देखते हुए मुझे मुनासिब नहीं है। इसलिए बतौर हवाले के इस वक्त अर्ज किये देता हूं कि जुडिशियरी को तो सेपरेट करने का तजकिरा कितनी दफे यहां आ चुका। यहां उस पर डिस्कशंस हुए हैं और यह बतला दिया गया है कि इतने जिलों के अन्दर वह सेपरेशन की हालत में काम कर रहे हैं और उसको हायेस्ट पीक जो है उस पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जो रास्ते में रुकावट है आज वह यह है कि उसका खर्चा बहुत है। तमाम स्टेट के अन्दर उसको करो, उसके लिए आफिसर्स बिलकुल अलग मुकर्रर करो, उतना स्टाफ रखो, और सैलरीज का बिल और बढ़ाओ, तो वह बढ़ाया जाय कि न बढ़ाया जाय यह एक ऐसी बात है कि जो शायद मुझे जनरल बजट के वक्त कहनी पड़ेगी। मुझे खर्चों का मुकाबिला भी तो करते चलना है, यह भी तो देखना है कि किस खर्चे को प्रायर्टी दी जाय, किसको न दी जाय। तब तो इस स्टेट का काम किसी तरीके से बन सकता है। वर्ना ये डेवलपमेंट के सारे काम हो नहीं सकते। इसलिए कितनी ही चीजों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। पहले हम सोचेंगे कि पेट कैसे भरे, फिर उसके बाद कोट बनाने की बात सोचेंगे। इस तरह से हम जो खूबियां अपनी सोसाइटी में पैदा करना चाहते हैं वह खूबियां भी पैदा कर लेंगे लेकिन पहले उसके लिए इस तरह की चीजों को छोड़ते भी चलना पड़ेगा।

मेरे भाई कह रहे हैं कि १२, १३ करोड़ का सप्लीमेंटरी इस साल के अन्दर और बजट का डेफिसिट। मैं एक बात समझने से बिलकुल कासिर हूं, मुझे मालूम नहीं है कि यह जो यहां लाइब्रेरी है इस असेम्बरी की इमारत के अन्दर यह कभी इस्तेमाल होती है कि नहीं होती है।

मालूम नहीं इसका इस्तेमाल वह साहबान करते है या नहीं करते हैं। अगर करें तो उनको मालूम हो कि दुनिया में आज क्या है। नामुमकिन है कि न मालूम हो और यह भी मालूम हो कि इस स्टेट में जब से डेमोक्रैसी की इब्तदा शुरू हुई है जिसको कि अंग्रेजों ने कहा कि हमने उसकी संगेबुनियाद रखी है, बहरहाल जो भी हो उस जमाने की भी हिस्टरी पूरी यहां लाइब्रेरी के अन्दर मौजूद है। उसके मुताले से पूरे तौर से मालूम हो सकता है कि क्या होता रहा है और क्या नहीं होता रहा है। ऐसी हालत में इस बात के लिये कहीं नजर डालने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने खयालात को मालूमात के जरिये से सही कर सकते हैं और उनके दिल में इतने शुबहात पैदा न हों और जो बातें वह यहां उठाते हैं उनको उठाने का मौका ही न आवे।

इसके अलावा एक बात और है और वह यह कि असेम्बली के डिपार्टमेंट को अलग नहीं किया गया। कहने की बहुत जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त है, ५ मिनट बाकी हैं, क्या-क्या कहूं? यह एक व्योरा है मेरे पास। मेरे हाथ में है। इसमें सब कुछ लिखा है। जिन साहब का जी चाहे, यहां रखा हुआ है, लेकर पढ़ लेंगे।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५९ पर)

यह तमाम प्रोसेस जारी है और यह काम हो रहा है और जिस हद तक हो चुका है उस हद तक वह इन कागजात के अन्दर लिखा हुआ है और जितना बाकी है वह आइंदा के लिये कंसीडरेशन के लिये बाकी है और असेम्बली डिपार्टमेंट और जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में असेम्बली डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट करने के लिये और जो इसे इस जमाने में दर्जा मिलना चाहिये वह दर्जा उसे दिया जा रहा है। उसमें किसी तरह की रुकावट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि कृपया मंत्री महोदय को ऐसा आदेश दें कि वे चारों ओर घूम करके न बोलें, माइक दूर हो जाता है तो हमको सुनाई नहीं पड़ता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मुझे तो हुजूर एक बड़ा मुगालता था, अंग्रेजी में जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसे माननीय सदस्य ने रफा कर दिया। जिन्होंने हुजूर से इरशाद फरमाया। मैं इस मुगालते में था कि मुझे यहां कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं उनका मशकूर हूं।

खैर, तो मैंने कहते-कहते बात छोड़ी थी कि डेफिसिट बजट होते हुए १० करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट आया। किसी स्टेट के अन्दर या दुनिया में क्या होता है उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन खास कर इसे निकाल कर देखा जाय तो जो कुछ इस हाउस के अन्दर कहा जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट अमल न करे लेकिन अगर करे और उसके ऊपर ८ करोड़ रुपया खर्च हो जाय जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो बजट के अन्दर प्रोवाइडेड न हो इस लिये कि कौन जानता है कि किस किस्म की बरसात हो जायगी, किस किस्म का तूफान आ जायगा या कितनी खुश्की बढ़ जायगी, बारिश नहीं होगी तो इसके लिये या तो यहां हर साल बजट में ८ करोड़ रुपया रखा जाया करे तब तो वह बात उनके खिलाफ जायगी जो एतराज करने वाले हैं और अगर ऐसा न करो तो फिर उसके लिये बीच में सप्लीमेंटरी नहीं लाओगे तो क्या करोगे? अगर इसमें से ८ करोड़ की यह रकम निकाल दो तो बाकी जो २ करोड़ बचती है, उसमें वह रकम निकाल दो जो सेविंग्स से खर्च की जायगी। ताज्जुब है, यह कहा गया कि सेविंग्स से खर्च हो रहा है, यह बड़ी हैरत की बात है। बजट में जो रुपया रखा जाता है वह एक अन्दाज पर रखा जाता है कि इस साल इतना रुपया खर्च होगा। उसमें खर्च कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये दोनों मिसालें इसमें मिलती हैं। इसमें एक्सेस खर्च की मांग है। जहां ज्यादा खर्च हुआ वहां ज्यादा रुपये की आवश्यकता हो गई और जहां

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

खर्च कम हो गया उसमें लिखा जायगा कि इसमें खर्च की कमी हुई है और उसे उसमें खर्च न करके इस तरह से फलां मद में खर्च कर दिया जायगा ।

अब वक्त खत्म हो गया और मैं बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, आप एक दो मिनट चाहें तो और ले सकते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---दो मिनट में क्या कहा जा सकता है ?

१९५७-५८ के द्वितीय पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १-लेखा शीर्षक ४-कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं विभिन्न अनुदानों को लेता हूं ।

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)---मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १---कृषि-आय कर की उगाही पर व्यय---लेखा शीर्षक : ४---निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

इस सम्बन्ध में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । जो स्मृति-पत्र दिया गया है उसमें प्रथम पन्ने पर जो ब्योरा दिया हुआ है वही काफी है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों ने उसे पढ़ लिया होगा ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री मदन पांडेय से)---देखिये, यह जो कटौती का प्रस्ताव है, उसमें वाद-विवाद करना तो नहीं है, सुझाव देने या नुक्ताचीनी करने के लिए जो स्पेसिफिक ग्राण्ट है उसी पर आप बोलें ।

श्री मदन पांडेय---मैं एक ही लाइन में बोल रहा हूं । मैंने कटौती का प्रस्ताव इस खयाल से दिया है कि पिछले दिनों राष्ट्रपति के सामने दिये गये वादे के बावजूद भी उगाही का सवाल चाहे मालगुजारी में, चाहे कृषि आय-कर के सम्बन्ध में, ऐसा पैदा हो गया है कि ज्यादतियां होती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---चूंकि आपका प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है, तो अगर आप विरोध करना चाहें तो करें, किन कारणों से आप विरोध करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायगा ।

श्री मदन पांडेय---मैंने इस सदन में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित इस दृष्टि से किया है कि जो हमसे अनुदान मांगा जा रहा है कृषि आय--कर के सम्बन्ध में, उसमें जिन कर्मचारियों की नियुक्ति होगी या भत्ते और तनख्वाहें दी जायंगी उन्हें ये आदेश दिये जायं कि जो सरकार की और लेजिस्लेचर की मंशा है कि किसी के साथ ज्यादती वसूली में न हो, उसका पालन किया जाय । यदि उस संशोधन पर विचार नहीं हो रहा है, तो मेरा यह अनुरोध ही स्वीकार किया जाय ।

श्री परमात्मानन्द सिंह---मान्यवर, माननीय सदस्य ने तो इतना ही कहा कि जो लेजिस्लेचर की राय है उसके विरुद्ध किसी पर सख्ती न की जाय और अन्याय न किया जाय, तो यह तो ठीक है, हम मानते हैं और अन्याय हम करते ही नहीं है । ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने आई नहीं । बजट में जो आवश्यकता बतायी गयी है उसके विरोध में कोई बात कही नहीं गई, इसलिए मुझे कोई विशेष निवेदन नहीं करना है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १–कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय-लेखा शीर्षक: ४—निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक : १८—इंजीनियरिंग संस्थायें

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक : १८—इंजीनियरिंग संस्थाओं के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के किये स्वीकार की जाय।

जैसा कि नोट में लिखा हुआ है, वहां रुड़की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें बहुत पुरानी थीं, उनके लिये २५,००० रु० पहले मंजूर हो चुका था और अब और जरूरत है ५०,००० रुपये की। इसी तरह वहां जो बाहर के ऐक्सपर्ट्स आते हैं और रहते हैं, उनके लिए १२,००० रुपये के फर्नीचर की जरूरत है। वह खरीदा जायगा। सेविंग्स से यह रकम मिल जायगी। इसलिए टोकेन ग्रान्ट के तौर पर यह रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि हाउस स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—इंजीनियरिंग संस्थायें—लेखा शीर्षक : १८ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक : २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक : २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ९,६४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

इसका ब्योरा स्मृति-पत्र में लिखा हुआ है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की रखी उसके विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि ग्रांट हमसे हमेशा ली जाती है, लेकिन जिस तरह से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आज प्रदेश में चल रहा है, उससे जो हमारे गरीब कर्मचारी एफेक्टेड हैं—उदाहरणार्थ आपने रिआर्गेनाइजेशन चलाया जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का, उसके द्वारा १०,००० चपरासी.....

श्री उपाध्यक्ष—आपने आम वाद-विवाद आरम्भ कर दिया। खास-खास शिकायतों के आधार पर कुछ कहें।

श्री प्रतापसिंह—जी हां, वही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उसमें उसका जिक्र है?

श्री प्रतापसिंह—उसमें मंहगाई भत्ता वगैरह सब है।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

मैं यह कहने जा रहा हूं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को रिआर्गेनाइजेशन की स्कीम इस तरह से लागू हुई कि दस हजार चपरासी उसमें अफेक्टेड हो गये और बड़े बड़े अधिकारियों के लिये जो कार तथा मोटरें वापस करने का आदेश दिया गया था वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इस तरह से कैसे इसका काम चल सकेगा। क्या तो आप ले सकते हैं क्योंकि आपकी मेजारिटी है। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इस पर खर्चा हो वह सही तरीके से होना चाहिये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बातें कही हैं वह तो इसमें नहीं हैं। यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शंस के संबंध में है। इसलिये इसका क्या उत्तर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ९,६४,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक : २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री जगमोहन सिंह नेगी—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

यह भी स्मृतिपत्र में लिखा हुआ है इसलिये अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय—लेखा शीर्षक: २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक: २७—न्याय प्रशासन

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—न्याय प्रशासन—लेखा शीर्षक: २७—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ७६,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यह मांग जैसा कि स्मृतिपत्र से जाहिर होगा उन मुकद्दमों के संबंध में है जिनमें अधिक व्यय हो गया है जो सरकार को लड़ने पड़ते हैं। इसलिये यह मांग रखी गयी है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं और इसलिये कि सरकार जुडीशियरी की प्रतिष्ठा को मानने से इनकार कर रही है और जिन मुकद्दमों के सिलसिले में सरकार ने मांग की है, मैं समझता हूं कि वह सरकार की गफलत से पड़े हैं। मैं सरकार का और आपका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मुकद्दमे की चर्चा माननीय राजनारायण जी ने की है, यह सही है कि चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब का जो जिला है उसकी पुलिस ने डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट के स्टेनो के कहने पर एक आदमी को पकड़ लिया और हाई कोर्ट में जो बड़ी न्यायपालिका है, उसमें फैसला किया गया है कि इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये और बड़ा सख्त ऐतराज किया है।

दूसरी बात यह है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग करने में सरकार वह काम कर रही है जो सरकार को नहीं करना चाहिये। दस साल के भीतर जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग हो जाना चाहिये। इस वर्ष सरकार एक जिले में करने की सोच रही है और वह भी उस तरह से जिस तरह से पहले से अलग किया गया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अलग किया गया है वह भी बहुत नामुनासिब तरीका है। मैं फिर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और समझता हूं कि यह सारे देश की मांग है। चाहे सरकार को कुछ थोड़ी सी असुविधा उसमें होती हो लेकिन यह एक सिद्धांत की बात है और प्रैक्टिस की भी बात है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करे। ऐसा करने से प्रजातांत्रिक राज्य की ज्यादा हिफाजत हो सकती है। इन कारणों से मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक ही निवेदन करना चाहता हूं। जिस खर्चे के लिये माननीय मंत्री जी ने अनुदान मांगा है, जो न्याय आज हमें कलेक्टरी कचेहरियों में मिल रहा है खास कर जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की अदालत में उसके संबंध में अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि फैसले ठीक हों और तारीखें ज्यादा न पड़ें तो कम से कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की बला को जरूर ही खत्म कर देना चाहिये क्योंकि उनके कनफरमेशन और कैरेक्टर रोल वगैरह के सारे कागजात जिलाधीशों के हाथ में रहते हैं और वे स्वतंत्र तो हैं नहीं, एग्जीक्यूटिव के इशारे के कारण किसी मुकदमे में सही माने में न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिये या तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कोई परमानेंट कैडर बना दिया जाय या इस बला को खत्म कर दिया जाय। देवरिया जिले में एक एक मुकदमे में सौ सौ पेशियां हुईं। इस तरह से प्रदेश में न्याय नहीं बढ़ेगा और अभी जो ७६,३०० रुपये की मांग मंत्री जी कर रहे हैं उसे और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिये मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की बला से हमारा गला छुड़वा दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, इस संबंध में कुछ ज्यादा चर्चा करना तो शायद बहुत उपयुक्त न हो। इस प्रकार से दो तरह की मांगें आयीं। एक माननीय सदस्य तो जुडिशल मैजिस्ट्रेसी को समाप्त करने के पक्ष में हैं और दूसरे माननीय सदस्य चाहते हैं कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को पूरे तौर पर एक दूसरे से अलग होने की व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र की जाय।

श्री गेंदासिंह--वही मतलब उनका भी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं मतलब शायद कुछ कम समझा।

श्री गेंदासिंह---कम समझने से बहुत काम चलेगा नहीं, ज्यादा समझिये।

श्री उपाध्यक्ष---उन्हें अपनी बात तो कहने दीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जहां तक इस मांग का संबंध है इसमें तो लीगल रिमेंब्रेंसर वगैरह का खर्च है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स का इससे संबंध नहीं है।

जहां तक जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स में कई तारीखें पड़ने की बात है, मैं केवल इतना कह सकूंगा अपने मित्रों से कि यदि वे उन तारीखों को देखें तो शायद इस नतीजे पर पहुंचे कि जितनी तारीखें पड़ती हैं और जितनी उनकी संख्या है उसमें ७५ फीसदी तारीखें तो शायद अभियुक्त ही किसी न किसी वजह से बढ़वाने की कोशिश करते हैं जिसके कारण

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

यह कठिनाई पड़ती है। लेकिन एक निर्धारित समय है जिसके अन्तर्गत मुकदमा तय करना होता है और उसमें प्रायः वह होता है।

जहां तक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन का संबंध है, बात कुछ समय से चल रही है और डायरेक्टिव भी है। सही है। इसमें केवल इतना मैं निवेदन करना चाहता था कि हमारे राज्य में जितनी प्रगति इस संबंध में हुई है शायद इस देश में और किसी राज्य में इतनी प्रगति इस बारे में अब तक नहीं हुई। मुझे स्मरण है कि जो अभी हाल में ला मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई उसमें भी इसका जिक्र आया और शायद इस सदन के माननीय सदस्यों को यह जान कर कुछ प्रसन्नता हो कि उत्तर प्रदेश में इस परिपाटी को चालू करने के लिये जिस पद्धति को स्वीकार किया गया ला मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में प्रायः उसी नीति को दूसरे राज्यों में अपनाया जाय इसकी सिफारिश की गयी। मैं जानता हूं कि कठिनाइयां हैं और बहुत सी बातें कही जाती हैं। माननीय राजनारायण जी ने कुछ जिक्र किया। एक व्यक्ति को ले कर उसके संबंध में जनरलाइजेशन कर देना शायद सबसे बड़ी भूल तो है ही। किसी स्टेनोग्राफर के कहने से कुछ पुलिस के आदमियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो उससे सारा सिस्टम खराब हो जाय ऐसा तो दुनिया के परदे पर स्वीकार नहीं किया जायगा। उससे अच्छा हो सकता है और बुरा हो सकता है। मगर इस प्रकार से उसके संबंध में बातें कहना कहां तक उचित है इसको माननीय सदस्य ज्यादा विचार करेंगे। मैं दो बारा इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५---न्याय प्रशासन---लेखा शीर्षकः २७---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत ७६,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षकः २८---जेल और बन्दी बस्तियां

*शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६-जेल---लेखा शीर्षकः २८---जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १८,८४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ लिये स्वीकार की जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जेल की जो वास्तविक दशा है इस समय वह बड़ी दयनीय है। वहां पर जो रुपया बढ़ाया गया है वह दवाई पर बढ़ाया गया है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि इस समय जो भोजन की व्यवस्था जेल में है वह बड़ी दयनीय है। उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। सीजन के मुताबिक वहां लोगों को जो फल दिया जा सके, तरकारी दी जा सके वह देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो वहां पर टी० बी० के मरीज हैं उनको बकीया कैदियों से अलग रखा जाय या ऐसी जेल में उनको भेजा जाय जहां पर टी० बी० के मरीजों की व्यवस्था हो वरना यदि उनको और कैदियों के साथ रखा जायगा तो इसका असर दूसरे कैदियों पर भी पड़ेगा।

तीसरी बात यह है कि जेल के अन्दर जो पुस्तकालय हैं उनमें जिस स्तर की पुस्तकें रखी गई हैं वह ठीक नहीं हैं। इन पुस्तकालयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जेल के अन्दर दस्तकारी के ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जेल के अन्दर दस्तकारी बढ़े और उससे खर्चा निकले ताकि जेल की आर्थिक दशा में सुधार हो सके। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---श्रीमन्, मुझे भी जेल में जाने का मौका मिला। वहां पर जो दाल बनती है उसको दला नहीं जाता। चने उसमें साबित ही पड़े हुये थे। मैंने उनको दिखाया कि क्या बात है, दाल को दलवाया भी नहीं जाता है तो उन्होंने बतलाया कि दलवाया तो गया है लेकिन कोई चना रह गया होगा। मैंने जेल में और जगह जाकर भी देखा। चक्की-खाने की हालत यह है कि वहां पर बिजली नहीं लगी हुई है और कैदी ही उसको खींचते हैं। हमने देखा कि करीब ३० कैदी चक्की पीस रहे हैं। इसके बजाय अगर फट्टा मूंज बनवाया जाय तो उससे ज्यादा पैसा आयेगा। २५ सेर आटा पिसवाने की अपेक्षा अगर उनसे फट्टा बनवायें तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आटे से तो ६ आने का काम मिलता है जब कि कैदी फट्टे से १ रुपया रोज पैदा कर सकता है। इस समय जेल में सुधार की जरूरत है। इस वक्त कैदी पानी गर्रे से खींचते हैं। मैं समझता हूं कि कैदी को गर्रे के काम से हटा दिया जाय। दूसरे यह कि अभी बिजली की लालटेनें नहीं लगी हैं, लगाई जायं, क्योंकि अभीउनसे कैदी बोड़ी लगा लेते हैं। जो वहां पर सफाई का इन्तजाम है उसमें सुधार करने की जरूरत है। बस यही मेरे सुझाव हैं।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---फट्टा चलवाने की बात मैं समझ नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य बगल में बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये।

श्री टीकाराम---फट्टे से बान, दरी और निवाड़ आदि बनायी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---बगल में बैठ कर आप उन्हें समझा दें।

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जेल की मद में जो रुपया बढ़ाया जा रहा है उसका विरोध तो नहीं करता, चाहता हूं कि यह रकम बढ़ा दी जाय और जेल के कैदियों को जो दुनिया से महरूम कर दिये हैं उनको आदमी की तरह से रहने का मौका जरूर दिया जाय।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---दुनिया से महरूम होने के माने दूसरी दुनिया में जाना होता है।

श्री गेंदासिंह---इतने दिन बाहर रह कर जेल की भाषा जरूर भूल गये हैं, लेकिन अगर याद करें तो इसी तरह से वे भी कहेंगे।

इस बात का मेमोरेंडम में कोई एक्सप्लैनेशन नहीं है कि जेल की आबादी क्यों बढ़ी। माननीय सुल्तान आलम साहब ने जो एक्सप्लेशन दिया, मैं नहीं जानता कि सरकार उसको कबूल करेगी या नहीं। उन्होंने यह कहा कि सत्याग्रह हुआ और उसकी बदौलत जेलखाने की आबादी बढ़ गई। उस सत्याग्रह को उन्होंने कोसा भी कि ऐसा नहीं होना चाहिये। वह यहां नहीं हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बोले थे, सरकार अवश्य जवाब देगी। मैं उन से जानना चाहता हूं कि वह कोई उपाय बतायें कि जब सरकार इस पर उतारू हो जाय कि अपने बनाये हुये कानूनों को ही वह तोड़ने लगे और उसके लिये अदालत में जाने का हम को अख्तियार न हो कि जुडीशियरी की लगाम हम सरकार पर लगवा सकें, सरकार से सवाल करने पर, कामरोको प्रस्ताव लाने पर या आरजू मिन्नत करने पर भी वह चिढ़ती चली जाय, कहीं जा कर ऊपर के लोगों को बुला कर लायें और दिखायें तो सरकार उसको अपनी इज्जत का सवाल बना ले, जैसे राष्ट्रपति गोरखपुर और बनारस आ गये तो सरकार ने समझ लिया कि यू० पी० की इज्जत बिगड़ गई और उसके बाद जो काम रिलीफ वगैरह का वह पहले करती थी वह भी उसने नहीं किया.....

श्री उपाध्यक्ष--राष्ट्रपति ने किसी जेल का मुआयना भी किया था ?

श्री गेंदासिंह--वह तो मैंने इस प्रसंग में कह दिया। मैं तो सरकार के रूठने की बात कह रहा था कि सरकार उस काम पर रूठ जाय और जब किसी के पास कोई तरीका न रहे तो सरकार के हिसाब से तो यह मुनासिब है कि बुजदिल की तरह से मुंह छिपा कर घर में बैठ जायं। लेकिन अगर किसी ने महात्मा गांधी के स्कूल में क, ख, ग, घ भी पढ़ा है तो उस पब्लिक वर्कर का कर्त्तव्य और धर्म हो जाता है कि वह सरकार के जुल्मों का विरोध करे और विरोध करने पर जेलखाने जाना लाजमी हो जाता है। सरकार के किये हुये काम के खिलाफ उसकी मर्जी के खिलाफ वह काम कर रहा है, अगर हम ने सत्याग्रह किया है और हम को सलाह है कि नहीं करना चाहिये तो मैं जानना चाहता हूं कि उन जुल्मों के प्रतिकार के लिये कौन सा रास्ता हमारे लिये बाकी रह जाता है ? जेलखाने में में तो नहीं जायेंगे, लेकिन जेलखाने के बाहर रहेंगे तो प्रतिकार कैसे करेंगे ? जब हम सवाल करते हैं तो कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनका यह सोचना है कि वह उनकी इज्जत के खिलाफ है। इस विधान सभा में कोई मेम्बर कोई सवाल पूछता है तो सोचते हैं कि उसको ऐसी डाट बतायी जाय कि उसकी हिम्मत टूट जाय और जिसके लिये सवाल करता है, उसके लिये ऐसा जुल्म किया जाय कि सवाल करने की उसकी आदत ही छूट जाय। जब आदरणीय सदन के प्रति उनकी यह निगाह है तो फिर मैं समझता हूं कि जेलखाने की तादाद को बढ़ाने के सिवाय और कोई काम रह नहीं जाता है। माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतायें कि जेलों की संख्या क्यों बढ़ी और क्या आगे भी संख्या बढ़ाये जाने का उनका विचार है ? अगर वे बढ़ाना चाहते हैं तो किस काम के लिये बढ़ाना चाहते हैं ? अगर चोर और बदमाशों से बढ़ाना चाहते हैं तो यह उनके लायक काम नहीं है और अगर सत्याग्रह करवा के बढ़ाना चाहते हैं तो यह भी उनके लायक काम नहीं है। इसलिये ज्यों-ज्यों तादाद बढ़ती जायगी सरकार की बदनामी होती जायगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय जेल मंत्री जी इस बात पर प्रकाश अवश्य डालेंगे।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, इस अनुदान संख्या १६ में लिखा हुआ है कि वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि हो जाने से अधिक रुपये की मांग करनी पड़ी। मैं इस बारे में माननीय जेलमंत्री जी को सुझाव देता हूं। एक बात तो यह कि जब जेल के अधिकारी सामान खरीदते हैं तो जेल मैन्युअल के अनुसार उनके कमरे में एक नमूना रक्खा रहना चाहिये और उस नमूने को मिला कर खरीदना चाहिये। लेकिन होता क्या है ? नमूना सुपरिंटेंडेंट साहब की मेज पर रखा रहता है और जितना भी सड़ा गला अनाज होता है वह जेलों के अन्दर चला जाता है, क्योंकि इसमें जेलर साहब के लिये साढ़े बारह प्रतिशत कमीशन की बात रहती है। कहीं ८ प्रतिशत भी रहती है। यह छोटी बड़ी जेल के हिसाब से होता है। इसलिये ज्यादा पैसा लग जाता है।

दूसरी बात यह है कि जब जेलर का ट्रांसफर होता है तो ६-६ महीनों का अनाज व्यापारियों से खरीद लिया जाता है। खत्तियों में उसके रखने का इन्तजाम रहता है। किसी जेलर का ट्रान्सफर हो जाने के बाद अगर कोई इस किस्म की शिकायत आती है तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की जाती है ? क्या आज तक ऐसी किसी शिकायत पर कार्यवाही हुई है ? इस प्रकार अनाज खरीदने से जेलरों को ३-३ हजार रुपया मिला है। अगर कोई शिकायत दूसरे जेलर से की भी गयी तो कहा जाता है कि दूसरे जेलर साहब इसको खरीद कर रख गये हैं, हम तो उस को निबटा रहे हैं। जब माल मंत्री जी यह कहते हैं कि डंडे से मालगुजारी वसूल करेंगे तो शरीफ आदमियों का कदम जेल में ही रहेगा, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है।

श्री कैलाश प्रकाश---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात पर बहुत जोर दिया है कि कैदियों की

संख्या क्यों बढ़ी। असल बात यह है कि जेल के कैदियों के लिये जो खाने और पहनने आदि की चीजें खरीदी जाती हैं, उनके मूल्य बढ़ जाने से इस मांग को लाने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा जेल में जो सामान बनता है उसके रा मैटीरियल खरीदने के लिये ज्यादा पैसा देना पड़ा। उस कच्चे माल की क़ीमत बढ़ गयी है, इसलिये यहां यह अनुपूरक अनुदान लाने की आवश्यकता हुई। स्मृति-पत्र में स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि जो मांग १८ लाख की पेश है उसमें से आधे के लगभग तो उस कच्चे माल के खरीदने के लिये है, जो जेलों में व्यवसाय के प्रयोग में आता है। वे कच्चे माल हैं, उसी से चीजें बनती हैं और वे चीजें बनने के बाद फिर बेची जाती हैं, इसलिये बेचने के बाद जो उनसे मूल्य आवेगा वह भी अधिक आवेगा। मैंने निवेदन किया कि जेलों में कैदियों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी जितने ज्यादा का इस सदन में खयाल है। बजट जो शुरू में बनाया गया था और इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस समय अनुमान यह लगाया गया था कि एवरेज ३६,००० कैदी होंगे जब कि एवरेज ३६,२०३ कैदी का आया है। पिछले ६ महीने के आंकड़े से मालूम हुआ है कि एवरेज से केवल २०३ कैदी बढ़ गये हैं।

माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत जोर इस बात पर दिया है कि इस बात को बतलाया जाय कि क्यों यह संख्या बढ़ी है कैदियों की। यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है और इस प्रश्न पर बात करने का मौका बजट के सिलसिले में भी आने वाला है। जितना समय आज है, सम्भवत: उस में इस प्रश्न पर उचित तरीके से न्याय नहीं किया जा सकेगा। किन्तु इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो शासन की प्रणाली है वह प्रजातंत्र की है जिसमें नागरिकों को यह सुविधा है कि जब जैसी सरकार चाहें बना लें। उसमें सत्याग्रह का और इस तरीके से काम करने का क्या स्थान हो सकता है, इसको स्वयं माननीय गेंदासिंह जी भी विचार करेंगे।

श्रीमन्, यह बात भी कही गयी कि जेलों में अस्पतालों का इन्तजाम कुछ ठीक नहीं है और जो चीजें दी जाती हैं, वे अच्छी नहीं दी जातीं। सम्भव है, कहीं इस प्रकार की शिकायत हो, जैसा कि मेरे मित्र श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने कहा कि अगर कहीं एक-आध जगह शिकायत हो तो उस शिकायत से एक जेनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। इस तरह की अगर कोई शिकायत होती है और वह सरकार के पास आती है तो उसकी पूछताछ की जाती है और उस पर उचित कार्यवाही की जाती है।

माल खरीदने के विषय में कुछ बातें कही गयी हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के चीजों की खरीदारी जो होती है उसके लिये एक कमेटी है जिसमें केवल जेल के अधिकारी ही नहीं हैं, बल्कि जिले के अधिकारी भी हैं और माननीय सदस्य भी उस कमेटी में होते हैं। उनके परामर्श से ही चीजें खरीदी जाती हैं। मुझे इतना ही निवेदन करना है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस मांग को स्वीकार करेंगे इन चीजों को सामने रखते हुए कि बजट में उन्होंने कैदियों के लिये कुछ चीजों की व्यवस्था की थी जिनकी कीमत इस साल के दौरान में बढ़ गयी है और सरकार के सामने इसके लिये दो ही रास्ते हो सकते थे। एक यह कि उनके खाने-पीने की सुविधा में कमी कर दी जाय और जितना रुपया रखा गया था उतने ही से उसे पूरा किया जाय और दूसरी बात यह हो सकती थी कि उनकी सुविधा को कम न किया जाय। स्वयं माननीय गेंदासिंह जी इसको पसन्द नहीं करेंगे कि कैदियों की सुविधा को कम किया जाय, तो उसके लिये अलग से रुपया रखा जाय। फिर इसके माने यही होते हैं कि माननीय सदस्य इस पूरक अनुदान को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--जेल--लेखा शीर्षक: २८--जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १८,८४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक : ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक : ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

स्मृति-पत्र में इसके कारण दिये हुए हैं। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले ५६-५७ के बजट में भी हम से २४,४०० रुपये इसके लिए लिये गये थे राज्य की प्रारम्भिक शिक्षा की जांच-पड़ताल के लिये। प्रारम्भिक शिक्षा की जो हालत है उस पर यह खर्च किया जाय इसकी मन्शा का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन जहां पर प्रारम्भिक कक्षाओं में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके भवनों की बहुत ही खराब हालत है और अध्यापकों का वेतन भी वहां सात-सात मास तक नहीं मिलता है। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह पूरी जांच-पड़ताल के बाद उसके नतीजे के अनुसार उसे कार्यरूप में परिणत करने की कृपा करें।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना नहीं है लेकिन माननीय सदस्य इस चीज को स्वीकार करेंगे कि किसी चीज का उपचार करने से पहले उसकी जानकारी करना आवश्यक है और यह रुपया उसी जानकारी करने के लिये मांगा जा रहा है और जब वह जानकारी हो जायगी तब उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये आगामी बजट में जो माननीय सदस्य सुविधा देंगे उसके अनुसार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा—लेखा शीर्षक: ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक : ३८—चिकित्सा

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा—लेखा शीर्षक : ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा—लेखा शीर्षक: ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक : ३९—जन-स्वास्थ्य

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक : ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य—लेखा शीर्षक : ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक : ४०--कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज--लेखा शीर्षक : ४०--कृषि के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में केवल माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि वह कृषि के साथ उद्यानों का रखरखाव न रखें, क्योंकि उद्यानों में और कृषि सम्बन्धी मामलों में बड़ा अन्तर है। मैं भी उद्यानों का रखना जरूरी समझता हूं लेकिन इसको कृषि के साथ रखना मैं नहीं चाहता। मैं इस मांग का विरोध नहीं करता लेकिन सुझाव के तौर पर यह निवेदन करता हूं। एक आध बात इस सम्बन्ध में और कहूंगा और वह यह है कि उनके जो कृषि डायरेक्टर हैं वह उनको बड़ी गलत सूचना देते हैं चाहे वह कपास के बारे में हो या अनाज के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो। मुझे बड़ी सख्त शिकायत है इसकी, हालांकि मेरी उनसे व्यक्तिगत मित्रता है लेकिन उन्होंने जो सूचना दी कि फसल बहुत अच्छी है और हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है इसको मैं नहीं मानता...

श्री उपाध्यक्ष--यह तो जनरल डिस्कशन आपने शुरू कर दिया।

श्री गेंदासिंह--कपास का बाजार में बेंचने का ठीक प्रबन्ध नहीं है उसमें नुकसान हो रहा है, उसके लिये सरकार प्रबन्ध करने जा रही है कि वह ठीक से बिक सके लेकिन इस सम्बन्ध में आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाऊंगा कि जूट की बिक्री का सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं है बावजूद इसके कि कई बार इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया और इसके परिणामस्वरूप यह हो रहा है कि जूट के किसानों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा कांस्ट्रक्टिव सुझाव मैं और क्या दे सकता हूं कि जिस तरह से और चीजों की बिक्री का बन्दोबस्त किया जा रहा है उसी तरह से जूट की बिक्री का भी प्रबन्ध किया जाय, क्योंकि हमारे राज्य में इतनी जूट की मिलें नहीं हैं जो जूट को खपा सकें या जो मिलें हैं, मालूम नहीं क्या स्वार्थ है, जूट अपने यहां से खरीद न करके वह बंगाल से खरीदती हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जूट की बिक्री का भी कोई बन्दोबस्त होना चाहिए।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे मित्र गेंदासिंह जी का सुझाव है कि बागात को कृषि से अलहदा कर दें, मैं यह समझा कि गार्डेन वगैरह को कृषि से अलहदा कर दीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा...

श्री गेंदासिंह--मेमोरेंडम में राजभवनों का उद्यान है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--राजभवनों का उद्यान हमारे इन्तजाम से अलग हो जाय! हार्टिकल्चर एक्सपर्ट ऐग्रीकल्चर में हैं और वह सुपुर्द कर दिया जाय, अनाड़ियों के हाथ, तो उसकी कहां तक सुरक्षा हो सकती है? लिहाजा यह तजवीज बिल्कुल गलत मालूम होती है।

दूसरी बात हमारे मित्र ने यह कही कि जूट की मार्केटिंग का प्रबन्ध किया जाय। ठीक है, हम करने को तैयार हैं लेकिन उसमें भी घाटा होगा, जैसे कपास की मार्केटिंग का इन्तजाम किया, उसमें घाटा हुआ। उस पर बड़ी शिकायत है कि ऐसा इन्तजाम सरकार क्यों करती है जिसमें घाटा हो? आज कहते हैं। कल दूसरी बात कहने लगेंगे। तो हमारे लिए जमीन न रह जायगी खड़े होने के लिए

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

सरकार तो प्रबन्ध करना चाहती है, लेकिन जिस वक्त घाटा होगा और उस घाटे की पूर्ति के लिए जब सप्लीमेंटरी या बजट लायेंगे तो उधर से यह इल्जाम आयद किये जायंगे जैसे आज किये गये हैं। यह सरकार बड़ी निकम्मी है, निन्दनीय है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो मैं भी समझ बूझ कर कदम बढ़ाता हूं। जहां ठीक समझता हूं वहां खर्च करने को उद्यत हो जाता हूं हालांकि जायज खर्चा होता है, लेकिन फिर भी एतराजात किये जाते हैं।

किसी साहब ने कहा कि बिजली लीक कर गयी। अगर आप नहीं समझते हैं बिजली के कारखाने के मामलात को तो स्वीपिंग रिमार्क्स पेश कर देना कहां तक उचित है? ऐसी बातों का हम लोगों को मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए काशसली कदम बढ़ाते हैं। एकबारगी कोई काम नहीं उठा लेते हैं जिससे विरोधी दल गलत-सलत इल्जाम लगाये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, इंजीनियरिंग और खोज—लेखा शीर्षक : ४०—कृषि के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब आप जानते हैं कि सवा चार बज गए हैं और माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार अब मुझे गिलोटीन का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा।

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक : ४१—विद्युत योजनाओं पर व्यय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक : ४१ के अन्तर्गत ६,९८,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१ और ८१–क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक : ४१ और ८१–क के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक : ४३—उद्योग

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—उद्योग—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग—वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक : ४७—विविध विभाग

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग—लेखा शीर्षक : ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत २८,९३,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१---लेखा शीर्षक : ५० सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक: ५०---नागरिक निर्माण कार्य---निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक : ५०---नागरिक निर्माण कार्य और ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक : ५०---नागरिक निर्माण-कार्य और ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३,९९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक : ५४-दुर्भिक्ष सहायता

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५---दुर्भिक्ष सहायता---लेखा शीर्षक : ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६---लेखा शीर्षक : ५४-क---प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेन्शनें तथा ५४-ख---भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६---प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते---लेखा शीर्षक: ५४-क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख---भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत २,७५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७---लेखा शीर्षक : ५५---बुढ़ौती भत्तें और पेंशनें

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७---बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें---लेखा शीर्षक : ५५---बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ७,५१,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८---लेखा शीर्षक : ५६---लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि---सरकारी छापाखाना

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८---लेखन सामग्री और छपाई-लेखा शीर्षक ५६---लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि---सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत ११,३८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—विविध व्यय—लेखा शीर्षक ५७—विविध के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक: ५७—समाज कल्याण

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—समाज-कल्याण—लेखा शीर्षक ५७—विविध के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक: ६३—असाधारण व्यय

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—असाधारण व्यय—लेखा शीर्षक: ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४३—लेखा शीर्षक: ६३-क—युद्धोत्तर योजना, और एकीकरण और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय, और ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक: ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई, निर्माण-कार्यों का सम्पादन—लेखा शीर्षक: ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी निर्माण कार्य का निर्माण, के अन्तर्गत १०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७––लेखा शीर्षक: ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत–लेखा शीर्षक: ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी लेखा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८––लेखा शीर्षक: ८१-क––विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८––विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) लेखा शीर्षक: ८१–क के अन्तर्गत ५०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९––लेखा शीर्षक: ८२–कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९––कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत––लेखा शीर्षक ८२––राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १५,७३,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१––लेखा शीर्षक: ८५-क––राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१––राज्य व्यापार की योजनायें––लेखा शीर्षक: ८५-क––राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ८,१७,७७,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२––लेखा शीर्षक:-त––राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२––व्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण––लेखा शीर्षक: त––राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्र-ऋण के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७--५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं जनाबवाला, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ [U. P. Appropriation (Second Supplementary 1957-58) Bill, 1958] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन् . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप अनुज्ञा देने के विरुद्ध हैं ? अनुज्ञा नहीं देना चाहते ?

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे सामने दिसम्बर में पहले आया था और ठीक ५८ दिन बाद १० या १२ करोड़ का यह सप्लीमेंटरी बजट आया । तो मैं एक बात पूछूं सरकार से . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस बिल के विचार के मोशन पर आप पूछ लीजियेगा । पहले पेश हो जाने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गेंदासिंह से)---आप इसके पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा देने का विरोध नहीं कर रहे हैं । मालूम होता है कि अब आप इसमें इंट्रेस्टेड नहीं हैं ।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो कार्यवाही हो गई उसके सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---पहले विधेयक बंट जाने दीजिये ।

श्री मलिखानसिंह---जो कार्यवाही अभी हो चुकी है उसके सम्बन्ध में है ।

(विधेयक बंटने के बाद)

श्री उपाध्यक्ष---अब आप कहिये क्या बात है ?

श्री मलिखानसिंह---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस पर आइन्दा ध्यान रखा जाय । इसके जनरल डिसकशन के लिये तो तीन घंटे दे दिये और अब अनुदानों पर गिलोटिन हो गया । इनका हर विभाग से सम्बन्ध था और हमने अपने-अपने यहां की स्थिति के अनुसार संशोधन भी दिये थे, लेकिन उनके लिये मौका नहीं मिल सका । इसलिय मैं चाहूंगा कि जनरल डिसकशन के लिये कम समय रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष नेता सदन से बातचीत करके तय करते हैं । इसलिये अगर आप यह समझते हैं कि जनरल डिसकशन के लिये समय कम दिय जाय या यह समय कम हैं तो आप को अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करनी चाहिये । आशा है कि वह आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ [U. P. Appropriation (Second Supplementary 1957-58) Bill, 1958] पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

यह सब रुपया जो अनुदानों में मांगा गया है वह सब इस में रखा गया है और इसको खर्च करने की, यानी कंसोलिडेटेड फंड्स से रुपया निकालकर, खर्च करने की मंजूरी दी जाय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि ३२ और ३५ आइटम पर जो छपा है वह क्या गलत छप गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—इसमें यह होता है कि पहले पुरःस्थापित करते हैं फिर विचार करने के लिये रखते हैं । इसके बाद पारित करने का प्रस्ताव आयेगा और इसके स्वीकृत होने पर यह पारित समझा जायगा ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछला बजट जो हमारे सामने आया था वह करीब २ करोड़ ११ लाख रुपये का था । उसके ठीक ५८ दिन के बाद लगभग ९ करोड़ ९६ लाख रुपये का बजट आ गया है । सब से बड़ी रकम अनाज के खरीदने के लिये, करीब ८ करोड़ रुपये की है । मैं सरकार की दूरंदेशी पर शुबहा करता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह खर्चा जो ८ करोड़ रुपये का है इसकी ५८ दिन के भीतर ही जरूरत मालूम हुई या पहले से भी यह चली आती थी ? अगर इन दिनों के भीतर ही जरूरत मालूम हुई तब तो मैं समझता हूं कि ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकार ने उस समय जान बूझकर इस चीज को नजरंदाज करने की कोशिश की थी जो आज सरकार को मजबूर होकर कहनी पड़ी । जब इस तरह की बात सारे प्रदेश में फैली, सारे प्रदेश में नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा । कल कहा गया कि सूबे के एक खास हिस्से में एक बड़े पैमाने पर जब भूख से मरने की बात पैदा हुई और जब सरकार उसको किसी तरह भी छिपा नहीं सकी तो आज हमारे सामने वह कहने को तैयार हुई कि हमको ८ करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया अनाज के लिये दे दो । मैं चाहता हूं कि इसको जरा माननीय वित्त मंत्री जी साफ करें । यह द्योतक है इस बात का कि सरकार आगे के लिये कुछ सोच नहीं पाती और तब काम करती है जब वह काम को बहुत हिस्से तक बिगाड़ लेती है ।

हमारे कुछ भाइयों ने इस अनाज की रकम पर और खास तौर से माननीय हरीसिंह जी ने, यह कहा कि यह तो बड़ी भारी रकम है और उस हिस्से पर खर्च की जा रही है जिससे उनको कुछ नाराजगी तो नहीं हुई, लेकिन उलाहना जरूर उन्होंने दिया । मैं माननीय सदन से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सब कुछ होते हुये भी जिस दुर्दशा में हम लोग हैं उसका बयान नहीं हो सकता ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—और हम ?

श्री गेंदासिंह—उसका ठीक चित्रण हमारे सामने नहीं है । एक बात मैं जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि इस वक्त बिहार प्रान्त में ९,६०० से कुछ ज्यादा १०,००० के लगभग, दुकानें चल रही हैं, लेकिन जैसा कि पिछले दिन बताया गया था, आपकी ३ ो करोड़ की आबादी में जो स्केयरसिटी है उस में २,१०० दुकानें चल रही हैं । अगर मुझे ठीक याद है तो केरल की १,१६,००,००० की आबादी है और उसमें ८,००० या उससे कुछ ज्यादा दुकानें

[श्री गेंदासिंह]

चल रही हैं वहां पर पानी तो बांटा नहीं जाता है, चाहे वह केरल हो, चाहे बिहार हो, बांटा उन दुकानों में अनाज ही जाता है। अब अगर २,१०० दुकानों को चलाने के लिये ८ करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है तो जहां १०,००० दुकाने चल रही हों, वहां तो इसके चौगुने रुपये का प्रबन्ध करना पड़ता होगा। अगर किसी जिले में मुसीबत नहीं है तो वह जिला दूसरे जिले को यह नहीं कहेगा कि तुम गरीब हो, नालायक हो, तुम काम नहीं करते। आज सारे देश के लिये केरल को आप छोड़ दीजिये, उसको अपनी सरकार में न मानिये, मेरे लिये तो कोई बात नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार केरल की मदद करने में तो कोई खींचा-तानी करती नहीं---गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का यह एलान है कि अगर २ करोड़ रुपये से ज्यादा स्केयरसिटी को मीट करने में कोई राज्य सरकार खर्च करेगी तो ७५ फ़ीसदी गवर्नमेंट आफ़ इंडिया बरदाश्त करेगी और सिर्फ़ २५ फ़ीसदी स्टेट गवर्नमेंट को बरदाश्त करना पड़ेगा। तो हम मुनासिब नहीं खर्च कर रहे हैं यह इस सदन को जान लेना चाहिये।

म कुछ जरूरी बातों की तरफ सरकार और इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहत। हूं। जुडीशियरी के सिलसिले में मैं इतना जरूर कह दूं कि जुडीशियरी के फ़ैसले की आजकल बड़ी उपेक्षा हो रही है। कल माननीय गृह मंत्री जी से हमने कहा कि अखबारों में हाईकोर्ट के फ़ैसले निकल जाते हैं, उनको देखने का प्रबन्ध सरकार ने किया है? खैर, वह जब आयेगा तब कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का जिक्र कर दूं, माननीय कैलाश प्रकाश जी इस समय मौजूद हैं, उन्हीं के घर की बात है, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, इसको दूसरी तरह से समझ लिया जाता है। दो, तीन नौजवानों ने किसी क्रिमिनल आफ़ेन्स में नहीं, सिर्फ दफ़ा १४४ में मीटिंग करने की मेरठ में मैजिस्ट्रेट ने इजाजत नहीं दी और उन्होंने, मीटिंग कर ली और उस मीटिंग करने के इल्जाम में वे जेलखाने में बन्द कर दिये गये। तीनों एम० ए० हैं। कोई एक सब्बजेक्ट में एम० ए० है तो दूसरा दूसरे सब्बजेक्ट में एम० ए० है, लेकिन हमारे सूबे का यह स्टैंडर्ड है कि ये दोनों चन्द्रशेखर और ओमप्रकाश जो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पी० एस० पी० के हैं वे जेल में दो महीने तक पड़े रहे। किसी अधिकारी को यह पता नहीं लगा कि रूल्स के मुताबिक जो ग्रेजुयेट हो उसको सुपीरियर क्लास मिलना चाहिये। मुझे होम सेक्रेटरी के नोटिस में इस चीज को लाना पड़ा। तब जाकर यह मालूम हो सका कि यहां पर १५ रोजा रिपोर्ट आया करती है। उस से कम से कम सरकार को यह मालूम होना चाहिये था कि वे पी० एस० पी० के सेक्रेटरी और ज्वांइट सेक्रेटरी हैं, ताकि उनके साथ जेल में मनुष्यता का बर्ताव किया जाय। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सरकार जुडीशियल असिस्टेंट को भेज देती है। और हाईकोर्ट ने डाट बताई और स्ट्रिक्चर पास किया कि यह यू० पी० सरकार की आदत है कि वह ऐसे छोटे लोगों को अदालत में भेजकर इनसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दिलाना चाहती है। तो यह हाईकोर्ट के फैसलों का हाल है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। राजनारायण जी ने जो सवाल यहां पर उठाया और जिसकी निस्बत माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया। हमारे देश में लोग इस बात पर बड़ा भरोसा करते हैं कि हमारे शासक कितने ईमानदार हैं। वे लोग उनको ईमानदार देखना चाहते हैं। राजनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सारे देश के लोग जानते हैं कि कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हुई और वह शिकायत कुछ मामूली शिकायत नहीं हुई, बड़ी गम्भीर शिकायत हुई। उन्होंने जमीन सस्ती ले ली और जो चीज लोगों को सस्ती प्राप्त नहीं हो सकती थी वह चीज उनको आसानी से मिल गई। इन सारी बातों का चर्चा हुआ सारे देश में और बहुत इन्टीरियर में चर्चा हुआ, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन लोगों के साथ क्या इंसाफ किया, जिनके साथ बेइंसाफी हुई? सरकार बताये कि उनका क्या कसूर है? मैं समझता हूं इस मामले में बिलकुल ऐसे पर्दे में इन चीजों को सरकार को नहीं रखना चाहिये जिस से लोग यह न समझ सकें कि बहुत बड़े-बड़े अफ़सर इसमें इन्वाल्व्ड हैं, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर

यह चीज साफ है तो सफाई के साथ यह बात सरकार को कहनी चाहिये कि वह साफ हैं, ईमानदार हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर यह बात नहीं कही जाती है तो फिर जनता का विश्वास इन अफ़सरों से उठेगा और हमारे बड़े लोगों से विश्वास उठना हमारी डेमोक्रेसी के लिये बहुत खतरनाक चीज है।

हमारा यह सप्लीमेंटरी बजट है। मैं देखता हूं कि इसमें हर्जाने की रकम बहुत देनी पड़ रही है और हर्जाना भी पड़ रहा है। वह दीवानी का हर्जाना है। उसका बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। हमारी जो एक्जिक्यूटिव है वह ऐसी हरकत करती है जिस हरकत पर उनका भरोसा नहीं है और वे लोग दीवानी में जाकर केस लड़ते हैं और फैसला लेते हैं। इस से हर्जाने की रकम बढ़ जाती है। इससे मैं समझता हूं कि सरकार की प्रतिष्ठा घटेगी। इस प्रतिष्ठा के घटने से किसी का भला होने वाला नहीं है।

मैं अन्त में मालगुजारी की बात कह दूं। मालगुजारी के वसूल करने में सरकार की ओर से बहुत ही कोताही की कार्यवाही की जा रही है। सरकार से अगर कोई सदस्य कुछ कहता है, उनके संगठन का ही कहता है और उनसे मिन्नत करता है, तो सरकार अपने को उसके खिलाफ समझती है। अपने खिलाफ समझकर हमको तो छोड़ देती है, लेकिन जिनके लिये हम कहते हैं उनके ऊपर जुल्म करने लगती है, यह हालत है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से उनके ऊपर मुसीबत मत डालिये। मैं पूर्वी जिलों की बात नहीं कहता हूं। मैं अभावग्रस्त जिलों की बात कहता हूं। अब तो हरीसिंह जी को शिकायत नहीं होनी चाहिये। मुश्किल यह है कि लखनऊ से पूरब में ही वे जिले पड़ते हैं। वे १५ जिले हैं। इन जिलों को अभावग्रस्त जिले, हरीसिंह जी की सलाह से, मानकर यह कहता हूं .....

श्री हरीसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि कभी मेरठ के बारे में भी उन्होंने कोई प्रश्न किया है?

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आपका वक्त खराब होगा। मैं जो बात कहता हूं वह सारे सूबे के लिये कहता हूं। आज उनको मालूम होना चाहिये कि इस सूबे का सबसे बड़ा मसला गन्ने का है और अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर के किसानों के मसले को वह हल करवा सकें, तो किसानों को करोड़ों रुपयों का लाभ हो सकता है। यह अभावग्रस्त जिलों का मसला है और मैं उसी मुसीबत की बात कहता हूं कि जिसको कहना जरूरी समझता हूं। इसलिये उसको इज्जत का सवाल न बनाकर सरकार उन आदमियों पर जुल्म न करे जिनके लिये कि हम वह बात कहते हैं।

(राजा यादवेन्द्रदत्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---क्या अब भी कुछ बाकी रह गया?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---जनरल डिस्कशन में कोई बात बाकी नहीं, लेकिन मैं दो बातें आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं और उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिनको आंखें नहीं हैं, उनको आंख देना चाहता हूं, उसकी कोशिश करता हूं।

एक सदस्य---जिनकी फूटी हुई है उनको आंख नहीं दी जा सकती।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जिनको अंधा ही रहना है, उनको वह मुबारक हो। तो मैं दो बातें इसलिये कह रहा हूं कि उधर गूंगे, बहरे और बुद्धिहीन नहीं बैठे हैं, उधर बुद्धिमान भी हैं। बराबर इस सदन में यह कहा गया कि जो रुपया इन अनुदानों के लिये दिया जा रहा है उसका सद्व्यय होना चाहिये, अपव्यय नहीं होना चाहिये। यह प्रत्यक्ष है

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कि यह बजट पास होगा, लेकिन मैं एक ही निवेदन करूंगा कि सतर्कता के साथ इसका सद्व्यय हो। अभी आपके सामने है कि शिक्षा विभाग में लेखन-शैली बदलने के परिणाम-स्वरूप ९ या १० हजार पुस्तकें नष्ट की जाती हैं। यह बड़ा अनुचित है कि इस प्रकार के एक्सपेरीमेंट हमारे बच्चों के साथ हों। हर बार हमारी सरकार की राय बदले और उसके बाद पुस्तकें नष्ट की जायं। अगर ऐसा ही होता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। इस प्रकार का अपव्यय नहीं होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त आडिट रिपोर्ट में जो आब्जेक्शंस आते हैं उन पर भी समय पर सरकार को ठीक कदम उठाना आवश्यक है। पुराने आब्जेक्शंस भी बहुत से पड़े हुये हैं। यहां पर ज्यादा दोषारोपण इसलिये भी हुआ है कि जो कदम ठीक समय पर उठाया जाना चाहिये था वह नहीं उठाया गया। आप जो रुपया हम से ले रहे हैं मैं यह आशा करूंगा कि यदि इस रुपये का अपव्यय हो तो उसके लिये ठीक समय पर स्टेप्स लिये जायं और यहां आ कर उस अपव्यय को स्वीकार किया जाय। मनुष्य से ही गलती होती है, यह स्वाभाविक है कि गलती हो, लेकिन दुख इस बात का है कि गलती होती है, उससे दुख बहुत से लोगों को भोगना पड़ता है, किन्तु आप अंडर स्टेटमेन्ट के आधार पर उसे छिपाने का प्रयास करते हैं।

जैसा अभी गेंदा सिंह जी ने कहा आपने ८ करोड़ रुपये का गल्ला खरीदने की बात सोची। उसके लिये रुपया दिया, लेकिन हमारे इतने दिन चिल्लाने के बाद आपने स्वीकार किया कि प्रदेश के एक भाग के लोग भूखों मर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहां पूर्व और पश्चिम का सवाल उठा। सवाल पूर्व और पश्चिम का नहीं है। हमारे सारे प्रान्त में एक भीषण स्थिति है और उसका सामना हम लोगों को मिल कर करना चाहिये। अगर कभी गलती हो तो उसे आप सामने आकर स्वीकार करें। यदि अपने अभिमान को आगे रख कर चलेंगे तो वह गलत होगा। यही दो बातें श्रीमन्, मुझे निवेदन करनी थीं कि ठीक समय पर कदम उठाये जायं और अपव्यय न होने दिया जाय। जो अपव्यय होने के स्थान हैं उनपर आप चेक लगायें, उसे आप प्रत्यक्ष रोकने के लिये प्रत्यक्ष कदम उठावें। खाली लीपापोती करने और गोल-मोल उत्तर देने से नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि मैंने मान लिया कि अधिकारी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी इंटेग्रिटी क्वैश्चन हुई तो यह आवश्यक है कि उनकी क्वैश्चन्ड इंटेग्रिटी का जो भी रूप हो वह ओपेन इन्क्वायरी का आधार होना चाहिये। हमारी हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में मूंधड़ा का सवाल उठाया गया और स्पष्ट एन्क्वायरी हुई, अर्थ मंत्री से लेकर सारे लोगों पर हुई। तो आप क्यों नहीं हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से उदाहरण लेकर ओपेन इनक्वायरी कराते हैं ? एक आदमी के संतोष की आवश्यकता नहीं, सारे प्रदेश की जनता को संतोष की आवश्यकता है। क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये भी आवश्यक है कि ओपेन एनक्वायरी हो। यदि वे निर्दोष हैं तो हम भी उनको बधाई देंगे और यदि दोषी हैं तो चाहे अर्थ मंत्री हों, डेवलपमेन्ट कमिश्नर हों या चीफ सेक्रेटरी हों, उन्हें दंड मिलना चाहिये। तो आप नेहरू जी का उदाहरण लेकर क्यों नहीं ओपेन एनक्वायरी कराते जैसा उन्होंने कराया ?

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसके पास होने पर इन बातों को भी ध्यान में रखा जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय वित्त मंत्री ने, श्रीमन्, कहा कि उच्चाधिकारियों के मकान बनवाने की जांच मुख्य मंत्री जी ने की यदि वे चाहते हैं कि प्रदेश की जनता में गलत-फहमी न फैले और इस आदरणीय सदन के विधायक भी उसे ठीक तरह से समझ सकें, तो क्यों नहीं सरकार जुडिशल एन्क्वायरी की बात को मानती है ? छागला कमीशन के बैठने से मुल्क के प्रजातंत्र को सबसे बड़ा अनुभव यह हुआ कि संसद के प्रजातांत्रिक अधिकारों में देश की जनता का विश्वास रहा।

जेल मंत्री जी ने कहा कि एक कमेटी होती है जिससे राय ली जाती है कि कौन सा खाद्यान्न का सामान जेलों में सप्लाई किया जाय। मैं भी जेल जाता हूं देवरिया में जाता, हूं। कोई मीटिंग मैंने नहीं देखी और यदि कोई ऐसी कमेटी है तो वह कागज पर ही होगी।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिन मिनिस्टरों ने अपनी ग्रान्ट के सम्बन्ध में जो बातें कहीं उनका उत्तर देने के लिये इस एप्रोप्रियेशन बिल पर कोई स्पीच होती है।

श्री उपाध्यक्ष—पेश होने पर यह अन्य विधेयकों की तरह से हो जाता है। जिस तरह से आम विवाद सिद्धांतों पर होता है वैसे ही वे सब बातें यहां भी लागू हो जाती हैं।

श्री उग्रसेन—माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि आडिट आफिस की रिपोर्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जाती है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पहली बात के सिवाय जो मकानों की है, यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने या फलां मंत्री ने यह कहा और वह कहा। यह कहा किसने है? वित्त मंत्री तो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं इनकार करता हूं। सब कुछ लिखा हुआ है, देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी कहा गया कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जांच करके पता लगाया है, उसके सिलसिले में उन्होंने यह कहा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसको तो मैंने ही माना है। बाकी और दो बातें जो वे कह रहे थे, वे किसने कहीं?

श्री उग्रसेन—जेल मंत्री जी ने वे बातें कही थीं और उन्होंने यह कहा था कि गल्ला खरीदने के लिये एक कमेटी होती है जिसमें एम० एल० ए० भी मेम्बर होते हैं।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार से यह सिफारिश करनी है कि जो धन आज हम लोगों की तरफ से सरकार को मिला है उसका सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मेरे इस कथन का मुख्य कारण यह है कि पिछली बार भी जो अनुदान मिला है उसकी अगर सही रूपरेखा देखी जाय तो मालूम होगा कि उसका सही ढंग से जनता के हित में इस्तेमाल नहीं हुआ है।

अगर निर्माण कार्यों को देखें तो मालूम होगा कि वहां सीमेंट की चोरी होती है। इन चीजों को सरकार रोक सकती है। मुझे मालूम है कि सरकार के पास पुलिस विभाग है, सी० आई० डी० विभाग है, जब पुलिस गांजा, भांग और रिवाल्वर की चोरी को पकड़ लेती है तो क्या कारण है कि इसकी चोरी को वह नहीं पकड़ सकती? उसके पास अभियुक्तों को पकड़ने के लिये कुत्ते भी होते हैं। अगर सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार को रोक सकती है। इसलिये मेरा यही कहना है कि आप इस भ्रष्टाचार को रोकें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमसे अनुदान मांगा जाता है और हम उसको दे भी रहे हैं, लेकिन अपोजीशन की भावनाओं का भी सरकार को आदर करना चाहिये। जो सुझाव इधर से आये हैं उनमें किसी दुर्भावना को स्थान न देते हुये, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिये। मार्किंग सिस्टम के बजाय सरकार को वही पुराना चुनाव का सिस्टम अपनाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—इसका इस विधेयक से क्या सम्बन्ध है?

श्री उग्रसेन—इसमें चुनाव के लिये खर्चा मांगा गया है। इसीलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर सरकार उसको अपनी प्रेस्टिज का सवाल न बनाये तो मार्किंग सिस्टम के बजाय जो पुराना सिस्टम चुनाव का है उसको ही रहने दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने का वक्त है नहीं, लेकिन अभी जो मकान की बाबत बात हो रही थी उसको सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। इसलिये कि उसकी चर्चा इस हाउस में पहले हो चुकी है। मुमकिन है मैं गलत होऊं, लेकिन मेरी याद यह है कि मैंने चीफ मिनस्टर साहब से सुना और उनसे कहा यह गया कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही उस मामले को देखकर अपना इत्मीनान कर लें और यह इसी तरफ से कहा गया।

श्री चन्द्रजीत यादव---उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। वह मेरा प्रश्न था जिसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैंने यह जांच कुछ अफसरों की मदद से की। जिस केस में प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारी इनवाल्व्ड हों वहां आफिसरों की मदद से कोई जांच की जाय तो वह कैसे ठीक जांच हो सकती है? इसीलिये हमें उसका विरोध है और उसमें हमारा विश्वास नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो एक बात ही दूसरी कह रहा हूं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं। कि उन किस्सों को मैं क्या बयान करूं? इस हाउस में यह बात कही गयी कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस मामले की तहकीकात कर लें और अपना इत्मीनान कर लें कि यह बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है। उसकी बिना पर उन्होंने तहकीकात करके उसका नतीजा, कल या परसों, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मेरे नजदीक इस हाउस में बयान कर दिया था। वह बात उस दर्जे तक खत्म हो गयी। न आज तक उस पर जुडिशियल एनक्वायरी का सवाल हुआ, न किसी ने यहां कहा कि किस किस्म की एनक्वायरी हो, लेकिन आज जुडिशियल इन्क्वायरी का सजेशन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब पर एतबार करके अपोजीशन के किसी जिम्मेदार साहब ने यह बात कही थी और उन्होंने उस काम को कर लिया। उसका नतीजा भी हाउस के सामने रख दिया। यह क्वेश्चन पब्लिक के सामने है कि वह इसके ऊपर जो कुछ भी अपनी राय चाहे कायम करे। मेरे नजदीक तो उसकी निसबत राय देने की कोई जरूरत है नहीं। जो कुछ लोगों को राय देनी हो वे दें। इसके बाद आज ज्यादा अर्ज करने का और वक्त बाकी नहीं है।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने सरकार के उपमंत्री से टेलीफोन पर कहा था, उनसे सम्पर्क स्थापित किया था और जुडिशियल एनक्वायरी की मांग भी की थी।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १, २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८

३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित-निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित-निधि में से ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम

१––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ का द्वितीय पूरक) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित-निधि में से वर्ष १९५७–५८ के लिये ९,९६,५३,४०० रु० का दिया जाना ।

२––ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित-निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ९,९६,५३,४०० रु० (नौ करोड़ छियानबे लाख ५३ हजार चार सौ रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

३––इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित-निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९५८ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय	२६,८००	..	२६,८००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	..	१,९००	१,९००
१०	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय	..	१,६००	१,६००
११	अभियंत्रण संस्थायें	१००	..	१००
१२	सामान्य प्रशासन पर व्यय	९,६४,४००	१,१०,७००	१०,७५,१००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन पर व्यय	१००	८,८००	८,९००
१५	न्याय प्रशासन	७६,३००	..	७६,३००
१६	जेल	१८,८४,०००	..	१८,८४,०००
१८	शिक्षा	१००	१,१००	१,२००
१९	चिकित्सा	५००	..	५००
२०	जन-स्वास्थ्य	४००	..	४००
२१	कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और खोज	२००	२३,३००	२३,५००
२४	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	६,९८,०००	..	६,९८,०००
२५	विद्युत् योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय	१००	..	१००
२७	उद्योग	४००	३,४००	३,८००
२८	श्रम और संख्या	..	१४,२००	१४,२००
२९	परिवहन विभाग	२८,९३,७००	..	२८,९३,७००,

३१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	..	२००	..	२००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य के अधिष्ठान पर व्यय	..	३,९९,६००	..	३,९९,६००
३५	दुर्भिक्ष सहायता	.. .. ..	१०,००,०००	..	१०,००,०००
३६	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें तथा भारतीय राजाओं को निजी थैलियां		२,७५,०००	..	२,७५,०००
३७	बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें	.. .. ..	७,५१,१००	..	७,५१,१००
३८	लेखन सामग्री और मुद्रण	.. .. ..	११,३८,४००	..	११,३८,४००
३९	विविध परिव्यय	.. .. ..	३००	..	३००
४१	समाज-कल्याण	.. .. ..	१००	..	१००
४२	असाधारण परिव्यय	.. .. ..	१००	..	१००
४३	योजना और सहयोग	.. .. ..	१००	१,७००	१,८००
४४	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन	..	१०,००,०००	..	१०,००,०००
४७	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत	..	५००	..	५००
४८	अधिष्ठान के व्यय को छोड़ कर विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत		५०,००,०००	..	५०,००,०००
४९	कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सर्विसों, सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	.. .. ..	१५,७३,२००	..	१५,७३,२००
५०	पेंशनों की संराशि	.. .. ..	..	२५,०००	२५,०००
५१	राज्य व्यापार की योजनायें	.. .. ..	८,१७,७७,७००	..	८,१७,७७,७००
५२	व्याज वाले ऋण और अग्रऋण	.. .. ..	३००	..	३००
	योग	..	९,९४,६१,७००	१,९१,७००	९,९६,५३,४००

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना, शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७-५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब हम उठते हैं और सोमवार १७ फरवरी, को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५७ मिनट पर सोमवार, १७ फरवरी, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
१५ फरवरी, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५३३ पर)

STEPS TAKEN FOR INDEPENDENCE OF LEGISLATURE SECRETARIAT

(1) The orders of Sri Speaker and Sri Chairman are treated as final.

(2) If and when necessary, Sri Speaker and Sri Chairman deal with the Chief Minister directly in respect of matters concerning Legislature Secretariat.

(3) Formerly the papers of the Legislature Secretariat used to be sent through the Legislative Department but this is no more done. Secretary, Legislature sends the paper directly to the Department concerned.

(4) The budget of the Legislature Secretariat is also sent directly to the Finance Department though formerly it was sent through the Legislative Department.

(5) In case where the Legislature Secretariat does not agree with the advice tendered by the Finance Department or any other Government Department the case is to be put up before Sarvsri Speaker and Chairman and then submitted for the final orders of the Chief Minister, if necessary.

(6) A number of powers have already been delegated to the Secretary, Legislature ; Others are under the consideration of the Finance Department.

(Sd.) HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM,
15th February, 1958.

पी० एस० यू० पी० ए० पी—२६५ एल० ए०—१९५८—८१० ।